राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २६वां दिवस [संख्या २०

शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-बज कर ९ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री मुरलीधर व्यास।

गुण प्रकाश सज्जनालय वाचनालय, बीकानेर

५२६ श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर में गुण प्रकाश सज्जनालय वाचनालय को सरकार प्रतिवर्ष कितनी सहायता देती है ?

(२) यहा कुल कितने दैनिक व साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें आती हैं ?

(३) यहां कितने पाठक प्रतिदिन पढ़ने आते हैं ?

(४) क्या इसके विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(१) १९५५-५६ में १६२२) रु०
१९५६-५७ में २२३७) रु०
१९५७-५८ १९३१) रु०

(२) दैनिक ८ साप्ताहिक २०

(३) करीब ५००

(४) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस वाचनालय में जो पत्र पत्रिकायें आती हैं, उनमें किसी प्रकार की कटौती की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें पत्र पत्रिकाओं के कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास : इस वाचनालय में जो शहर के मुख्य स्थान पर है, काफी लोग पढ़ने आते हैं क्या उनमें आने वाले पत्र पत्रिकाओं में कमी की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया वाचनालय में आने वाले पत्र पत्रिकाओं में कोई कमी नहीं की गई। मैंने आपको बताया सन् १६५५-५६ में १६२२ रु० १६५६-५७ में २२३७ रु० और १६५७-५८ में १६३१ रु० दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या किसी प्रकार की कमी की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया जो कुछ खर्चा किया जाता है उसमें से ७० प्रतिशत देने का कायदा है और उसी हिसाब से ७० पर्सेन्ट दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : पर्सेन्टेज़ उतना दिया नहीं गया और उसमें कटौती की गई क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष : खर्चे का पर्सेन्टेज़ यदि कम हुआ होगा तो कम दिया होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कोई फालतू खर्च हुआ हो।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सबसे बड़ा वाचनालय है और सेन्टर में है काफी लोग पढ़ते हैं वहां पहले से काफी पत्र पत्रिकायें आती हैं क्या आपने उसे फालतू खर्च समझ कर कम किया है ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत ही जो मान्य खर्च होता है उसका ७० प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जाता है। अब या तो मान्य खर्चा कम होगा या गलत तौर से किया गया होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या मान्य खर्चे की कोई सूची बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज कर दिया है कि डिपार्टमेन्ट में उनके कागज़ात आते हैं, उसके बाद एप्रूव करते हैं और उसमें जो मान्य खर्चा होता है उसके अनुसार ७० प्रतिशत दिया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : एप्रूव्ड खर्चे की कोई लिस्ट या डेफिनिशन दी हुई है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो प्रिन्सिपल है इसके अलावा जो खर्चा होता है उसे काट दिया जाता है।

पूर्व अजमेर राज्य के पुलिस अधिकारियों का एकीकरण

५२७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा-डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Home Minister be pleased to state :-

(1) What was the procedure that was adopted to integrate the Police Sub-Inspectors of Ajmer State in Rajasthan Police Force ?

(2) Were there any representations made by those police Sub-Inspectors who felt aggrieved to the Central Integration ad-hoc Committee ?

(3) If so, what is the decision of the Committee for those Sub-Inspectors ?

(4) What was the number of such representations ?

(5) Were the representations forwarded to the Committee ? If not,

Page No.3

(डॉ० बहादुरसिंह)

what are the reasons of such delay in this matter ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अजमेर पुलिस के लिये राजस्थान की भिन्न भिन्न इकाइयों के इन्सपेक्टर्स व सब-इन्सपेक्टर्स इन्टीग्रेशन के लिये अपनाई गई प्रणाली काम में ली गई। इन्सपेक्टर्स के लिये गृह सचिव व आई० जी० पी० से निर्मित एवं एस० आईज़ के लिये डिविज़नल कमिश्नर्स व रेन्ज डी० आई० जी० से निर्मित इन्टीग्रेशन कमेटी की सिफारिशों को काम में लिया गया है। भिन्न भिन्न विषयों के अंक निर्धारित किये गये और प्राप्त अंकों के अनुसार प्रत्येक में रखने योग्य कर्मचारियों को क. ख. ग. श्रेणी में रखा गया। प्रत्येक श्रेणी में आने वालों को सीनियरोरिटी उनके सेवा काल के अनुसार नियत की गई।

(२) जी हां।

(३) अभी तक किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका।

(४) १८ सब-इन्सपेक्टरों ने रिप्रेजेन्टेशन किया।

(५) समस्त रिप्रेज़ेन्टेशन सचिवालय के सम्बन्धित विभाग को भेज दिये गये थे और कमेटी की मीटिंग ६ मार्च को हो चुकी है लेकिन कमेटी की सिफारिश अभी प्राप्त नहीं हुई।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायगी, महिने, दो महिने, साल, दो साल में ?

श्री रामकिशोर व्यास : कमेटी भेजेगी तभी आयेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : आप अन्दाज़ से ही बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं क्या अन्दाज़ बता सकता हूँ।

प्रश्न संख्या ५२८

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

पुलिस द्वारा जोधपुर के सर्राफों के बहीखाते पकड़ना

५२६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा— डॉ० बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया): Will the Home Minister be pleased to state :-

(1) What has happened to the books of 47 firms of gold dealers of Jodhpur seized by the Police upto 6-11-58 ?

(2) Is it correct that from these books police has obtained the names of over 250 persons, who can be reasonably suspected of being members of the gold smugglers ring ?

(3) Since the starting of the enquiry on 27-9-58 in this connection how many persons have so far been arrested by the police and how many of them have been challaned ?

(4) Is it correct that the firm of M/s Pukhraj Surana, a gold dealer of Jodhpur is suspected of complicity in gold smuggling ? If so, has the police

Page No.4

(डॉ० बहादुरसिंह)

seized and examined tne books of this firm and conducted any enquiry against its activities ?

(5) What specific steps the Government has taken so far to check the smuggling of gold into this State ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :— (१) इन बहियों की जांच की गई और इनमें से २२ को कस्टम अधिकारियों के पास इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भेज दी गई हैं और बाकी २५ व्यापारियों के मामले विचाराधीन हैं ।

(२) रेकॉर्ड की जांच से पुलिस को ज्ञात हुआ है कि ७१ व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिये थे किन्तु वास्तव में उन्होंने सोना नहीं बेचा । वे इस प्रकार सही अर्थ में तस्कर व्यापारी नहीं है ।

(३) कोई गिरफ्तार नहीं हुआ न किसी का चालान हुआ ।

(४) पुखराज सुराना नाम की कोई फर्म नहीं है । अतः इसका रेकॉर्ड जब्त करने एवं इसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

(५) पुलिस तस्कर व्यापारियों की कार्यवाहियों का पूरा ध्यान रख रही है और जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कानूनी कार्यवाही कर रही है ।

बीकानेर जिले के गांवों में मिडिल स्कूलें

५३०. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ज़िले के किन किन गांवों की ओर से मिडिल स्कूल खोलने की मांग चल रही है तथा इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि कपूरीसर तथा शेखसर के निवासियों ने माध्यमिक शालाओं के भवन तैयार कर रखे हैं ? अगर हां तो उनकी मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) इस वर्ष निम्न लिखित गांवों से मांग की गई है :

१. जसरासर	२. काकरा
३. कपूरीसर	४. बेरासर
५. दियातरा	६. सरेरा
७. बज्जू	८. बरसंगसर

ज़िला विकास समिति की सिफारिश तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार अन्य स्कूलों के साथ इन पर भी विचार किया जावेगा ।

(२) कपूरीसर में भवन तैयार है और इस काम में जैसा कि कहा जा चुका है अन्य स्कूलों के साथ माध्यमिक पाठशाला खोलने का विचार किया जायेगा । शेखसर में भी ज़िला बोर्ड की ओर से माध्यमिक शाला की कक्षायें चल रही हैं और प्राथमिक शाला इसी वर्ष सरकार द्वारा खोल दी गई है ।

बस कन्डक्टरों द्वारा थानों में बसों का विवरण दर्ज करने के सम्बन्ध में

५३१. श्री सोहनलाल भटनागर

(श्री सोहनलाल भटनागर)

(सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किन किन जिलों में बसों की रूट पर पड़ने वाले थानों व पुलिस चौकियों पर आने जाने वाली स्टेट केरेज के कन्डक्टरों को गाड़ी नंबर व सवारियों की संख्या वगैरह दर्ज कर दस्तखत करने पड़ते हैं ?

(ख) ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत कराया जाता है ?

(ग) क्या इस बारे में सारे राजस्थान में समान रीति बरती जाती है ?

यातायात मंत्री विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) केवल जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और चित्तौड़ ज़िलों में कन्डक्टरों और ड्राइवरों को पुलिस थानों व चौकियों पर रजिस्ट्रेशन व सवारियों की संख्या दर्ज करानी पड़ती है। झालावाड़, नागौर, डूंगरपुर और झुंझनूं ज़िलों से यह सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है कि वहां ऐसी प्रथा है या नहीं। राजस्थान के बाकी ज़िलों में ऐसी प्रथा प्रचलित नहीं है।

(ख) ऐसे कोई नियम नहीं है। यह केवल पुरानी प्रैक्टिस के आधार पर किया जाता रहा है।

(ग) जी नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस प्रथा को बन्द करने की सरकार सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो पुलिस चौकी पर ठहरने से सामान का चैकिंग हो जाता है, दूसरी तरफ ज्यादा भीड़ के कारण यात्री तंग हो जाते हैं उनको जरा आराम मिल सकता है यह दूसरा एस्पेक्ट है फिर भी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : विचार की कोई आवश्यकता नहीं जब कोई कानून ही नहीं तो क्यों रोका जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : पुरानी स्टेट्स में जिस समय कि इन्टीग्रेशन नहीं हुआ था, उन स्टेटस में इस प्रकार के इन्स्ट्रक्शन्स हैं इसलिये अभी तक वे इन्स्ट्रकशन्स चले आ रहे हैं।

श्री सम्पतराज (अकलेरा) : क्या यह सही है कि जब मोटर बीच में रोक ली जाती है तो पुलिस के लोग मुफ्त में सैर कर लेते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे उसका सम्बन्ध न जोड़े। पुलिस को मोटरें चैक करने का अधिकार है लेकिन उस चैकिंग का वे दुरूपयोग कर लेते हैं, यह बात दूसरी है।

श्री सम्पतराज : ऐसा कभी कभी होता है यह बात नहीं, रोजमर्रा पच्चीसों पुलिस के लोग मोटरों के अन्दर सफर करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब इस बारे में शिकायत आती है तो उस पर गौर किया जाता है।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : इस दिकयानूसी प्रैक्टिस को इन्टीग्रेट करने का सरकार का विचार है या नहीं और सरकार सारे ज़िले में एक प्रणाली लागू हो, इस पर विचार करेगी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर विचार करेंगी।

श्री मदनसिंह : जब कानून नहीं तो फिर बन्द करने में क्या बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपसे निवेदन कर दिया कुछ स्टेट्स में इस प्रकार की प्रैक्टिस चली आ रही है और उसके लिये अब सारे राजस्थान में क्या किया जाय इस पर विचार हो रहा है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या आप यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये इन्स्ट्रक्शन्स ही हैं, या प्रैक्टिस भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्स्ट्रक्शन्स भी हैं, और प्रैक्टिस भी है।

किशनगढ़ नगर का मिडिल स्कूल भवन

४३२. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़ शहर की मिडिल स्कूल की इमारत इतनी खराब है कि उसमें वर्षा में पानी चूता है और उसकी छत वगैर के गिरने की सदैव ही आशंका बनी रहती है, जिससे बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है ?

(ब) यदि हां, तो क्या इसकी दुरुस्ती शीघ्र ही करा दी जावेगी।

(स) क्या यह इमारत छात्र संख्या के हिसाब से पर्याप्त है ?

(द) यदि नहीं, तो क्या सरकार किशनगढ़ में दूसरी इमारत किराये पर लेने का या किसी सरकारी इमारत को दुरूस्त करा के इस स्कूल को दूसरे भवन में स्थानान्तरित करने का इरादा रखती है ?

(प) यदि हां, तो यह कार्य कब तक हो जावेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से)

(अ) जी हां। यह एक पुरानी इमारत है। इसके चन्द कमरों की छत से भारी बरसात में पानी आता है। उन कमरों के बच्चों को दूसरी कक्षाओं के साथ बैठा दिया जाता है।

(ब) पी० डब्ल्यु० डी० विभाग अजमेर, मरम्मत करने की कार्यवाही कर रही है।

(स) जी नहीं।

(द) किशनगढ़ में मकानों की कमी के कारण स्थानान्तरित करना संभव नही है।

(प) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या जब वर्षा होती है तो लड़कों को छुट्टी दे दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : छुट्टी तो नहीं दी जाती, दूसरी कक्षाओं के कमरे में बैठा दिया जाता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मेरे मकान के पास ही स्कूल है मैं देखता हूँ बरसात होने पर उनको छुट्टी दे दी जाती है। उनके लिये मकान की कमी है सरकार दूसरा मकान लेना नहीं चाहती ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तो मरम्मत करवा रहे हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपका मकान ही नहीं तो मरम्मत का सवाल कैसे पैदा होता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब हमने किराये पर ले रखा है तो उसकी मरम्मत भी करवा सकते हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गवर्नमेन्ट के खिलाफ डिक्री हो गई है, अब तो वह मकान खाली करना होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप सूचना दे रहे हैं । तो फिर अब दूसरा मकान लेकर दूसरे में शिफ्ट करेंगे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गवर्नमेन्ट क्या करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जैसे आप फरमा रहे हैं कि डिक्री हो गई तो कुछ न कुछ इन्तज़ाम तो सरकार करेगी ही ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मकान खाली करके गलियों में घूमना पड़ेगा बरसात के मौसम में, पहले की तरह ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह स्थिति नहीं आवेगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आवेगी । चार साल से यही हालत चली आ रही है तो इस साल भी यही होगा । यह तो हालत होने वाली है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान आॅम्र्ड कॉन्सटेबुलरी व मेवाड़ भील कोर का व्यय

५३३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान राज्य में आॅम्र्ड कॉन्स-टेबुलरी व मेवाड़ भील कोर में कितने जवान काम करते हैं ?

(२) इनका वार्षिक खर्च सन् ५८ व ५९ का अलग अलग कितना है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ५२७४ आॅफिसर हैड कॉन्स्टेबिल व कॉन्स्टेबिल आर. ए. सी. और ३७५ आॅफिसर हैड कॉन्स्टेबिल व कॉन्स्टेबिल एम.बी. सी, में इस समय काम कर रहे हैं ।

(२) वार्षिक खर्चे के आंकड़े निम्न लिखित हैं ।

वर्ष	आर. ए. सी.	एम.बी.सी.
१९५७।५८	६४८९३३०.१५	३०८५९८.१६
१९५८।५९	४६६५२६८.०२	२०६०९४.२५

नवम्बर, ५८ तक

(३) जी नहीं, यह सत्य नहीं है ।

प्रश्न संख्या ५३४

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

आसीना कृषि सहकारी समिति

५३५. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) आसीन (ज़िला भीलवाड़ा) कृषि सहकारी समिति के कौन कौन सदस्य हैं, किस ग्राम के हैं तथा किस किस आयु के हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या इस समिति को सरकार की ओर से कुछ ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना तथा किन शर्तों पर ?

(३) क्या यह सही है कि इस समिति की अनेक अवैधानिक कार्यवाहियों के कारण इस ग्राम की जनता बड़ी परेशान है तथा उसने इस सम्बन्ध में सरकार को कई प्रार्थनापत्र भी दिये हैं ?

सहकारी मन्त्री, (श्री नाथूराम मिर्धा) (१) उत्तर के लिये सूची परिशिष्ट 'क' अवलोकनीय है, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) आसीन कृषि सहकारी समिति को कलेक्टरी भीलवाड़ा से, १०,०००) तकावी ऋण अक्टूबर सन् १९५७ में ट्रेक्टर खरीदने के लिये मिला था। इसके अनुसार समिति ने ट्रेक्टर खरीद रक्खा है।

(३) इस समिति के कार्य के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखें)

श्री दयाकृष्ण विजय : यह रकम किन शर्तों पर दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रेवेन्यु विभाग से दी गई है। कृषि विभाग से नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब आप उत्तर दे रहे हैं तो इसका भी उत्तर आप दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उन शर्तों का पता इस विभाग को नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या सरकार को यह भी मालूम है कि कलेक्टर यह कह चुका है कि यह जमीन गलत ढंग से ली गई है और रुपया भी गलत ढंग से लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जानकारी मुझे नहीं।

श्री मदनसिंह : क्या यह भी सही है कि जितनी जमीन मांगी थी, उससे अधिक जमीन इन्होंने जबर्दस्ती दबा रक्खी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ३०० बीघा दी और उनके पास इतनी ही है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह किस नियम के अनुसार लोन दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये आप रेवेन्यू विभाग से पूछिये।

श्री श्रीभानसिंह : यह को-ऑपोरेटिव फार्मिंग के लिये है या किस लिये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये मैं ज्यादा नहीं कह सकता। रेवेन्यु विभाग ही कह सकता है क्योंकि लोन उसी ने दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : इसके लिये रेवेन्यु विभाग लोन नहीं देता, इसको कोई स्पेशल लोन ग्रान्ट किया है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा ही लगता है । विशेष जानकारी करने पर ही कुछ कह सकता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : इसके सदस्य क्या ऐसे हैं कि रेवेन्यु विभाग पर इन्फलुएन्स डालकर यह अनियमित लोन लिया है, क्या ऐसे ले सकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप रेवेन्यु विभाग से पूछिये ।

श्री श्रीभानसिंह : उन्होंने ट्रेक्टर के लिये लोन लिया, इसके लिये एग्रीकल्चर विभाग देता है । तो क्या यह रेवेन्यु विभाग ने नियमों की अवहेलना कर के कोई स्पेशल लोन ग्रान्ट किया है ? यह मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय और इसके लिये कृषि मन्त्री से ही पूछ सकते हैं । रेवेन्यु से कैसे करें । उनको रेवेन्यु को फोरवर्ड कर देना था अगर ऐसा था तो या उनको रेवेन्यु से इस तरह की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : यह विभाग कृषि मन्त्री का तो है नहीं । अब रुल्स में या किसी में किसी तरह की रियायत की गई है यह तो रेवेन्यु वाले ही बता सकते हैं ।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : इस सूची में कितने ऐसे हैं जो कृषि मज़दूरी पर और केवल कृषि पर निर्भर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो इन्डिविजुअल मेम्बर को तो जानता नहीं । कुछ आदमियों ने सहकारी समिति बनाई; वह रजिस्टर्ड हुई और उन्होंने लोन मांगा और वह दे दिया गया इतना ही हमारा सम्बन्ध है और वह मैंने निवेदन किया ।

श्री मदनसिंह : अगर मन्त्री महोदय को यकीन हो जावे कि यह गलत ढंग से जमीन पर काबिज़ हैं, तो लोन वापिस लेने को तैयार हैं वे ?

श्री अध्यक्ष : यह सारा मामला रेवेन्यु विभाग ने किया है । आप उनसे पूछिये ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ऐसा नियम नहीं है क्या कि ऐसी सहकारी समिति में इतने पर्सेन्टेज इस काम को करने वालों की होनी चाहिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किसके लिये कह रहे हैं । मेरे ख्याल से ट्रेक्टर चल रहा है, खेती हो रही है । ३०० बीघा में से ८० बीघा जो खराब जमीन थी उसको सुधार करके जोत में ली है । सब मेहनती हैं, काम करने वाले हैं । मैं तो यही कह सकता हूं । आप कहते हैं नहीं है, तो जांच करावें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार नियमानुसार लोन ग्रान्ट करने से पहले जैसे जानती है कि जमीन पर अधिकार उनको मिल गया है या नहीं, तो वह जांच यहां कराई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि रेवेन्यु विभाग से लोन लिया गया, जमीन उन्होंने अलॉट की है । आप उनसे पूछिये । हमने तो सोसायटी को रजिस्टर, भर किया है ।

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हमारे काम में कहीं खराबी नहीं है । सब ठीक हैं ।

श्री मदनसिंह : लोन देने से पहले जमीन सही तरीके से मिल गई या नहीं, यह नहीं देखा ?

श्री अध्यक्ष : यह तो रेवेन्यु विभाग बतावेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने तो चार हज़ार रुपया कोऑपरेटिव बैंक से दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : रजिस्टर करने से पहले क्या आप यह नहीं देखते कि कितने लोग इसमें खेती करने वाले हैं, मजदूर हैं क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें अब खेती करने वाले और हिम्मत रखने वाले आदमी हैं । खेती करने वाले हैं, तभी तो सहकारी समिति बनाई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : शेअर होल्डर कौन कौन हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसकी लिस्ट मौजूद है । कानून के मुताबिक रजिस्टर किया गया है । अब अगर कोई निश्चित बात आप बतावें तो उसकी जांच भी करें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : लोन देने से पहले क्या यह जांच कर ली थी कि कानूनन जमीन मिल चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मिल चुकी क्या, एक्चुअल उनके पज़ेशन में है । ट्रैक्टर वहां चल रहे हैं । अब सहकारी विभाग की यह ड्यूटी नहीं कि वह यह सभी देखे ।

श्री भैरोंसिंह : केवल रजिस्ट्रेशन का ही प्रश्न नहीं है । आपने चार हजार का लोन दिया । अब उसकी भी रैन्ट्रल पोज़ीशन है, इसकी क्या विभाग ने जांच करा ली ? उस जमीन पर कानूनन सहकारी समिति का अधिकार होना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो शार्ट टर्म लोन है । हम तो एक फसल के आधार पर लोन दे सकते हैं । २६ आदमियों को चार हज़ार का लोन दे दिया है तो वह लोन प्रोपरली सिक्योर्ड है, हम यह मानते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : दे सकते हैं या नहीं इस सम्बन्ध की जांच होनी चाहिये । जिस जमीन पर हम बीज, खाद वगैरह का लोन दे रहे हैं उस जमीन पर भी लोन लेने वाले का कानूनन अधिकार है या नहीं यह तो देखना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बता दिया जमीन उनके पजेशन में है । उस पर वह फसल कर रहे हैं अब उस पर उनका पज़ेशन राइट है या रोंग इस में इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता हमें नहीं थी ।

श्री श्रीभानसिंह : सरकार ने क्या यह भी मालूम किया कि उनका खुद का इन्वेस्टमेन्ट कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर । उनका १० हज़ार का है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जमीन दूसरे की साबित हो गई तो ?

Page No.11

श्री अध्यक्ष : हो गई तो, यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : उस हालत में अगर लोन दिया तो वह कैसे सिक्योर है अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष : आप बिल्कुल हाईपोथेटिकल क्वश्चन पूछते हैं। अगर शिकायत है तो आप पहले शिकायत करके देख लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : ऐसा नियम है कि किसी को लोन देने से पहले यह देखा जाय कि जो मिल्कियत उसकी कही जाती है उस पर उसका हक भी है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री श्रीभानसिंह : हमने प्रोड्यूस पर शार्ट टर्म लोन दिया है....यह कहा

श्री नाथूराम मिर्धा : दिया है नहीं, दे सकते हैं, यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : He said he can go even to that extent.

श्री भैरोंसिंह : वे कहते हैं, पर रुल्स में ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसका तस्फिया तो यहां बैठ कर होगा नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून में हमने चेन्ज किया है। हम प्रोड्यूस के बेसिस पर, सब टिनेन्ट को भी दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मन्त्रीजी यह बता सकते हैं कि यह लोन कब दिया था?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

प्रश्न संख्या ५३६,

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५३७

श्री बृजेन्द्रपाल

(अनुपस्थित)

आर्टस स्कूल, जयपुर

५३८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) आर्टस स्कूल, जयपुर के शिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों की उच्चतम योग्यता को देश में किन किन आर्टस स्कूल्स के समकक्ष माना जाता है?

(२) क्या यह सही है कि आर्टस स्कूल, जयपुर के विद्यार्थियों को शिक्षण के पश्चात् कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता, जिसके अभाव में उनका शिक्षण व्यर्थ है?

(३) राजस्थान सरकार ने जयपुर आर्टस को संरक्षण देने की दृष्टि से अब तक क्या क्या कदम उठाये हैं?

(४) क्या यह सही है कि आर्टस स्कूल, जयपुर को संगीत विद्यालय के अन्तर्गत लगा रखा है तथा संगीतज्ञ प्रिंसिपल महोदय के रुच्याभाव के कारण जयपुर आर्टस निरन्तर अधोगति को जा रहा है?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(५) क्या आर्टस स्कूल, जयपुर को संगीत विद्यालय से अलग कर, सरकार जयपुर आर्टस को विशेष संरक्षण देने का विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) : (१) आर्टस स्कूल, लखनऊ, बाम्बे व कलकत्ते के समकक्ष माना जाता है और युनिवर्सिटी के नियमानुसार यहां के निकले हुए विद्यार्थी ९ वीं व १० वीं कक्षा को ड्राइन्ग लिखा सकते हैं ।

(२) जी हां, उनको कोई प्रिन्टेड प्रमाणपत्र नहीं दिया जा रहा है लेकिन प्रिन्सिपल की तरफ से पास होने पर टाइप किया हुआ प्रमाणपत्र दिया जा रहा है, जिसके आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं । उचित प्रमाणपत्र देने की आगे कार्यवाही की जावेगी ।

(३) इसकी उन्नति के लिए राजस्थान-ललित कला अकादमी की स्थापना की गई और समय समय पर चित्रकला आदि प्रदर्शनियां भी की गई, जिसमें कलाकारों को इनाम घोषित किए गए ।

(४) चित्रकला विभाग तथा संगीत विभाग दोनों मिलाकर राजस्थान कला संस्थान के नाम से है । प्रिन्सिपल के लिए दोनों विभाग बराबर हैं दूसरे ललित कला अकादमी की स्थापना से उसकी उन्नति अवश्य होगी ।

(५) यह विषय सरकार के विचाराधीन है और इसके लिए योजना बनाई जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार यह समझती है कि जिन विद्यार्थियों को किसी प्रकार का, किसी विद्यालय का, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है वह विद्यार्थी कहीं पर कोई नौकरी पा सकने में समर्थ है ?

श्री अध्यक्ष : वह टाइप किया हुआ, प्रिन्सिपल का मिलता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : किसी रिकॉग्नाइज्ड विद्यालय का सर्टिफिकेट नहीं हो और किसी विश्वविद्यालय से एफीलीयिटेड नहीं हो, तब तक उसकी क्या मान्यता होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तक जो प्रेक्टिस थी वह मैंने आपको बता दी और आगे के लिए कह दिया गया है कि सर्टिफिकेट दिलाने की कार्यवाही जारी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : किसी रिकग्नाइज्ड विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र नहीं मिलने से विद्यार्थियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है । क्या वह नौकरी प्राप्त कर सकते हैं ? इसके लिए पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको उचित प्रमाणपत्र मिलें आइन्दा के लिए जिसके ऊपर सरकार सोच रही है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके लिए सरकार कब से सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से स्कूल कायम है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसके ऊपर अब से पहले क्यों नहीं विचार किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सुझाव दिया उसके पहले से ही विचार कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह स्कूल किसी विश्वविद्यालय से रिकॉग्नाइज्ड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि यह लखनऊ और बाम्बे के आर्टस स्कूलों के समकक्ष माना जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। रिकॉग्नीशन होना एक चीज़ है और उनके समकक्ष होना दूसरी चीज़ है।

श्री अध्यक्ष : युनीवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड तो है ही।

श्री दयाकृष्ण विजय : न तो युनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है और न कोई प्रमाणपत्र देते हैं और न कोई प्रिन्सिपल है। इस स्कूल के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि अब तक जो प्रेक्टिस थी वह मैंने बता दी और अब आयन्दा एफीलियेटेड करके प्रमाणपत्र दिलाने की कार्यवाही जारी है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा माननीय सदस्य और क्या सूचना चाहते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : अध्यक्ष महोदय, मैंने सन् १६५७ में भी यही प्रश्न पूछा था उस समय भी मन्त्री महोदय ने यही उत्तर दिया था कि हम कार्यवाही कर रहे हैं और अब भी यही जवाब दिया जा रहा है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

प्राक्कलन समिति द्वारा पलाना खान के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों के अनुसार कार्य न किये जाने के बारे में

५३६. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) क्या सिचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन सन् ५३ में राज्य सरकार को यह सुझाव दिया था कि पलाना खान पर प्रथम श्रेणी का इंजिनियर रखा जाये ?

(२) क्या समिति की राय के मुताबिक पलाना खान के विकास के प्रति दिये गये सुझावों का पालन न होने से, अकेले बीकानेर पॉवर हाउस में ६ लाख रुपये प्रतिवर्ष ज्यादा लगे ?

उप मन्त्री सिंचाई विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जी हां, यह प्रश्न इससे पहले ही सरकार के विचाराधीन था १६—१२—५७ से एक प्रथम श्रेणी का माइन्स मैनेज़र नियुक्त कर दिया गया है।

(२) प्राक्कलन समिति के दिए हुए सुझाव को पूरा करने में सरकार भरपुर कोशिश करती रही है। परन्तु खान में कोयले का उत्पादन कम होने से बीकानेर बिजलीघर को बाहर से कोयला मंगवाना पड़ा उसके फलस्वरूप सन् १६५४—५५ में लगभग ५६०००) रुपया व १६५५—५६ में लगभग १६००) रुपया अधिक खर्च हुए और अब कोयले की पूर्ति करने के लिए दूसरी एक नई

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जगह दो खानें खोदकर कोयला निकालना नवम्बर १६५८ से शुरू किया गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर १६५३ से ५७ तक जब सुझाव रखे गये थे तो चार साल तक फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेजर क्यों नहीं रखा गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी वजह यह थी कि पहले सन् १६५५ में श्री रामकृष्ण गुप्ता को फर्स्ट क्लास मैनेज़र नियुक्त किया गया, लेकिन उन्होंने जोइन नहीं किया । इसके बाद में सन् ५५ में ही श्री विनाशचन्द्र श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया और इन्होंने भी जोइन नहीं किया । इनके बाद सन् १६५६ में श्री प्रकाश नारायण वर्मा को अपॉइन्टमेंट दिया गया, परन्तु इन्होंने भी जोइन नहीं किया और अब आखिर में १६–१२–५७ को फिर श्री सहल को फर्स्ट क्लास माइन्स मैनेज़र मुकर्रर किया गया । याने तीन साल तक किसी ने भी जोइन नहीं किया, इसका कारण यह था कि उन्होंने दारख्वास्तें दीं कि वह आने के लिए तैयार हैं, उनका अपॉइन्टमेंट कर दिया गया है और फिर वह नहीं आये । अब उनके नहीं आने का कारण तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि वह क्यों नहीं आये न कि मेरे से ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर): क्या यह सही है कि उन्होंने तनख्वाह ज्यादा मांगी थी, और सरकार ने उनको नहीं दी और यही उनके न आने का कारण है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हो सकता है ।

श्री चन्दनमल वैद : हो सकता नहीं यह बिल्कुल फैक्ट है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि हो सकता है जितनी तनख्वाह वह मांगते थे, वह सरकार नहीं देती हो और जब वह उस तनख्वाह में नहीं आना चाहते थे तो उनको दर्ख्वास्त ही नहीं देनी चाहिए थी ।

श्री चन्दनमल वैद : क्या यह सही है कि अब जो मिस्टर सहल को रखा गया है उनको ज्यादा तनख्वाह पर रखा गया है जो कि पिछले तीन आदमियों को ऑफर की गई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, हो सकता है ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सरकार कोयला उत्पादन में क्या क्या नवीनतम कदम उठाने की सोच रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्दनमल वैद : क्या यह सही है कि प्राक्कलन समिति ने यह कहा है कि ६ लाख रुपये के घाटे को सरकार ने नामन्जूर नहीं किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं समझा नहीं आप कौन से ६ लाख रुपये की बात कर रहे हैं । अगर इसके बारे में स्पेसिफिकली पूछें तो मैं बता सकता हूं ।

श्री चन्दनमल वैद : प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि ६ लाख रुपये का घाटा जो सरकार को गया है, उसे गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया ?

Page No.15

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में तो मैं जानकारी करके बता सकता हूँ कि ९ लाख रुपये किस बात का घाटा था और सरकार ने उसका क्या निर्णय लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पूछा है कि सरकार को पलाना खान के विकास के प्रति दिये गये सुझावों का पालन नहीं करने से ९ लाख रुपये का घाटा रहा है, यह अगर सरकार के ही अधिकारियों ने नहीं कहा तो फिर प्राक्कलन समिति इस नतीजे पर कैसे आती कि ९ लाख रुपये का घाटा हुआ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ही दूसरा सवाल है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरे प्रश्न में साफ लिखा है कि क्या समिति की राय के मुताबिक पलाना खान के विकास के प्रति दिये गये सुझावों का पालन न होने से अकेले बीकानेर पॉवर हाउस में ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष ज्यादा लगे? यहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है और आप कहते हैं कि दूसरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपने (श्री रिखबचन्द धारीवाल) पार्ट (२) का क्या उत्तर दिया है?

श्री रिखबचंद धारीवाल : प्रश्न है समिति की राय के मुताबिक पलाना खान के प्रति दिये गये सुझावों का पालन न होने से अकेले बीकानेर पॉवर हाउस में ९ लाख रुपये प्रतिवर्ष ज्यादा लगे। इसके लिए मैंने निवेदन किया है कि खान में कोयले का उत्पादन कम होने से बीकानेर बिजलीघर को बाहर से कोयला मंगवाना पड़ा उसके फलस्वरूप सन् १९५४-५५ में लगभग ५६०००) रुपया व १९५५-५६ में लगभग १६००) रुपया अधिक खर्च हुये और अब कोयले की पूर्ति करने के लिए दूसरी एक नई जगह दो खानें खोद कर कोयला निकालना, नवम्बर, १९५८ से शुरू किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा सवाल यह है कि क्या यह सच है कि प्राक्कलन समिति ने १९५८ में जो पलाना कोयले की खान की रिपोर्ट दी उसमें लिखा है कि सरकार को ९ लाख रुपये का घाटा होने की वजह से सरकार ने कोई प्रतिवाद नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : अब तो उसका प्रतिवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना घाटा नहीं हुआ है।

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने यह निवेदन किया है कि जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सन् १९५४-५५ में ५६,००० रु० और १९५५-५६ में १६०० रुपये सरकार को ज्यादा खर्च करने पड़े, बाहर से कोयला मंगाने के लिए।

श्री मुरलीधर व्यास : इससे पहले कोयला कहां से मंगवाना पड़ता था?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ५४०

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास

(अनुपस्थित)

सेवा मुक्त वरिष्ठ लेखक उद्योग विभाग

५४१ डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) उद्योग विभाग में कितने अपर डिविज़न क्लर्कों को दिनांक ३०—४—५६ को सेवा से मुक्त किया गया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कमिश्नर इन्डस्ट्रीज़, जयपुर ने उक्त आदेश को अवैध बतलाया था ? यदि हां, तो उन क्लर्कों को अभी तक न तो वेतन और न पेन्शन की व्यवस्था की गई है ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त क्लर्कों का वेतन भी बकाया है ? यदि हां, तो उनके प्रति क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उपमन्त्री उद्योग विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बिजलीघरों के सामान की जांच

५४२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बिजलीघरों के सामान की जांच सरकारी तौर पर कभी की गई है ?

(२) क्या सत्य यह है जांच करने पर किसी बिजलीघर में सामान अधिक व किसी में कम पाया गया ?

(३) यदि हां, तो वह कहां कहां पर व कितनी कीमत का अधिक या कम पाया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो सामान इस प्रकार से कहीं पर कम और कहीं पर अधिक पाया गया इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिए हमने एक एरियर्स इन्क्वायरी कमेटी अपॉइन्ट की है जो हर एक पॉवर हाउस को सप्रेटली एग्ज़ामिन कर रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सच है कि इसके अन्दर कई लाख रुपयों की घटत पाई गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह लिस्ट सदन की मेज़ पर रख दी है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जो रिपोर्ट आई है, उस पर एक एरियर्स इन्क्वायरी कमेटी अपॉइन्ट की है और वह एग्ज़ामिन कर रही है अगर कहीं शार्टेज है तो वह किस की और कैसी है।

Page No.17

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर): यह कमेटी कब अपॉइन्ट की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : १६ अक्टूबर को।

श्री चंदनमल वैद : कौन से साल में ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मुझे ठीक तरह मालूम नहीं।

श्री चंदनमल वैद : १६ अक्टूबर तारीख तो मालूम है साल का पता नहीं वाह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अगर इस कमेटी का यही रेफरेन्स है जिसके लिए मि० चतुर्वेदी को अपॉइन्ट किया गया, कि पॉवर हाउस को देखकर रिपोर्ट सबमिट करें, तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : एक कमेटी पहले बन चुकी है। यह कमेटी वह नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद्य : उनके सुझावों पर क्या अमल किया गया, उस पर क्या व्यवहार किया गया, यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

तहसील कोटपुतली के जागीर इलाके तक अध्यापकों का फिक्सेशन

५४३ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व खेतड़ी तहसील कोटपुतली के जागीर इलाके के अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों तथा अब यह फिक्सेशन कब तक कर दिया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(क) जी हां।

(ख) जल्दी से जल्दी।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि इसी सदन में तीन दफा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इसके बारे में यह जवाब दिया है कि उनके कागज़ात ए० जी० ऑफिस में जा चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने अर्ज किया कि देर लगने के कुछ कारण हैं। अध्यापकों का फिक्सेशन करके उनके कागज़ात तैयार करके ए० जी० साहब के कार्यालय में भेज दिये गये, किन्तु ए० जी ऑफिस से सरकार के अधीनस्थ लेने और अध्यापकों की पोस्टिंग की अलग स्वीकृति चाही गई थी। स्वीकृति देरी से हुई इसलिए फिक्सेशन में देरी हुई। अब वह कार्यवाही कर दी गई है और मन्जूरी होते ही फिक्सेशन कर दिया जायगा।

श्री रामकरणसिंह : जितने भी टेकन ओवर स्कूल हैं उनके सबके लिए यह जो जगहें थी अध्यापकों की अलग क्रियेट करने के लिए मांग की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल ठीक है और जितने भी स्कूल लिये गये हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उनकी नई पोस्ट्स क्रियेट की गई हैं। क्रियेट करने की मन्जूरी नहीं हुई थी, इसलिए ए० जी० ने सेन्क्शन नहीं दी। मन्जूरी हो गई है तो ए० जी० के यहां से भी सेन्क्शन हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : किस स्टेज़ पर कागज़ हैं ? ए० जी० या हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट के पास में हैं ?

श्रीदामोदरलाल व्यास : ए० जी० के यहां से मन्जूरी चाही गई थी पोस्ट्स क्रियेट करवाने के लिए। उसकी कार्यवाही की जा रही है। उसकी स्वीकृति होते ही वह हो जायगी। स्वीकृति के लिए एजूकेशन डिपार्टमेंट के यहां, ए० जी० के यहां से कागज़ वापस आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : एजूकेशन डिपार्टमेंट में कब से हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : महीना या वर्ष बता दें।

श्री अध्यक्ष : कब से हैं और कब ए० जी० के ऑफिस से रिर्टन हुए हैं यह उन्हें मालूम नहीं है। एजूकेशन डिपार्टमेंट में कार्यवाही हो रही है।

श्री रामकरणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ से यह मामला चल रहा है जिसके लिए कई दफा यहां सदन में पूछा गया था तो यह उत्तर मिला था कि कागज़ात ए० जी० साहब के यहां और ए० जी० साहब से पूछा तो उन्होंने इन्कार किया इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि कागज़ किस समय ए० जी० साहब के यहां से वापस रिर्टन हुये और उसको कितने दिन हो गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं, अध्यक्ष महोदय, जवाब दे चुका हूं, I have already said कि ए० जी० के यहां से रिर्टन हुए हैं। एजूकेशन डिपार्टमेंट में किस तारीख को आये यह मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न संख्या ५४४

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

भीलवाड़ा में स्माल स्केल इन्डीस्ट्रीयल लोन

५४५ श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा में किन किन व्यक्तियों को सन् ५८ में स्माल स्केल इन्डस्ट्रियल लोन दिये गये हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या शारदा प्रेस को भी लोन दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कब ?

(ग) क्या यह सही है कि जिस दिन लोन दिया गया था उस दिन इसके मालिक वहां नहीं थे और लोन लेने के बाद उनके पुत्र ने पिता के स्थान पर पिता के हस्ताक्षर किये हैं।

(घ) क्या यह सही है कि इस प्रेस के मालिक सरकारी सर्विस भी करते हैं ?

उप मन्त्री वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) भीलवाड़ा में जिन व्यक्तियों को सन् ५८ में उद्योगों के लिये ऋण दिया गया उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) जी हां। ६,०००) रु० दिनांक २२-३-५८ को दिये गये हैं।

(ग) दिनांक २२-३-५८ को ट्रेजरी का पास शुदा बिल श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी को दिया गया और इस रोज़ वह वहां थे। चूंकि लोन का रुपया सीधा बैंक से प्राप्त किया गया इसलिये उनके पुत्र द्वारा अपने पिता के हस्ताक्षर करके रुपया इस विभाग से प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : प्रश्न (घ) के भाग का उत्तर क्या दिया आपने ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जब वह सरकारी सर्विस में हैं तो इन्डस्ट्रियल लोन किस आधार पर दिया गया है ? क्या यह सर्विस रूल्स के खिलाफ नहीं होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी ने प्रार्थनापत्र दिया था लोन लेने के लिए। तहसील द्वारा इसके वैरीफिकेशन की रिपोर्ट हुई, उस वैरीफिकेशन रिपोर्ट में इनको सरकारी कर्मचारी होना दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद में उद्योग अधिकारी के पास सिफारिश के लिए वैरीफिकेशन की रिपोर्ट आई तो उसके ऊपर ऋण दे दिया गया बाद में यह मालूम होने पर कि श्री त्रिवेदी राज्य के कर्मचारी हैं, इसकी आवश्यक जांच कराई जा रही है, और अगर राज्य कर्मचारी होते हुए उन्होंने इस रुपये को प्राप्त किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : जो आवेदनपत्र दिया गया, उसमें क्या श्री चन्द्रशेखर ने जो अपना एड्रेस लिखा है इस बात को लिखा है कि वे तहसील में कर्मचारी हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह लिखा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात सही है कि आवेदन पत्र के अन्दर जो उन्होंने नाम लिखा है वह इस प्रकार है 'चन्द्रशेखर त्रिवेदी, क्लर्क तहसील फलां' ? इसके बावजूद भी एन्क्वायरी की जरूरत है कि वे कर्मचारी हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं था शायद।

श्री भैरोंसिंह : 'शायद' मत कहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझे पहले निवेदन कर देने दें।

श्री भैरोंसिंह : अच्छा आप कहिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि तहसील में अगर वहां कोई इस प्रकार की चीज़ लिखी हुई है, तो उसका पता नहीं, लेकिन तहसीलदार ने जो उद्योग अधिकारी के पास भेजा उसमें इनका सरकारी कर्मचारी होना दर्ज नहीं था। इतनी बात

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

जरूर है कि उद्योग अधिकारी को कब मालूम नहीं था कि वह सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : उद्योग अधिकारी को कब मालूम हो गया था कि वे सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह प्रश्न आया उसके बाद में मालूम किया गया तब पता चला कि दरअसल में वे सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार का एक प्रश्न राजस्थान विधान सभा के पिछले सत्र में किया था तो उस समय सरकार ने इन्कार किया था कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया था कि वे सरकारी कर्मचारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : पिछली बार जब पता लग गया था उस समय से लेकर अब तक उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ उनसे पूछा गया है कि यह जानते हुए भी कि ये सरकारी कर्मचारी हैं यह लोन कैसे लिया। क्यों न उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय। और किस प्रकार से उन्होंने यह लोन प्राप्त कर लिया है। इस सारे बारे में कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : उनकी तरफ से कोई उत्तर आया कि नहीं। कि गलती किस प्रकार से हुई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैं इस स्टेज पर नहीं बता सकता। इसकी जानकारी प्राप्त कर लूंगा। शायद उनके द्वारा कोई लैटर आया हो, लेकिन इतनी बात जरूर है कि सरकारी कर्मचारी होते हुए लोन प्राप्त किया है। यह दरअसल उद्योग विभाग को मालूम नहीं था, वरना उसी वक्त लोन नहीं दिया जाता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह ठीक समझती है कि जिस व्यक्ति ने अनधिकृत रूप से लोन प्राप्त किया है उनके विरुद्ध प्राइमाफेसी की काफी शहादत है तो उसको सस्पेन्ड किया जाय।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आखिर में उनका जबाब तो लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जब आप खुद कह रहे हैं कि....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरा जवाब तो आप सुन लें। मैंने निवेदन किया कि बहरहाल जो कुछ भी हो उनका जवाब तो लेना ही पड़ेगा बिफोर सस्पेन्शन सस्पेन्शन की कार्यवाही करने में शो काज़ नोटिस होता है और पूरी कार्यवाही होती है, उसके बाद ही तो कार्यवाही की जा सकती है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर शहर पूर्व) : क्या सस्पेन्शन के लिए शो काज़ नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आवश्यकता है। सिविल सर्विस रूल्स में यह कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार को इत्मी-

(श्री भैरोंसिंह)

नान है कि वह सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारी इन्डस्ट्रियल लोन नहीं ले सकता है उस पर भी उसने इस प्रकार की इर्रेग्युलेरिटी की है तो इसमें कौनसी दिक्कत आ रही है कि उनको तुरन्त ही सस्पेन्ड नहीं कर दिया जाय ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि आखिर में उनका एक्स्प्लेनेशन तो लेना ही पड़ेगा। वह किस तरह से उस चीज़ को एक्स्प्लेन करते हैं। उनका एक्स्प्लेनेशन आने के बाद में सरकार निर्णय ले सकती है।

श्री भैरोंसिंह : तो सस्पेन्शन के लिए यह क्या आवश्यक है कि उनका एस्प्लेनेशन लिया जाय, अगर प्राइमाफेसी यह जानते हों तो ?

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही करना तो उचित है लेकिन जल्दी कर दें। नोटिस वगैरह दे रहे हैं वह प्रोसीज़र के मुताबिक कार्यवाही है। लेकिन माननीय सदस्यों की इच्छा और राय है कि जल्दी ही एक्शन लिया जाय तो ठीक हो।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जल्दी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय एक क्वेश्चन और है। क्या यह सही है कि तीन वर्ष जिसकी उम्र है उसको भी लोन दे दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह इसमें है और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : 'अश्रव्य'

श्री भैरोंसिंह : एक आदमी जिसकी उम्र ३ वर्ष की है उसको भी १० हज़ार का लोन दे दिया है...

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : यह सवाल नाबालिग है।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : आपकी तरफ का उत्तर तो बालिग है।

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां।

(हंसी)

जयपुर से कानोता तक बिजली

५४६ हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर सु०) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जयपुर से कानोता तक बिजली के लिये सरकार द्वारा योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
(क) जी नहीं।

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना की विद्युतिकरण योजनाओं को ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया है। कानोता पहली पंचवर्षीय योजना में नहीं था।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कब तक योजना हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई उम्मीद नहीं।

लूणकरणसर में सेलोलाइट की खानों का पट्टा

५४७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या वाणिज्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) लूणकरणसर ज़िला बीकानेर की सेलोलाइट की खानों का पट्टा कितने वर्षों के लिये तथा किन शर्तों पर दिया गया है। कृपया लीज़ डीड की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(२) अब तक उपरोक्त शर्तों का पालन क्यों नहीं किया गया ?

उपमंत्री वाणिज्य विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सेलोलाइट खान का पट्टा ५.२.५७ से २० वर्ष के लिये दिया गया है।। मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

(क) डेडरेन्ट : २५००० रू० वार्षिक।

(ख) रायल्टी २ रू० ८ आ० फी टन।

(ग) प्लास्टर ऑफ पेरिस का कारखाना लगाने हेतु लीज़ डीड बहुत बड़ा है अतः प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी जा सकती।

(२) स्टेट गवर्नमेन्ट ने गत वर्ष सेलोलाइट के विक्रय करने हेतु कम्पनी पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ताकि कम्पनी प्लास्टर प्लॉन्ट लगाने की शीघ्रता करे। हाल ही में कम्पनी को प्लान्ट के विषय में लिखा है जिस पर कम्पनी के प्लास्टर प्लान्ट शीघ्र ही लगाने का उल्लेख किया है।

श्री भीमसेन : कब लगाने के लिये लिखा था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डेट मेरे पास नहीं है लेकिन अलबत्ता उनको इस बारे में लिखा गया कि प्लास्टर प्लान्ट लगाया जाय और उन्होंने जवाब दिया है कार्यवाही करने का।

श्री भीमसेन : शर्त के मुताबिक प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लान्ट पहले ही लगना चाहिये था। इतने वर्ष तक नहीं लगा उसके लिये गवर्नमेन्ट ने क्या एक्सशन लिया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : माननीय सदस्य को एग्रीमेन्ट बता दिया गया है उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनको लाज़मी तौर पर प्लान्ट लगाना ही पड़ेगा। सेलोलाइट के लिये यह शर्त है कि वे बाहर भेज सकते हैं और गवर्नमेन्ट अनरीजनएबली मना नहीं कर सकती। सेलोलाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के काम में आता है अब गवर्नमेंट ने देखा कि उनको यह कह दिया जाय कि सेलेलाइट बाहर नहीं भेज सकते तो नेचुरली वे प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लान्ट लगावेंगे। बाकी ऐसी शर्त नहीं है कि एग्रीमेन्ट के बिना पर हम उनको कम्पेल कर सकें कि तुमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लान्ट नहीं लगाया है इसलिये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट किया है।

श्री भीमसेन : एग्रीमेन्ट में यह बात साफ है कि कुल निकाला जायगा वह प्लास्टर के लिये निकाला जायगा।

सिविल एन्ड एडीशनल सेशन्स जज, सिरोही के पास पैन्डिंग मुकदमात

५४८. श्री वेनाराम गहलोत (खाल्ची-श्री मूलचन्द डागा की ओर से) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सिविल एन्ड एडीशनल सैशन्स जज़, सिरोही के पास कुल कितने फौज़दारी व दिवानी अपीलों के मुकद्मात पैन्डिंग हैं ?

(ख) क्या सरकार बाली व देसूरी तहसीलों की सिविल अपीलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पाली में ट्रान्सफर करने का विचार रखती है ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : वहां दिनांक १ जनवरी १६५६ को ४ क्रिमिनल तथा २७ सिविल अपीलों के मुकद्मे पैन्डिंग थे।

(२) ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री वेनाराम गहलोत : क्या सरकार महसूस नहीं करती कि सिरोही जाना लोगों के लिये मंहगा पड़ता है और समय लगता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग जुरिस्डिक्शन है ।

छात्रवृद्धि अभियान

५४६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) छात्रवृद्धि अभियान में प्रत्येक ज़िले में कितना इनाम रखा गया ?

(२) ज़िला बीकानेर में कौन से गांव को छात्रवृद्धि अभियान में प्रथम पारितोषिक देने का निर्णय किया था ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांव को पंचायत द्वारा आवश्यक शर्तों के पालन करने का आश्वासन लिखित में देने के बावजूद भी अभी तक इनाम नहीं दिया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से) :

(१) छात्रवृद्धि अभियान में ज़िला स्तर पर एक २,५०० रू० का इनाम रखा गया है।

(२) बीकानेर ज़िले की तहसील बीकानेर के गांव सैररां को छात्रवृद्धि अभियान में ज़िले का सबसे अच्छा गांव ज़िला विकास समिति द्वारा घोषित किया गया।

(३) इस इनाम की रकम से अध्यापक के लिये क्वार्टर बनवाये जावेंगे । विकास विभाग की ओर से समस्त जिलों के इस प्रकार के गांवों की सूचना आने पर क्वार्टर्स बनवाने की रकम प्रत्येक जिलाधीश को अलॉट की जावेगी। रकम की मंजूरी दी जा रही है।

श्री भीमसेन : क्वार्टर बनाने के लिये रकम कब तक दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि सब फेक्ट्स आ गये हैं सैंकशन की जा रही है।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्शियल इयर समाप्त हो रहा है, कब देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इससे पहले ही।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर दयाल।

(अनुपस्थित)

मिडिल व हाई स्कूलों के फिज़िकल इन्सट्रक्टर्स का फिक्सेशन

५५१ **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या मिडिल व हाई स्कूल के फिजिकल इन्स्ट्रक्टर्स का फिक्सेशन हो गया है।

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की ओर से)

(१) जी हां।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह माना जाय कि मिडिल या हाई स्कूल्स में जितने फिज़ीकल इन्सट्रक्टर्स हैं उनका फिक्सेशन हो गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, मैंने अर्ज किया।

श्री रामकरणसिंह : क्या फिक्सेशन के एरियर का पैसा सब को को मिल गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एरियर का पैसा सब को मिला या नहीं इसकी सूचना मेरे पास नहीं है जो प्रश्न पूछा उस का उत्तर मैंने दिया। किसके बारे में आप जानना चाहते हैं इसके लिये अलग प्रश्न पूछें।

ऊन सफाई व कताई केन्द्र बीकानेर

५५२ **श्री मूलचन्द डागा** : (पाली-श्री गिरधारी लाल द्वारा पूछा गया) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बीकानेर में ऊन सफाई व कताई का केन्द्र कब स्थापित किया गया तथा उस पर आज तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई और उससे सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

(ख) उक्त केन्द्र में कितनी कितनी कीमत की कौन २ मशीनें इस समय काम में लाई जा रही हैं ?

(ग) केन्द्र पर प्रतिवर्ष कितना रूपया व्यय होता है ?

उप मंत्री वाणिज्य विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) यह केन्द्र मार्च सन् १९५४ में स्थापित किया गया। इस पर आज तक १,९३,८५५ रू० व्यय हुआ है। अभी तक इससे ७६० रू० की आय हुई।

(ख) इस केन्द्र में जो मशीनें काम

Page No.25

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में लाई जा रही हैं उनका ब्योरा निम्न प्रकार है।

नाम मशीन	कीमत
१. वूल कार्डिंग युनिट	३६,००० रू०
२. विलो	५,५००
३. टीजूर, मशीन	४,२५०
४. हाड वेस्ट ओपनर	८,७००
५. मिलिंग मशीन्स (३)	२,०२५
६. हाड्रो एक्सट्रेक्टर	३,००१
७. पॉवर मोटर्स (२)	१,८८६
८. फाइबर रजिंग मशीन	४,६५०
६. क्लोथ वार्शिग मशीन	५,२७५
१०. वरटीकल बोयलर	५,८००
११. रिंग स्पीनिंग फ्रेम	१३,२५०
योग	रू० ६०,६३७

(ग) केन्द्र पर प्रतिवर्ष १७,२०० रुपया वार्षिक व्यय होता है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या सरकार नये केन्द्र दूसरी जगह खोलने का विचार रखती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं, अभी नहीं।

श्री दलपतसिंह : क्यों नहीं जब कि वहां पर बहुत सी भेड़ें हैं और एवरेज देखा जाय तो दूसरी जगह जहाँ केन्द्र खोले गये हैं वहां से अधिक हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कार्डिंग और फिनिशिंग सेन्टर बीकानेर में खोला गया है उससे प्रतीत होता है कि ऊन के सामान के लिये या फिनिशिंग के लिये मुनाफा जब तक ऊन की काफी आमद न हो तब तक कमर्शियल बेसिस पर चलाकर मुनाफा होता नहीं है और नुकसान भुगतना पड़ेगा इसलिये जब तक एग्ज़ामिन नहीं करलें मुश्किल है।

प्रश्न संख्या ५५३

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५४

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सख्या ५२०

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सख्या ५३७

श्री ब्रिजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सख्या ५५०

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

Page No.26

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामेश्वरदयाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

११. ५६ म० प०

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६, पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,३१,२३,००० रू० की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई ।

इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे :

कि मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १) रू० की कटौती की जावे (इन्स-पेक्टर्स से ऊंची पोस्ट पर आवश्यकता से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १००) रू० की कटौती की जावे (प्रतापगढ़ तहसील में पुलिस की ज्यादतियों पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १)रू० की कटौती की जावे (बीका-नेर में पुलिस कस्टडी में इन्द्रचन्द सुनार की मौत पर विचार करने हेतु)"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १००) रू० की कटौती की जावे विशेष आई० जी०, पी० भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के पद को रखने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १००) रू० की कटौती की जावे (पुलिस संगठन की अव्यवहारिकता पर विचार करने हेतु)"

श्री शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६- पुलिस में १) रू० की कटौती की जावे(ज़िला भीलवाड़ा में पुलिस की ज्यादतियों पर विचार करने हेतु)"

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६— पुलिस में १)रू० की कटौती की जावे (भरतपुर ज़िले में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में असफल होने पर बहस के लिए)"

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे :

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस में १) की कटौती की जाये (जालौर ज़िले में पुलिस कर्मचारियों का अनैतिक व्यवहार करने हेतु)"

Page No.27

(श्री अध्यक्ष)

"माग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस में १) की कटौती की जावे (तहसील सांचोर के गांव दुठवा में गड़े हुए धन की प्राप्ति के सम्बन्ध में पुलिस की लापरवाही पर बहस करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में १००) रू० की कटौती की जावे (किले जात व तोपखाने पर खर्च किये जाने वाली राशी पर विचार हेतु)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस में १) की कटौती की जावे (पुलिस विभाग के कर्मचारियों में अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६ पुलिस में १) की कटौती की जावे (उदयपुर ज़िले में पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)"

श्री जनार्दन राय नागर प्रस्ताव करेंगे:

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में १) की कटौती की जावे (एन्टी करप्शन की कार्यवाही की मौजूदा पद्धति की दोष पूर्णता पर बहस करने हेतु)"

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में एक रूपये की कटौती की जावे (पुलिस कर्मचारी की चिकित्सा व्यवस्था पर वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में सौ रूपये की कटौती की जावे (ग्राम अजीतपुर में हुई डकैती में असफलता प्राप्ति पर बहस करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में एक रूपये की कटौती की जावे (आर० ए० सी० में नियुक्त डॉक्टरों के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे : 'Demand No. XIII Major Head 29 Police be reduced by Rs. 1/-(to discuss dissatisfaction among the Police officials regarding promotions)'

'Demand No. XIII, Major head 29 Police be reduced by Rs. 100/- (to discuss the excesses of the Police department)'

श्री तेजाराम गहलोत प्रस्ताव करेंगे :

'Demand No. XIII Major head 29 Police be reduced by Re.1/- (to discuss the failure of Police to stop Cattle lifting in PaliDistt.)

Demand No. XIII Major head 29 Police be reduced by Re. 1/- (to discuss corruption and inefficiency in investigation of cases)'

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस में एक रूपये की कटौती की जावे (बोर्डर की रक्षा पर जो पुलिस फोर्स रखने पर जो खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से वसूल किये जाने पर बहस करने के लिए)"

डॉ० चन्द्रकला प्रस्ताव करेंगी :

कि "माग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में एक रूपये की कटौती की जावे (सिपाहियों का वेतन स्तर ऊँचा करने के सम्बन्ध में विचार विनिमय पर बहस करने हेतु)"

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) की कटौती की जावे (नरेशों के प्रसादों पर नियुक्त रक्षी के सम्बन्ध में वाद विवाद करने हेतु)"

"मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रू० की कटौती की जावे (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की निष्क्रियता तथा निरर्थकता पर वाद विवाद करने के लिए)"

श्री सूबेदारसिंह प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९ पुलिस में १) की कटौती की जावे (भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर होने वाले व्यय पर बहस करने हेतु)"

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे कि :

'Demand No. XIII Major head 29 Police be reduced by Re.,1/- (to discuss dissatisfactory arrangements made for conducting Police cases from Prosecution side in the subordinate courts)'

'Demand No. XIII Major head 29 Police be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Govt. to construct Police Station Building at Salumber)'

'Demand No. 13 Major head 29-Police be reduced by Re. 1-/ (to discuss wasteful expenditure incurred over Police guards posted at the residences of Ex-Rulers, Commissioners, Collectors, etc.)'

श्री मोहरसिंह प्रस्ताव करेंगे कि :

'Demand No. XIII Major head 29' Police de reduced by Re. 1/- (to discuss corruption prevailing in the police department of Churu)'

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रूपये की कटौती की जावे (पुलिस के सिपाहियों के साथ उनके अधिकारियों के असन्तोषजनक व्यवहार पर विचार करने के लिए)'

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रूपये की कटौती की जावे (पुलिस विभाग के ऑफिसरों पर खर्च की मात्रा में की गई बढ़ोतरी पर विचार करने हेतु)"

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे :

कि "मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस में १) रू० की कटौती की जावे (चूरू तथा बीकानेर ज़िले के कुछ थाने व चौकियों में कमी करने तथा उनका पुनर्गठन करने पर बहस करने हेतु)"

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग पर अपने तीन कटौती प्रस्ताव दिये हैं और पहला प्रस्ताव मेरा जो है वह खास कर राजस्थान में पुलिस अधिकारियों पर अधिक व्यय किस प्रकार हो रहा है उसके सम्बन्ध में है और दूसरा जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रस्ताव है वह प्रतापगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने किस प्रकार से चितौड़गढ़ में गड़बड़ियां की हैं और साथ ही साथ तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है पुलिस कस्टडी में बीकानेर में इन्द्रचन्द सुनार की मौत पर विचार करने हेतु। मैं सब से पहले सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के बजट में खासकर के पुलिस के और बजट है उसमें किस प्रकार धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस सम्बन्ध में हमारे गृह मंत्री जी ने यद्यपि बहुत सी बातें बताईं और उससे बहुत कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वाकई पुलिस का बजट बढ़ा है और उसका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इस संबंध में पूरी छानबीन की और हिसाब लगाया तो महसूस हुआ कि राजस्थान पुलिस का बजट वाकई बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे बढ़ा है। अन्य प्रान्तों के पुलिस बजट की तुलना में भी हिन्दुस्तान के किसी भी इलाके को ले लीजिये राजस्थान पुलिस का बजट हिन्दुस्तान के समस्त प्रान्तों में सबसे अधिक बढ़ा है।

१२ म० प०

यह जो वस्तुस्थिति है, उसको हम किस प्रकार से गुमराह करें और कहें कि इन कारणों से खर्च बढ़ा है, आप कहना चाहते हैं कि तीन मेन कारणों से खर्च बढ़ा है। आपने तीन मेन कारण दिये हैं, उनमें एक है कि अजमेर राज्य राजस्थान में मिला, इस कारण से खर्च बढ़ा। इसके साथ ही साथ हमने उन लोगों को अलॉउन्स दिया, मंहगाई के भत्ते में बढ़ोत्तरी की, इसलिए खर्चा बढ़ा। इस प्रकार एक दो बातें प्रमुख बताई जा रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान बनने से पहले, जिस समय १९४९ में राजस्थान बना उस समय हर एक राज्य में पुलिस कर्मचारी थे, उनका किस प्रकार खर्च बढ़ा हुआ था। राजस्थान बना, उस समय हमने स्कीम तैयार की, वह स्कीम यह थी कि राजस्थान बनने के बाद एकीकरण होगा और एकीकरण होने से राजस्थान का खर्चा कम होगा और हर विभाग के अन्दर खर्च की कमी होगी और जन कल्याणकारी कार्यों में अधिक धन लगा सकेंगे। यह बड़ा उसूल माना गया और इसकी आवश्यकता थी। इस दृष्टि को लेकर आम लोगों ने महसूस किया कि राजस्थान एक होना चाहिए। यह भी स्वाभाविक बात थी कि राजस्थान में जनतंत्रिक प्रणाली हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि अलग अलग जो खर्चा होता था, वह राजस्थान एक होने से जन कल्याण में अधिक लगाया जायगा। यह सबसे बड़ी बात रखी गई। उसके बाद १९५१ का बजट देखा और १९५९ तक हम आते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बराबर बजट बढ़ा है। १९५०-५१ के अन्दर २,१७,८४,८३८ रुपये रखे गये, उसके बाद १९५१-५२ में यह खर्चा २ करोड़ ४० लाख हुआ, १९५२-५३ में वह बजट २ करोड़ ७५ लाख रुपये का हुआ, १९५३-५४ में वह करीब ३ करोड़ हो गया और उसके बाद में १९५४-५५ में वह २ करोड़ ९३ लाख का बजट हुआ। तो जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो मालूम होता है कि बजट बराबर बढ़ा है और न पहले कोई मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया था, न अजमेर शरीक हुआ था। परन्तु प्रारम्भ से लेकर आगे तक, पांच साल तक जाते हैं, तो यह स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि यह बजट बराबर बढ़ता जा रहा है। इस बजट में इसके लिए दो तीन बात रखी गई जिनके कारण से बजट बढ़ा, ये कारण

(श्री मुरलीधर व्यास)

पहले थे नहीं जब कि बजट में २ करोड़ से तीन करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इसका कारण यह है कि पहले जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे, उसके अन्दर बड़े अधिकारी थे, उनकी बढ़ोतरी धीरे धीरे होती गई और छोटे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई। राजस्थान सरकार की घोषणा के अनुसार वेतन में एक दफा बढ़ोत्तरी की थी वह इस आधार पर की कि ३०० के वेतन ५०० रुपये तक गये और ७०० रुपये के वेतन १२०० तक हो गये। इस प्रकार २ हज़ार रुपये तक बढ़ोत्तरी हुई थी। जो ऊंचे वेतन पाने वाले कर्मचारी थें, उनके वेतन बढ़ाये गये थे। इसके साथ पहले जितने अधिकारी थे, उनकी संख्या भी बढ़ाई गई, विभाग बढ़ाये गये। इस प्रकार खर्चे में बढ़ोत्तरी हुई। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान बनने के बाद सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए थी कि राजस्थान एक बने, उसके बनने के बाद किस प्रकार पुलिस का संगठन करें, राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कितने डिविज़न हैं, उनके साथ साथ पुलिस कर्मचारियों को किस तरह एडजस्ट करें, जिससे कि पुलिस का खर्चा कम होता और उसकी व्यवस्था ठीक तरह से होती, परन्तु वह बात हुई नहीं और हमारा खर्चा बढ़ता गया और यहां तक बढ़ा कि १९५१–५२ में २ करोड़ १७ लाख रुपये का बजट था और अब जो मांग रखी गई है, यह सवा चार करोड़ की है यानि दुगने के करीब खर्चा बढ़ गया। इसके अलावा आगे कोई पूरक मांग आ जाय और बजट और बढ़ जाय। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान का पुलिस बजट बराबर बढ़ा है और इसमें बड़े अधिकारी ज्यादा से ज्यादा बढ़े हैं, उनकी ग्रेड बढ़ी है, उनके वेतन बढ़े हैं। अगर यह मान लें कि ठीक बात है कि बजट इसलिए बढ़ा है कि १९५६ तक क्योंकि सरकार ने छोटे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की है, अलॉउन्स दिये हैं। लेकिन इस बात को लेकर खर्चा नहीं बढ़ा। सबसे बड़ा कारण यह कहना चाहिए कि राजस्थान नें जो विषमता के अन्दर कमी करने के लिए बड़े कर्मचारियों के वेतन के अन्दर कमी करने का प्रस्ताव लाना चाहिए था लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी उसमें उनके वेतन की बढ़ोत्तरी की थी। उसमें बड़े अधिकारियों के वेतन स्तर को बढ़ाया गया, उनके महगाई भत्ते को बढ़ा दिया, उसके परिणाम स्वरूप हमारा पुलिस बजट बढ़ा। यह तरक्की हुई पांच साल के अन्दर कि जहां विषमता कम होनी चाहिए थी, वेतनों में कमी होनी चाहिए थी, इस ओर कदम उठाना चाहिए था, वह न होकर और वेतन बढ़ाया गया। हमारे समाजवादी सिद्धान्त में सबसे बड़ी बात और काम यह होना चाहिए, आज के युग में यह बुनियाद है कि अगर आपको समाजवाद की ओर बढ़ना है तो छोटे कर्मचारियों की ओर नजर डालनी चाहिए, जिस कर्मचारी को ३० रुपये तनख्वाह मिलती है, जो कम से कम पाता है, उसकी तरफ नज़र डालते हैं। उनके वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी करते हैं, उससे आपका बजट बढ़ता है तो हम मानते हैं कि ठीक बात है, आपने कुछ न कुछ विषमता के अन्दर कमी करने के लिए कदम उठाया। जो १९५१ से लेकर १९५४ तक एक करोड़ रुपया खर्च बढ़ा, उसका कारण यह है कि ऊंचे अधिकारियों के वेतन में बढ़तोरी हुई, ऐसे अधिकारियों की संख्या

(श्री मुरलीधर व्यास)

में बढ़ोत्तरी हुई। आप यह देखिये कि राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें कितने कर्मचारी हैं। राजस्थान की १६५६ की रिपोर्ट जो प्राक्कलन समिति ने दी है, उसमें संख्या दी है, आई. जी. पी. १, डी. आई. जी. पी. ६, एस. पी. ४२, डी. एस. पी. १२८, इन्स्पेक्टर १७३, सब इन्स्पेक्टर ११८१, एडीशनल इन्स्पेक्टर १५६, हैड कॉन्स्टेबिल ३५११२ और कान्स्टेबिल २२०४६ ये १६५६ के आंकड़े हैं, इनसे अन्दाज़ लगता है कि राजस्थान में इतने अधिकारी हैं। देखा यह जाना चाहिए कि राजस्थान में कितने ज़िले हैं, अगर यह समझा जाय कि एक ज़िले में एक एस. पी. रखते हैं तो राजस्थान में २६ एस. पी. रखने चाहिए, इसी प्रकार डी. एस. पी. की संख्या देखी जानी चाहिए। इसके अलावा जो इन्स्पेक्टर, सब इन्स्पेक्टर हैं, उनके बारे में देखना चाहिए। अभी तक सब इन्स्पेक्टर की संख्या ११८१ है। इस प्रकार मैं सोचता हूं कि यह संख्या जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस प्रकार से बढ़ोत्तरी होती है कि राजस्थान के अन्दर इतने जिले हैं, इतने डिवीजन हैं, उनका हिसाब होना चाहिए। प्राक्कलन समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, १६५६ में कहा था कि राजस्थान में पुलिस के खर्च के अन्दर कमी करने के लिए यह होना चाहिए कि जितने डिविज़न हैं, हैड क्वाटर के डी. आई. जी. हैं, इनके कार्यालय में कमी करनी चाहिए और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में कितने अधिकारी होने चाहिए, उसमें भी हिसाब रखना चाहिए और उस हिसाब से संख्या को कम करना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से सुझाव दिये हैं कि इस प्रकार डी. आई. जी. के कार्यालय में से कुछ कमी की जायेगी तो दो लाख की बचत होगी, इतना कर दिया जाय तो बचत होगी। तो जो सुझाव रखे गये थे, उन सुझावों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैं सोचता हूं कि राजस्थान को अगर सही मायने में आपको जनतंत्र की ओर बढ़ाना है, तो जनतंत्र का उसूल यह है कि जैसे जैसे हम जनतंत्र के नज़दीक जाते हैं, जनतांत्रिक व्यवस्था को मुल्क के अन्दर सफल करना चाहते हैं, तो अधिकारियों की संख्या में कमी होती जाय और जनता के चुने हुए नुमाइन्दे ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करें। लेकिन यह खर्चा एक प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक वे में होता है, लाल फीताशाही बढ़ती है, उससे किसी प्रकार कल्याणकारी योजनाओं को लाभ नहीं पहुंचता। यह बुनियादी बात है, कि यदि आपको जनतंत्र को सफल करना है, एक जनतांत्रिक परम्परा के अनुसार काम करना है, लेकिन उसके साथ अगर आप पुलिस का बजट बढ़ाते रहे, तो मैं कहता हूं कि या तो आपकी लाल फीताशाही जो बढ़ रही है, या वह जनतंत्र के ऊपर हावी हो रही है। अगर किसी प्रकार जनतंत्र की तरफ बढ़ना है तो हर हालत में बजट कम होना चाहिए और कल्याणकारी कार्यों के अन्दर खर्च अधिक होना चाहिए। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आपने ऊंचे अधिकारियों के वेतन पर अधिक खर्च किया। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप समझ जाइये, राजस्थान में कॉन्स्टिट्युएन्सी बेसिस पर, डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, डिविज़न के आधार पर इस विभाग की व्यवस्था करें। आप यह मान लें कि राजस्थान में एक हज़ार आदमियों के ऊपर इतनी पुलिस होनी चाहिए। राजस्थान के मुकाबिले में, जिस प्रकार से दूसरे प्रान्तों के आंकड़े दिये हुए हैं, दूसरे प्रान्तों के फिगर्स दिये हुए हैं, उन्हें देख

Page No.32

(श्री मुरलीधर व्यास)

लीजिये :

बिहार में	०.५
उड़ीसा में	०.८
यू. पी. में	१.०

मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार है

राजस्थान में १.३ है।

तो पुलिस की शक्ति राजस्थान में ज्यादा है और यह स्पष्ट है कि दूसरे प्रान्तों से आपका खर्चा ज्यादा है। डेमोक्रेसी में पुलिस कम होनी चाहिये, पर आपका पुलिस पर खर्चा बढ़ रहा है। तो इसे डेमोक्रेटिक ढांचे में ढालना चाहिये कि ५,००० की आबादी पर एक थाना हो, जिसमें इस तरह से सब इन्स्पेक्टर और इतने सिपाही हों। इसी तरह इसी हिसाब से तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस को डेमोक्रेटिक ढांचे में ढालना चाहिये। डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल और दूसरे कार्यालयों की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो राजस्थान में पुलिस की व्यवस्था को ठीक प्रकार से बनाने के लिये कोशिश करें तो यह बजट जो ४ करोड़ का है वह चार करोड़ का न रह कर दो करोड़ तक ही रह सकता है और इस तरह आप दो करोड़ रुपयों की बचत कर सकते हैं। पर इसके लिये बाकायदा कमेटी बनानी पड़ेगी और जिसे इकाई मान ली जाती है कि ५ हज़ार की आबादी पर एक थाना, इतने सब इन्स्पेक्टर और इतने पुलिस के सिपाही होंगे इस आधार पर राजस्थान में सब पुलिस का संगठन करेंगे तो सभी जगह समान रूप से व्यवस्था भी हो सकेगी और हम खर्चे में भी काफी अच्छी कमी कर पायेंगे। पर हमारे यहां इस चीज़ का ख्याल नहीं करके खर्चा बढ़ाया गया है। जिस जिस तरह राजस्थान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई आपने नये नये विभाग खोल दिये।

बजट में देखते हैं कि पुलिस के इस तरह के दो विभाग हैं, एक एन्टी करप्शन विभाग है और दूसरा सी. आई. डी. विभाग, गुप्तचर विभाग है। देखा जाय तो गुप्तचर विभाग का काम क्या है ! एन्टी-करप्शन विभाग का काम क्या है ! क्यों ये दोनों विभाग अलग अलग रखे जाते हैं, एन्टी-करप्शन विभाग और गुप्तचर विभाग इन दोनों की अलग अलग क्या जरूरत है ! अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो यह गुप्तचर विभाग का कार्य है कि इनकी छानबीन कर इनका पता चलाये, इस विभाग के अलग एस. पी. हैं, अलग डी. आई. जी. हैं। इस प्रकार लाखों रुपया इस विभाग में गुप्त रूप से दिया जाता है जिसका हम लोग हिसाब भी नहीं पूछ सकते, मन माने तरीके से यह रुपया खर्च किया जाता है, कोई बताने वाला नहीं।

देखा जाय तो गुप्तचर विभाग और एन्टी-करप्शन विभाग इन दोनों का एक ही कार्य है। गुप्तचर विभाग यदि ठीक तरह से काम करता है तो एन्टी करप्शन की क्या आवश्यकता है पर आज राजस्थान सरकार ने गुप्तचर विभाग को जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में और सामन्तवाद के जमाने में, इस दृष्टिकोण से रखा जाता था कि हमारे खिलाफ कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या भाषण देता है, कौन कहां आता जाता है, यह खबरें उनको दिया करें, उसी दृष्टिकोण से आज गुप्तचर विभाग राजस्थान सरकार द्वारा रखा जाता है। आज के इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

जनतंत्र के युग में इस तरह के गुप्तचर विभाग की क्या आवश्यकता है, जहां कि सारी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया है कि वे शान्तिमय तरीकों से डेमोक्रेटिक तरीकों से कार्य करेंगी। और मान भी लीजिये कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो भी जाती है तो उसके लिये इतना पुलिस फोर्स है। फिर गुप्तचर विभाग के लिये साठ, ७०००००० रुपया क्यों खर्च किया जाता है, इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। पर डेमोक्रेसी की हत्या करने के लिये आप यह गुप्तचर विभाग रखते हैं। मैं बूंदी गया था तो देखता हूं कि एक दो सी. आई. डी. विभाग के व्यक्ति मेरे साथ घूम रहे हैं, हम लोग किस लिये जाते हैं, हमारी राजनैतिक पार्टी है, इसी लिये जाते हैं कि सरकार को बतायें कि बजट क्या है, क्या इसमें होना चाहिये, क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं? कहां किस तरह की गड़बड़ी है, दोष है, उनको किस तरह सुधारा जा सकता है, किस तरह दूर किया जा सकता है, यही सब कुछ मालूम करने के लिये जाते हैं। पर यह सब मालूम करने के लिये गुप्तचर भेजते हैं, लेकिन किसी जगह चोरी हुई तो क्यों चोरी हुई, कौन चोरी करता है, कौन मिल कर चोरी करवाता है, कौन आदमी खान पान की चीजों में मिलावट करता है, इन चीज़ों को मालूम करने के लिये आप गुप्तचर विभाग को नहीं कहते। हमें सब को उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जब आचार्य कृपलानी ने पार्लियामेन्ट में कहा कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे पीछे गुप्तचर विभाग के लोग लगे रहते हैं। आचार्य कृपलानी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके पीछे गुप्तचर विभाग के लोग लगे रहते हैं....

श्री मदनसिंह (दातारामगढ़): क्या यह सब कहने से माननीय सदस्य का मतलब यह है कि पाकिस्तान इतना नजदीक है, फिर भी हमारे यहां गुप्तचर विभाग न रखा जाय?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सदस्य मेरा मतलब नहीं समझे। हमारे मुल्क में कौन छुपा बैठा हुआ है जो पाकिस्तान से सोना लाता है, तस्कर व्यापार करता है, मेरे कहने का मतलब यह है कि गुप्तचर विभाग यह काम कर सकता है, फिर एन्टी–करप्शन विभाग की क्या जरूरत है? जब गुप्तचर विभाग ही यह काम कर सकता है, तो दोनों की जरूरत नहीं। गुप्तचर विभाग से जो काम लिया जाना चाहिये, वह नहीं लिया जाता।

एन्टी–करप्शन विभाग के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि गत वर्ष के अधिवेशन में मैंने सदन में फलौदी के नमक के प्लाट्स के सम्बन्ध में बताया था, पर अभी तक एन्टी-करप्शन विभाग ने उसमें कुछ भी नहीं किया। मैंने उस अधिवेशन में बताया था कि फलौदी में तहसीलदार ने सन् १९५७ में १९५२ की तारीख लगा कर नमक के प्लाटों का वितरण किया। मुझे मालूम है कि मुझे उस समय सदन से निष्कासित किया गया था। जहां तक सदन और पद का सवाल है, उसकी रक्षा करनी चाहिये, पर मैंने महसूस किया कि इस तरह के बड़े मामलों में अधिकारी गड़बड़ करते हैं, ५७ में ५२ की तारीख लगा कर घूंस लेते हैं। मैंने सदन में इस मामले को रखा, सी. आई. डी. विभाग को इसकी खोज करनी चाहिये थी, एन्टी-करप्शन विभाग को इसकी जांच करनी चाहिये थी. पर मैंने जो बात रखी उसकी

Page No.34

(श्री मुरलीधर व्यास)

एन्क्वायरी नहीं हुई । कलेक्टर ने तहसीलदार के खिलाफ एन्क्वायरी खड़ी की, एन्टी-करप्शन को केस गया, हम लोगों ने इसमें जो कुछ बताना था बताया, पर उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैंने उस समय फोटो कापी पेश की थी, दो फोटो कापी पेश की थीं कि प्लाट नम्बर इतना ५४ में वह तहसीलदार उसे खाली बताता है और बाद में ५२ में वही प्लाट दिया हुआ बताया जाता है, फिर वह प्लाट ५२ में कैसे दिया जा सकता है, ५७ में दिया गया ५२ की तारीखें लगा कर दिया गया । मैंने कहा था मथुरादास माथुर, नहीं गोविन्द नारायण माथुर जो फलोदी के तहसीलदार थे, केसरीसिंह को जोधपुर भेज दिया जाता है । एक एक प्लाट पर दस, दस हजार का मुनाफा होता था, तो केन्द्रीय सरकार ने उनको देना बन्द कर दिया । पर ५२ में दिया जा सकता था, पर ५२ में तो वह था नहीं, तो बनावटी तरीके से मोहर लगा कर बनावटी तरीके से नम्बर लिख कर एक कर्मचारी जोधपुर जाता था, और उनके दस्तखत करा कर लाता था ...

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त कर दें, समय कम है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आज कटौती प्रस्ताव भी बहुत हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसी लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जल्दी ही समाप्त करें ।

डॉ० बहादुरसिंह : समय निश्चित कर दें ।

श्री अध्यक्ष : समय तो १० मिनिट का निश्चित है ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो उस सम्पत लाल का प्लॉट दिया गया, गोविन्द नारायण माथुर ने ५७ में ५२ की तारीख लगा कर के दिया । वही मैं आज भी कहता हूं कि सन् ५२ किया हुआ है ५७ की जगह, उसकी फोटो स्टेट कॉपी, जिस आदमी को दिया गया है, उसने मालिकों को पत्र लिखा । मैं दोनों फोटो कॉपी इसलिए रखना चाहता हूं कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार से प्लॉट नं० इतना मिल चुका है और इतना रुपया लगा है, ये आदमी अच्छे हैं, आपको भी प्लॉट चाहिये तो इतना रुपया लगेगा, यह पत्र ५७ में लिखा गया है और उसमें प्लाट ५२ में दिया गया है, ऐसा लिखा है । आप कहेंगे कि कार्ड भी झूंठा ले लिया, लेकिन इसके पीछे सरकारी मोहर है, मैं कोई नया कार्ड तो नहीं छाप सकता । यह ५७ में लिखा गया और ५७ का ही कार्ड है । ५२ में तो पांच नये पैसे नहीं थे । उस आदमी ने लिखा है कि प्लाट मिल गया है इतना रुपया लगा हैं और आप चाहें तो आपको भी मिल सकता है । लेकिन मेरे पहले कहने के बावजूद भी आज तक गोविन्दनारायण माथुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । उसके पीछे नाम लिया था, कि कोई हाथ है, किसी से उनका रिश्ता है । इस पर मुझे कहा गया था कि किसी का नाम न लें । आज भी कहना चाहता हूँ कि रिश्तेदारी की वजह से, ऊपर के दबाव से इतने पक्के भ्रष्टाचार के प्रमाण हैं, अधिक प्रमाण की जरूरत नहीं,

Page No.35

(श्री मुरलीधर व्यास)

एन्टी-करप्शन और कोर्टस में जाकर गवाही दे दी, इस प्रकार आदमी प्लाट बना कर दे देता है, जोधपुर गया और दस्तखत कराये और इस तरह से प्लाट्स दिये। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और लोगों ने लाखों रुपया कमाया है। इस बात को एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को दिये साल भर हो गया लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ। वह गोविन्दनारायण माथुर तहसीलदार है और पहले भी मैंने इसकी फोटो कॉपी पेश की थी उसमें साफ कहा था कि गोविन्दनारायण माथुर है, मोहर लगाई है। प्रमाण प्रस्तुत किये।

लेकिन एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट वहां का वहीं बैठा है और उसने कोई कदम नहीं उठाया जब कि सारी जांच भी हो चुकी है। लोगों ने गवाही दे दी लेकिन मामले को इस प्रकार दबाया जाता है। अगर आप ईमानदार बनना चाहते हैं, तो यह काम पुलिस का है और यदि वह ईमानदारी से, पूरी तरह से काम करें तो दबाने की कोई जरूरत नहीं है। खर्चे में तो एक तरफ बढ़ोत्तरी हो और भ्रष्टाचार में कमी न हो तो मैं समझता हूँ कि यह बुरी बात है। यह उदाहरण मैंने आपके सामने रखा।

दूसरा कट मोशन है पुलिस के खर्चे के विषय में कि वह किस प्रकार बढ़ता गया, यह विभाग भी बड़ा है, ये दो विभाग ऐसे हैं जो एक काम करते हैं, इसमें कमी की जा सकती है और आप इस पर विचार कर सकते हैं।

दूसरा कटोती प्रस्ताव रखा है चितौड़ ज़िले में होने वाली घटनाओं को लेकर। मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण के ऊपर भी वाद विवाद के समय प्रतापगढ़ में घटी घटनाओं का जिक्र किया था और माननीय गृह मंत्रीजी ने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही थीं। मैं चाहता था कि उस चीज़ का जवाब दूं लेकिन उस समय मैंने महसूस किया था कि ऑन दी स्पोट जाकर मैं स्वयं देखूं कि जो मैंने बातें यहां रखी हैं उनमें कहां तक सच्चाई है। इसलिए, मैं इतवार के रोज़ प्रतापगढ़ गया और सारे हालात मैंने देखे। उन दोनों गांवों में भी मैं गया और जो बातें मैंने यहां कही थी उनकी छानबीन की। मैं गृह मन्त्रीजी से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि गलत बातें कह कर प्रशासन में गड़बड़ी करूं। लेकिन जो सही बातें हैं उन पर आप भी ज़्यादा ध्यान दें। किसी अधिकारी ने, किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के खिलाफ, जाति विशेष के खिलाफ कोई गड़बड़ी की है तो आप सख्त कदम उठायें। मैंने श्री बलदेवसिंह आर्य के बारे में बातें कही थीं। वे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री हैं और जहां उनका होटल है, वहीं उससे जुड़ा हुआ पार्टी का दफ्तर है और मोटर मज़दूर यूनियन का भी दफ्तर है। इन बलदेवसिंह आर्य के खिलाफ सरकार ने आरोप लगाये कि यह ऐसे लोगों को पनाह देते हैं जो अफीम का तस्कर व्यापार करते हैं, उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हुआ। तीन दिन में हाज़िर होना था, लेकिन हाज़िर नहीं हो सके तो कुर्की का हुक्म हुआ। तीसरे दिन हाज़िर नहीं होता है तो उसकी दूकान, हमारी पार्टी का ऑफिस और तीसरा मोटर यूनियन का ऑफिस तीनों को उजाड़ दिया जाता है। जैसा मन्त्री महोदय ने कहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

था कि सामान को कुर्क किया लेकिन मैं आज भी स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वहां पर कलेक्टर साहब, एस० पी० साहब गये, उन्होंने वह स्थान देखा। वह फोटो भी मेरे पास मौजूद है, पहले ऑफिस था, बोर्ड लगा हुआ था और वह फोटो भी मौजूद है कि दूकान को तहस नहस कर दिया गया, नीचे का फर्श रहा, सीमेन्ट की मूंडी बनी हुई पड़ी है और लोहे के बार वगैरह हैं, उसके निशान हैं बाकी इसके बाद कुछ नहीं है। तीनों स्थानों को तोड़ दिया। इसलिए तोड़ दिया था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मन्त्री का वह होटल था. वहीं दफ्तर था। यदि यह गलत है तो सदन की मेज़ पर माननीय गृह मन्त्रीजी चाहें तो तीनों कॉपी रखना चाहता हूँ। यह एक कॉपी तो वही है जिसमें कलेक्टर साहब और एस० पी० साहब उस स्थान का निरीक्षण कर रहे हैं। नीचे फर्श है पत्थर का दूसरा कुछ नहीं है। आसपास की दूकान भी है और बीच का हिस्सा बिल्कुल उखाड़ कर ज़मीन से, चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया है। तीसरे दिन इस तरह से उखाड़ कर फेंका है। यह ८-१-५६ को मौके पर खुद कलेक्टर और एस० पी० ने देखा है। दूसरी वह फोटो कॉपी है उसमें पहले सारा दफ्तर बना हुआ है, बाकायदा मकान बना हुआ है, दीवालें, ऊपर टीन का छप्पर था, बोर्ड लगा हुआ है तथा और चीज़ें मौजूद हैं। यदि पुलिस के कर्मचारी ऐसा करने लगे, हो सकता है किसी ने गलती की हो, वहां जाकर, स्थान पर जाकर इस प्रकार तोड़-फोड़ कर दे तो पुराने ज़माने में जैसा लोग कहा करते थे तो वही राज्य आज चल रहा है। कोर्ट में चर्चा चली तो उस आदमी ने कोर्ट में मांग की है कि मेरा स्थान उसी प्रकार से वापिस दिया जाय। एस० डी० एम० लिखता है, फैसले की ट्रू कॉपी मेरे पास है, यह तहस-नहस किया जाय, यह कोई हुक्म नहीं दिया था, कुर्की करने का हुक्म था। यह जो कुछ किया गया है पुलिस के इन्स्पेक्टर के द्वारा किया गया है....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : ये कुछ ऐसी बातें हैं जो महत्व की हैं।

श्री अध्यक्ष : बातें तो हैं, लेकिन आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से कहना चाहता हूँ कि यह घटना हुई है। नाजायज़ तरीके से तहस नहस किया गया है। मजिस्ट्रेट कहता है कि मैंने इस तरह करने के लिए नहीं कहा था। सामान कुर्क किया जा सकता है, दूकान को तहस नहस नहीं करना चाहिये था। इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उसके घरों में जाकर, उनके बच्चे जब रोटी खा रहे थे, उनको बाहर निकाला और उनके घर को ताला लगा दिया। इसलिये जो कुछ किया गया वह बहुत बुरा था।

इसके अलावा बसाड़ा गांव में डी० एस० पी० और एस० पी० ने जाकर वहां मुसलमान परिवारों में गड़बड़ की, किसी लड़की से किसी मुसलमान ने छेड़छाड़ कर ली, जिसने की, वह बहुत बुरा आदमी था और उसने बहुत बुरा काम किया। अगर उसको फांसी

Page No.37

(श्री मुरलीधर व्यास)

की सज़ा भी आप देते हैं तो किसी को हिचक नहीं होगी। किन्तु एक आदमी की जगह, वहां के ७५ परिवारों को लेकर एक साम्प्रदायिक रूप दिया गया। एस० पी० ने उनको गिरफ्तार किया, उनको मारा, पीटा और कई चीज़ों की ज्यादती हुई। यहां तक इस चीज़ को वहां साम्प्रदायिक रूप दिया गया उनके घरों पर हमला किया गया और उनका माल निकाल लिया गया। इसके अलावा जहां किसी की कब्र थी या मकबरा था, उस जगह शिव का मन्दिर बनवा दिया। मैं खुद उस स्थान को देख कर आया हूं। गृह मन्त्रीजी भी जाकर देखलें, जो मैं कहता हूं वह सही है या नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को यह भी कहा गया कि तुम्हारी दाढ़ी साफ कर दी जायगी तिलक लगा लो। इस प्रकार से जो डी. एस. पी. साम्प्रदायिक रूप देते हैं यह बहुत बुरी चीज़ है।

ये प्रतापगढ़ की तीनों बात थी, ये मैंने रख दी और भी कई बातें हैं किन्तु, अध्यक्ष महोदय, बार बार घंटी बजा रहे हैं। मैं एक दो बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है आपने समय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं किया।

श्री मुरलीधर व्यास : एक बात और कह देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिन बातों का पहले जवाब मिल चुका है, उन्हीं को आप दोहराते जा रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस की मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि पुलिस ने इस वर्ष में कुछ अच्छे काम किये हैं। अगर वास्तव में पुलिस के अच्छे कामों के कारण उनका बजट बढ़ता है, तो यह कोई बुरी चीज़ नहीं है। पुलिस बज़ट अगर इस कारण बढ़ता है कि पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं उन्होंने अच्छा काम किया, डाकुओं का सफाया किया, चोरी का पता लगाया आदि इस प्रकार की प्रवृत्ति से अगर पुलिस का बजट बढ़ता है तो किसी को किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहती। लेकिन हमारे राज्य में दूसरी ही प्रकार की स्थिति है अनावश्यक रूप से बहुत बड़ा बोझ राज्य के बजट पर पुलिस की संख्या का बोझ लाद रखा हैं। मैं आपके सामने वे आंकड़े जो प्राक्कलन समिति ने हमारे सामने रक्खे हैं, वे रखना चाहूंगा जिससे आपको पता चल जायगा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हमारे यहां पुलिस की संख्या कितनी अधिक है। बिहार में प्रति एक हज़ार की जन संख्या पर ०५. उड़ीसा ०८. उत्तरप्रदेश १.० मध्यप्रदेश १.० पश्चिमी बंगाल १. और राजस्थान १.३. इन आंकड़ों से यदि राजस्थान की तुलना अन्य प्रान्तों से करें तो हमें पता चलेगा कि वहां के अपराधों और अन्य प्रकार की डकैतियों की अपेक्षा वहां की पुलिस की संख्या हमारे यहां से कितनी कम है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के अपराधों और वहां की पुलिस की संख्या को देखते हैं तो वहां हमारे यहां से ज्यादा संख्या होनी चाहिये। लेकिन वहां पर भी कम है। पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में जहां नई नई प्रकार से डाके डाले जाते हैं और

Page No.38

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उत्तर प्रदेश में जहां नटवरलाल जैसे ठग विद्यमान है, वहां पुलिस की संख्या प्रति एक हज़ार पर एक है। हमारे यहां उसके बदले १.३ हैं। यह ठीक है यहां पुलिस ने एक कल्याणसिंह डाकू मारा है अगर उसी के कारण इतनी संख्या बतायी गई तो यह तर्क संगत बात थी। इसके अलावा पुलिस की संख्या में और पुलिस के बजट में बढ़ोतरी बताना, किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं। एक तरफ तो हम पुलिस की संख्या में बढ़ोतरी देखते हैं और दूसरी तरफ पुलिस के कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है वह इतना थोड़ा है कि उनके पेट भरने लायक भी नहीं मिलता। एक तरफ तो आप पुलिस की संख्या ज्यादा करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि पांच रुपया भी अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें लाखों रुपये का बजट बढ़ जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि यदि आप संख्या में कमी करते हैं तो कम से कम उनको पेट भरने लायक वेतन तो दे सकते हैं। लेकिन आपका पुलिस का जो बजट बढ़ा है, वह इस कारण है कि आपका प्रशासन अच्छा नहीं है। आपने जो रीऑरगेनाइजेशन किया है वह भी ठीक से नहीं हुआ है उसको अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वह कितना अवैज्ञानिक ढंग से हुआ है यह साफ जाहिर हो जाता है। हमारे प्रान्त में पुलिस के चार ज़ोन्स है। अजमेर ज़ोन में एक डी० आई० जी रहते हैं जिनके अन्दर में आठ ज़िले हैं, अजमेर के और जयपुर जैसा बड़ा ज़िला भी उनके अन्दर में है, जहां की १७ लाख की आबादी है। जोधपुर के जोन में ७ ज़िले हैं उसके लिये वहां डी० आई० जी० है। इसी प्रकार उदयपुर और कोटा दोनों डिविजनों को मिलाकर एक अलग पुलिस ज़ोन बनाया है। और चौथा ज़ोन बीकानेर का है जिसके अन्दर केवल तीन ज़िले ही हैं। सभी डी० आई० जी जिनके अन्दर में ये ज़िले हैं वे बनिस्बत बीकानेर के डी० आई० जी से ज्यादा योग्य हैं, ऐसा ही माना जाना चाहिये, क्योंकि उनके अन्दर में केवल तीन ज़िले ही हैं जब कि सात सात और आठ ज़िलों के लिये एक डी० आई० जी रख छोड़ा है। होना तो यह चाहिये था कि हमारे राजस्थान का जो खतरनाक ज़िला है जिसमें अमृतलाल जैसे डाकू रहते हैं, वह कोटा, बून्दी और झालावाड़ का क्षेत्र है। इसके लिये कोटा डिविज़न के अन्दर डी० आई० जी को रहना चाहिये था, वह न करके उस को उदयपुर के साथ मिला दिया। अगर ठीक वैज्ञानिक ढंग से इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता तो कोटा के अन्दर आपको डी० आई० जी रखना चाहिये था और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां रखा गया है और जहां खास तौर से आवश्यकता थी वहां नहीं रखा है। इसके अलावा आर ए० सी० का बटालियन आपने अलग कर दिया है। डी० आई० जी. हैडक्वार्टर डी० आई० जी रेन्ज, डी० आई० जी आर० ए० सी० ये तीनों डी० आई० जी अलग हैं। सिपाहियों की संख्या के कारण बजट बढ़ा हो, यह बात नहीं। बजट पर ज्यादा बोझ उच्च अधिकारियों के कारण है। राजस्थान प्रदेश के अन्दर इतने डी० आई० जी० हैं जितने अन्य जगहों पर नहीं। आप बीकानेर में केवल तीन जिलों के लिये एक डी० आई० जी रखते हैं और दूसरी तरफ आठ-नौ जिलों पर भी एक डी०आई० जी। इसके लिये आप दो भागों में राजस्थान को बांट सकते हैं और डी० आई० जी सेन्ट्रल और डी० आई० जी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सी० आई० डी० को आप अलग रख सकते हैं लेकिन आपने इस ढंग से विचार करने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में हमें कितने डी० आई० जी की आवश्यकता है। इससे तो ऐसा मालूम देता है कि हमारे आई० जी० पी० महोदय सारे राजस्थान के काम को संभालने में असमर्थ हैं, इसलिये, इतने डी० आई० जी को रखा है। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है उस पर सरकार विचार करेगी या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन यह बात सही है कि हमारे पुलिस प्रशासन में बहुत ज्यादा खर्चा बड़े अधिकारियों पर किया जाता है और जिसके कारण यह अवस्था है कि हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं पुलिस के, उनको उचित वेतन नहीं मिल पाता। इसलिये, उनमें असन्तोष है और इससे वे अपना संगठन बनाने का प्रयास करते हैं तब झगड़ा पैदा होता है। आखिर झगड़ा क्यों होता है? क्यों कोशिश करते हैं रिश्वत लेने की। इसलिये कि जहां बड़े अधिकारियों का वेतन देखें और उनके वेतन से सिपाही के वेतन की तुलना करें तो स्वाभाविक तौर से असन्तोष की भावना जाग्रत होती है। एक ओर हम समाजवादी समाज का नारा लगाते हैं पर व्यवहार में हम कितना क्या करते हैं, यह देखना है। केवल यह कह देना कि ३) मैस अलॉउन्स बढ़ा दिया है, कुछ रुपया कहीं दे दिया है तो इससे सन्तोष होने वाला नहीं है। बड़े आदमियों के अलॉउन्स और छोटे आदमियों के अलॉउन्स में भी तुलना करें तो लाखों का अन्तर आवेगा। राजस्थान में, पुलिस के २८ प्रकार के अलॉउन्स हैं। सब को अलॉउन्स है। केवल थाने में थानेदार को अलॉउन्स नहीं रक्खा, आपने। वही अगर वायरलैस के विभाग में ट्रान्सफर हो जाता है या सी० आई० डी० में चला जाता है तो वहां उसको अलॉउन्स मिल जावेगा अब इससे या तो आप यह मानते हैं कि थानेदार को वहां दूसरे जरिये हैं कमाई के और यहां नहीं रहते इसलिये अलॉउन्स बढ़ा देते हैं क्योंकि उनका सम्बन्ध जनता से नहीं रहता इसलिये, ऊपर की आमदनी उन को नहीं होती। तो ये २८ प्रकार के अलॉउन्स हैं। यह प्रशासन का कोई अच्छा ढंग नहीं है। पुलिस में कोई वैज्ञानिक ढंग से सुधार नहीं हुआ। इंगलैंड की पुलिस के बारे में कहा जाता है, पढ़ा जाता है कि जब वे वहां किसी भीड़ को नियंत्रित करने जाते हैं, तो हमारी सरकार की तरह से उनके पास ऐसा कोई हथियार लाठी अश्रु गैस आदि नहीं रहता, न बन्दूक लेकर वे जाते हैं। केवल अपने व्यवहार बड़ी से बड़ी भीड़ को वे कन्ट्रोल में कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह के पुलिस वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार के योग्य आदमी यहां आते नहीं, क्योंकि आप उनको तनख्वाह ठीक नहीं देते। ३५), ४०) रुपया देकर आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं।

इन्टेलीजेन्स ब्रान्च है आपकी। उसका काम यह होना चाहिये, जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे क्राइम का पता लगाएं, बोर्डर पर तस्कर व्यापार होता है उसका पता लगावें, डाकुओं के गिरोह का पता लगावें, भ्रष्टाचार का पता लगावें कौन कौन अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन व्यापारी मिलावट करते हैं खाने पीने की चीजों में, कौन मुनाफाखोरी करता है, अगर ये सब बातें वे करते तो हम समझते कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारा पैसा सही ढंग से खर्च किया जाता है। पर इस प्रकार का काम इनको नहीं बताया जाता। इनका काम यह होता है कि आज भी वे अंग्रेजी शासन काल की तरह राजनैतिक व्यक्तियों या सरकार विरोधी लोगों का पीछा करें। वे प्रत्येक स्टेशन पर मिलते हैं। हम वहां जाते हैं तो निगाह रखते हैं। यह कहां जावेगा, पहले टिकट बाबू से पूछेंगे। वहां से पता लगा तो ठीक नहीं तो उसी आदमी से ही आकर पूछ लेते हैं, कहां जावेंगे। जैसे पहले जमाने में मीणाओं का, सब-मीणों का नहीं, सवाई माधोपुर और कटा वाले बुरा मानेंगे, पर हमारे इधर शेखावाटी में मीणों की हाज़िरी हुआ करती थी। रात को हाजरी किया करते थे कि घर में है या नहीं। यह जरायम पैशा लोगों की हाजिरी होती थी। पर आजकल राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की हाजिरी लिया करते हैं। सरकार पक्ष वालों की जरूरत नहीं ली जाती। पर हमारी आमद रफ्त दर्ज होती है। इसकी डेली रिपोर्ट आती है। तो हमारी सी. आई. डी. का काम यह बचा है। तो इस प्रकार का हमारा ढांचा है। इस को रीआर्गेनाइज करने का सरकार ने विचार किया है क्या? साधारण पुलिस का आदमी ठीक ढंग से लिख पढ़ नहीं सकता तो उसको सी. आई. डी. में दे दिया जाता है। कौन आदमी स्टेशन से आता है कौन कहां जाता है केवल इस बात का पता लगाना है इस काम के लिये सी. आई. डी. जैसा बड़ा विभाग रख रक्खा है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव था राजस्थान में विशेष आई. जी. पी. नियुक्त कर रक्खा है उनकी क्या आवश्यकता है। मेरी मांग है कि उनको यहां से कार्य मुक्त कर देना चाहिये। उनकी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां पहले तो पुलिस का विभाग कमजोर है। सरकार कहती है कि अच्छा है तो भी इनकी आवश्यकता नहीं, आखिर इन्होंने काम क्या किया? इसको भी देखें तो आवश्यकता नहीं है। सदन में इन के काम के आंकड़े मांगे गये कि कितने चालान किये। आंकड़े जितने भी सदन में बताये गये उनसे भी पता लगता है कि उनकी आवश्यकता नहीं। हमारे रुटीन वर्क में जैसा काम होता है वैसा ही होता है। उनके आने के बाद में यह जरूर हुआ कि हमने प्रान्त में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का कदम उठाया है, यह कहने का मौका मिल गया। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बहुत बड़ी बात कही कि हमने इसके लिये बम्बे वाले को बुलाया है। वह भ्रष्टाचार का समूल नाश कर देगा। अब भ्रष्टाचार का नाश हुआ या नहीं, पर हमारे बजट का जरूर नाश हो रहा है पैसे का जरूर नाश हो रहा है। इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में एन्टी-करप्शन विभाग अलग रखने की आवश्यकता नहीं। पहले जैसा चलता था उसी तरह चलने दें, क्योंकि नया ढाचा जो आपने इसके लिये अलग खड़ा किया उससे कोई अन्तर आया नहीं। भ्रष्टाचार मिटा नहीं, नये इन्वेस्टीगेशन कुछ हुए नहीं। कोई नया चालान हुआ नहीं जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, इस प्रकार की कोई गारन्टी मिल गई हो, इस प्रकार की भी कोई बात नहीं है। इसलिये स्पष्ट है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह परीक्षण केवल प्रोपेगन्डा करने के लिये था, सो कर लिया। आपको प्रोपेगन्डा करना था कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सरकार प्रयत्नशील है, सो यह बात सब जगह लोगों ने जान ली, इसकी असलियत का पता सबको लग गया। इनकी नियुक्ति करने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। इसलिये इस खर्चे को समाप्त कर देना चाहिये। सारे पुलिस प्रशासन को रीऑर्गेनाइज़ करना चाहिये ताकि वास्तव में पैसे का ठीक ढंग से उपयोग हो सके।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पुलिस पर अपना कट मोशन पेश किया है। जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है उसको भी मैंने देखा। अध्यक्ष महोदय, इसमें इस वर्ष २४ लाख रुपया अधिक बढ़ाया गया है। पुलिस की आवश्यकता वास्तव में, मैं समझता हूं, उतनी ही ज़रूरी है कि जितनी एक नागरिक के लिये खाना और पानी व कपड़े की आवश्यकता है। इससे भी ज़्यादा महत्व अध्यक्ष महोदय, मैं तो पुलिस को देता हूँ। यदि इस पर हम बजट बढ़ावें, तो मेरे विचार से, मैं इसको अनुचित नहीं समझता, पर उस वक्त जब कि पुलिस अपनी ड्यूटी को पूरी पूरी अदा करे। क्योंकि यदि हमारी शान्ति और सुरक्षा की यदि पुलिस ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं रख सकती तो उस हालत में यदि अपने बजट को आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं होगा। जब हमारी सुरक्षा सुरक्षित नहीं है तो आखिर हम ज़िन्दा रह कर क्या करेंगे। इसलिए सुरक्षा हमारी सबसे अधिक अनिवार्य इश्यू है इसलिए यह महकमा मैं समझता हूं कि बहुत ही आवश्यक महकमा है और इस पर हमारे देश की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियां हैं। लेकिन एक तरफ जहां हम इसके बजट को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं दूसरी तरफ हम इनके फरायज़ को देखते हैं तो अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि पुलिस अपने फरायज़ को पूरी तरह अदा नहीं करती है। यद्यपि प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पेश हुई है उसके आंकड़ों को देखने से लगता है कि अपराध दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। लेकिन दिन प्रति दिन आने वाली घटनाओं से और इस प्राक्कलन समिति के आंकड़ों से यदि मिलान करें तो ऐसा मालूम होता है कि सरकार की तरफ से दिए हुए ये आंकड़े सही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, अपराध कम होने के कई कारण हैं। हो सकता है कि एक तो वास्तविक रूप से अपराध कम हो और दूसरा यह है कि हम अपराधों को रजिस्टर नहीं करें। तो यह मेरे खुद का अनुभव है कि कुछ छोटे मोटे केसेज़ तो वैसे ही हमारी पंचायतों की स्थापना होने के पश्चात उनके पास चले गये हैं। इससे छोटे मोटे अपराध तो अपने आप ही इससे अलग हो जाते हैं और उसके पश्चात भी मैं जहां तक देखता हूँ अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस ने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया है कि जो कोई भी अपनी फरियाद लेकर जाता है। तो उसका केस रजिस्टर नहीं किया जाता है और उसको ठोकर लगा दी जाती है और कह दिया जाता है कि यह विभाग हमारा नहीं और इसके लिए पंचायत के पास जाओ और जब वह पंचायत के पास जाता है। तो पंचायतें भी ठोकर लगाती हैं और कह दिया जाता है कि पुलिस के पास जाइये। कई प्रकार के अपराध तो इस तरह से रजिस्टर ही नहीं होते और जब वह रजिस्टर नहीं होते हैं तो इन आंकड़ों में जो कमी बताई जाती है उसके लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह सही नहीं हैं। इसके पश्चात अध्यक्ष

Page No.42

(श्री शिवचरणदास)

महोदय, जो केसेज रजिस्टर किये जाते हैं। उनमें भी यह देखा जाता है कि पुलिस उनके पता लगाने में कामयाब नहीं रहती है। तो अध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा महसूस होता है कि माननीय सदस्य जो अपने अपने विचार अपने अपने क्षेत्र के सदन के सामने रखते हैं। उनसे ऐसा मालूम होता है कि पुलिस रजिस्टर्ड शुदा मामलों में भी पूरी तरह कामयाब नहीं रहती। मैं कई बार अपने विचार सदन के सामने और माननीय गृह मन्त्रीजी के सामने सुना चुका हूं, लेकिन खेद है अध्यक्ष महोदय, कि बावजूद इसके कि एक क्षेत्र का प्रतिनिधि अपने वहां की घटनाओं को सदन के द्वारा माननीय गृह मन्त्रीजी को एक सुझाव के रूप में पेश करते हैं और ये उस पर ध्यान नहीं देते। तो फिर निश्चित रूप से यह मानना होगा कि विभागीय अधिकारी तो उस पर किस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं बातों को, जिनके लिए कई बार मैं सदन में निवेदन कर चुका हूँ, आपके द्वारा फिर मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूँगा कि एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ऐसे केसेज़ कि जो आज हमारे जीवन से सम्बन्धित हैं, जो कि हत्या और कत्ल के केसेज़ हैं यदि उनमें भी हमारी पुलिस नाकामयाब रहती है तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूँगा कि इस तरह के जब पुलिस विभाग के कार्य हैं। तो फिर उसके ऊपर बजट बढ़ाना या पुलिस विभाग को रखना सर्वथा गैर ज़रूरी समझता हूं और यह समझता हूँ कि यह हमारे नागरिकों के ऊपर बज़ट का बोझा गैर ज़रूरी लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार सदन में निवेदन किया था और वह बहुत बड़ा केस था। विजयनगर के पास जो एक मास्टर की हत्या हुई है और वह शाहपुरा से जब ट्रेनिंग में मास्टर गया है तो वहां से उसको उड़ाया जाता है और दो रोज़ बाद उसकी लाश रेलवे की पटरी में घुसी हुई मिलती है। क्या इस केस का पता लगाने में हमारी पुलिस कामयाब हुई है और अब इसके बाद में दूसरे मौके पर मैं सदन के माननीय सदस्यों को और माननीय गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

सिंगोली, जो कि मांडलगढ़ में है, उसमें भी एक प्रकार की हत्या हुई, उसका पता लगाने में भी हमारी भीलवाड़ा तहसील की पुलिस नाकामयाब रही। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा केस जिसके बारे में मैं निवेदन करूं कि एक नानसे में गाडरी काश्तकार की हत्या की गई है और पुलिस आज दिन तक उसके बारे में भी पता लगाने में नाकामयाब रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् आपके द्वारा मैं सदन को यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक निर्बोध बालक की हत्या हुई और उसमें पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तो यह निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि हमारी पुलिस के कार्यकर्ता अयोग्य हैं या फिर यह कहना चाहिये कि पुलिस उसको बरामद नहीं कराना चाहती। इसलिए यह केसेज़ बरामद नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं समझलूं कि मैंने जो तीन केसेज़ सदन के सामने रखे हैं, हो सकता है कि यह आपसी द्वेष के कारण यह केसेज़ हुए हों लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही है, सदन के सामने उस केस का ज़िक्र करता हूँ। एक ६ वर्षीय बालक को, जिसको किसी से द्वेष नहीं हो सकता, उसकी हत्या कोड़े थाने में बेमाली गांव में हुई है और जहां तक मुझे फैक्ट्स

(श्री शिवचरणदास)

मालूम हैं वे ये हैं कि जिस समय उसकी हत्या की जा रही थी, उस लड़के को फांसी लगाई जा रही थी, वह बहुत देर तक चिल्लाया है और जहां तक मुझे पता लगा तो मालूम हुआ कि वहां के पड़ोसियों ने उसका हाय हुल्ला सुना है और उसको फांसी लगाने के बाद उसको एक कुंए में गिराया गया। लेकिन आज एक साल हुआ उसका पता पुलिस नहीं लगा सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाता कि ६ वर्ष के बालक की हत्या का पुलिस पता नहीं लगा सकी कि वह किस कारण से हुई और किस ने की। मुलज़िमों का पता नहीं लगा सकी, हमारी पुलिस न तो कारण का ही पता लगा सकी कि क्या वजह है कि ऐसे बालक की, जो निर्दोष था, हत्या हुई है।

१ म० प०

इसी प्रकार करेड़ा के अन्दर अभी का एक ताजा केस है, अध्यक्ष महोदय, कि एक हरिजन महिला की हत्या हुई है, और वह एक बड़ी इस प्रकार की हत्या है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे वहां के थाने के थानेदार साहब हैं उनके लड़के बीमार हो जाते हैं। वे स्वयं जादू टोने के बड़े कारीगर हैं, और मुझे अफसोस होता है, अध्यक्ष महोदय, कि यही नहीं, वे यहां तक हैं कि जादू टोने के बहाने न मालूम किस प्रकार की किन किन अच्छी अच्छी हमारे घरों की....वे ही अपराध कर बैठते हैं, जो कि मैं इस सदन में मैं निवेदन करने में संकोच करता हूं। लेकिन उनके लड़के बीमार होते हैं। उस हरिजन महिला को जो कि ५०, ५५ साल की उम्र की थी उसको डाकिन ज़ाहिर करके पुलिस कॉन्स्टेबिल के द्वारा पिटवाया जाता है और पिटवाने के भय से वह कुंए में गिर कर मर जाती है और उस केस में अभी तक उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि हमारे गृह मन्त्री इसका कुछ भी उत्तर दें, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा जिनसे हम नागरिक यह आशा लगाये बैठे हैं, कि हमारी सुरक्षा होगी, आज दिन वह इस जादू टोने के ऊपर अपने लड़के की बीमारी के कारण किसी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं, उस पुलिस से क्या आशाएं रखें और बजट का बेलेन्स आगे बढ़ता जाय। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : समय हो गया।

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनिट में खतम कर देता हूं। इस प्रकार की हत्याओं का आज मुतवातिर लगातार प्रतिदिन का एक कार्यक्रम बन गया है। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि करेड़ा के अन्दर एक वैश्य महिला और एक लड़के की हत्या हुई। लेकिन आज तक पुलिस पता नहीं लगा सकी। ये सारी एक साल के अन्दर अन्दर की चीज़ें हैं, अध्यक्ष महोदय, तो यह अगर मैं सारी कहूं तो सदन का काफी समय व्यय होगा। लेकिन इसके अलावा ऐसे केसेज़ हैं, जैसे बकरी, भैंसे, गायों आदि जो ये चोरी जाती हैं, यह तो रोज़ का, नित्य प्रतिका, कार्यक्रम हो गया है। इसको तो हमारी पुलिस जुर्म मानती ही नहीं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्योंकि बजट में बकरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं इसलिए उसकी चोरी मानती नहीं।

श्री शिवचरणदास : उसके केस दर्ज भी कर लेती है तो आज तक तो एक साल के अन्दर कुछ नहीं हुआ है मैंने एक प्रश्न भी पूछा है, उसका उत्तर आयेगा। वह प्रश्न यह है कि डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़े के अन्दर कितने केसेज़ चोरियों के हुए हैं और कितनों का पता लगाया जा चुका है, तो, अध्यक्ष महोदय, उससे सदन को मालूम होगा कि पुलिस बिल्कुल नाकामयाब रही है।

अब अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष दूसरी बातों पर नहीं जाकर सदन के सामने आपके द्वारा उस बात का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो अभी ताज़ा काण्ड भीलवाड़े के अन्दर हुआ है। उसके बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था उसका उत्तर जो सरकार की तरफ से मुझे मिला है। उससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है,और इस ढंग से सरकार ने उत्तर दिया है कि एक तरफ एक बहुत बड़ा इस तरह का काण्ड है और इसके लिए सरकार अपनी कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझती है। मैं समझता हूँ यह हमारे लिये बड़े दुःख का विषय है। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो मुझे इतला मिली है उसमें ७ व्यक्ति उस बस दुर्घटना के अन्दर मरे हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक समाचार पत्रों से और खास तौर से भीलबाड़े के नागरिकों की ओर से जो सही सूचना मिली है, उससे, अध्यक्ष महोदय, ४० आदमियों की मृत्यु होना पाया जाता है और हमारी पुलिस उसको इस ढंग से दबाना चाहती है कि जिससे सरकार स्वाभाविक रूप से यह कहे कि इसका उत्तरदायित्व हमारे पर नहीं है। अध्यक्ष महोदय कैसे नहीं है? मैं यह पूछता हूँ कि जब बस को पास, पुलिस के द्वारा किया जाता है, उसका टैक्निकली रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा होता है, तो, या तो यह मानना होगा कि जो पुलिस की ड्यूटी है, क्योंकि जैसा कि मुझे समाचार मिला है, उसमें ऐसा बताया गया है, अध्यक्ष महोदय, कि वह बस ओवर लोडेड थी। उसमें कुल ३२ आदमियों की सीट थी और उसमें ५७ आदमी बैठे हुए थे और ११ आदमी छत के ऊपर बैठे हुए थे, उसको रोकने की। मैं पूछता हूँ कि ओवर लोडेड बस के उलट जाने से यह दुर्घटना हुई है उसका सरकार अपने ऊपर उत्तरदायित्व क्यों नहीं लेती है?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसकी पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि वह बस को ओवर लोड नहीं होने देती। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि इन सारी बातों को विस्तार से कहने के लिए मुझे समय दिया जाय, तो दो मिनिट मैं और निवेदन कर दूँ अगर आज नहीं तो इसके पश्चात् भी मुझे मौका दिया जाय। आज मैं केवल आपके द्वारा माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसकी सही जांच कराई जाय, और जांच का परिचय वापिस इस सदन में दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करता हूँ कि यह जितने भी काण्ड हुए हैं और खास तौर से भीलवाड़ा में कांड हुआ है, उसकी सही जांच कराई जाय।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : आपकी सूचना है कि पुलिस ने करा दिया है यह एक्सीडेन्ट।

श्री शिवचरणदास : मेरी सूचना यह है कि पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि या

(श्री शिवचरणदास)

तो वह गलत पास करती है मोटरों को और उनके अन्दर खराबियां रहती है, और मुझे यहां तक पता चला है कि बस के अन्दर पेट्रोल के पीपे पड़े हुए थे और ओवरलोडेड होने के सबब से बस उलटी होकर सड़क के पास में खाई में गिरी और खाई में गिरने के कारण उसका एक्सिल टूट गया और एक्सिल के टूटने से पेट्रोल के गिर जाने से वायर शार्ट था आग लग गई।

श्री रामकिशोर व्यास : थैंक यू।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वह ओवरलोड एक व्यक्तिगत मुनाफे के लिए की गई थी। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर हैं।

श्री शिवचरणदास : आपने मुझे थैंक्स इसलिए दिये हैं कि इतने आदमी मर गये।

श्री अध्यक्ष : वह आपकी जानकारी के लिए कहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में इज़ाफा किया है उसके लिए कहा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९ पुलिस में एक रूपये की कटौती करने का प्रस्ताव रखा है। भरतपुर ज़िले में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में असफल होने पर बहस करने के लिये वह मैं प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने १६ फर्वरी को जिस समय हमारे माननीय राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण यहां सदन के समक्ष पढ़ रहे थे, और उसके पहले ही पृष्ठ के दूसरे संदर्भ में पिछली दो लाइनों में जिस समय उन्होंने यह पढ़ा कि हमारे राज्य में शान्ति और व्यवस्था की प्रगति संतोषजनक रही है, तो भरतपुर से आये हुए सज्जन जो दर्शक गैलेरी में थे, उनको यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ, और उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि या तो भरतपुर राजस्थान राज्य में नहीं है, या उसमें राजस्थान राज्य का ठीक चित्रण नहीं किया गया है, क्योंकि उसी दिन, जिस समय राज्यपाल महोदय अपना भाषण दे रहे थे, भरतपुर के कई स्थानों में भीषण डकैतियां हुई और चोरियों की लम्बी तादाद तो वहां मुद्दत से चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण है, कि पिछले अधिवेशन में भरतपुर निवासी एक माननीय सदस्य ने गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न पूछा था कि भरतपुर में इन दो तीन महीनों में कितनी चोरियां हुई, तो गृह मंत्रीजी ने कृपा पूर्वक स्वीकार किया था, कि उन दिनों चोरियों में वृद्धि हुई और उसका कारण यह बतलाया, क्योंकि वहां उन दिनों बाढ़ की स्थिति थी। लेकिन मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा गृह मंत्री महोदय के ध्यान में यह चीज़ लाना चाहता हूं, कि बाढ़ के दिन खत्म हुए चाहे उसका असर आज भी बाकी हो वहां पर पानी भरा रहने से, लेकिन चोरियां वहां निरन्तर चल रही है और खास तौर से बाढ़ ने अब जब कि वहां पर कोई भी प्रभाव नहीं रहा है। जनवरी के महीने भर और आधी फरवरी तक मैं जब तक यहां आया हूं इतनी चोरियां हुई खास तौर से भरतपुर शहर में जहां कि ज़िले का ज़िलाधीश और सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस जो कि शान्ति और व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन दोनों के वहां रहते हुए एक एक

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दिन में ६.६,७-७ तक चोरियां हुई हैं। इन चोरियों की हालत यह है कि लोग उनसे आतंकित हुए, दिन में चोरियां हुईं, खास तौर से साइकिलों की। मुझे याद है, कि जब मैं भरतपुर गया था और वहां पर तीन चार दिन ठहरा तो मेरे पास एक सज्जन मिलने के लिये, जहां पर मैं ठहरा हुआ था, वहां पर आये, बाहर साइकिल खड़ी करके भीतर आये और बातें करने लगे। आध घंटे में दो तीन बार उठ कर बाहर गये, मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है क्योंकि यहां पर साइकिलों की चोरी होती है। फिर मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि चोरियां बहुत होती है, कॉलेज के लड़के चोरियां करते हैं ऐसे ही शब्द उन्होंने बताये थे, जहां साइकिलों पर ताले नहीं होते हैं वहां चोरियां होती हैं। चोरी करने में छात्र शामिल हैं। मैं शर्मिन्दा हूँ कि छात्र तो चोरी करने में शामिल हैं लेकिन वे ऐसे लोगों के रिश्तेदार, नातेदार हैं जिनकी वज़ह से पुलिस उन पर हाथ उठाने से पहले बहुत कुछ सोचती विचारती है। चोरियां हुई उनके साथ साथ डकैतियां भी बहुत होती रही। जब हम राज्यपाल महोदय के भाषण पर विचार कर रहे थे, मुझे याद है २३ फरवरी को ही कामा तहसील के दो गांवों में एक साथ डकैतियां हुई और वहां के लोगों ने एक पत्र भी दिया है, अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति देंगे तो मैं उसे पढ़ कर हाउस में सुनाऊंगा, उससे आपको पता लगेगा कि वे लोग कितने भयभीत हैं। वे उस पत्र में लिखते हैं : जुरहैड़ा में ता. २३. २. ५६ की रात्रि को १०॥ बजे अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया जिसमें १२ दुकानों को तोड़ा व माल लूटा और २ व्यक्तियों को गोली से मार दिया गया है, बहुतसों को मारा पीटा व काफी चोटें आई हैं, कस्बे की हालत बहुत ही भयानक बनी हुई है, लोग आतंकित और भयभीत हैं और अपनी जान व माल को खतरा समझे हुये हैं। इससे पहले ८॥ बजे लगभग परेंई गांव में भी इसी तरह का कांड हुआ है, सोहनलालजी के यहां से जो उन के पास लाइसेन्स की बन्दूक थी उसको लिया और गांव में १०. १२ घरों को लूटा व मारा, पीटा, चोटें भी आई हैं। इस सम्बन्ध में थानेदार साहब व सी. आई. साहब व एस. पी. साहब यहां पर पधारे हैं। उनसे भी काफी निवेदन किया गया हैं और वह इसकी जांच भी कर रहे हैं. यहां पर पुलिस की एक चौकी है जिसमें केवल ४ कॉन्स्टेबिल व १ हैड कॉन्स्टेबिल रहते हैं मगर उनके पास कोई बन्दूक नहीं रहती है और न यहां के मौज़िज व्यक्तियों को ही लाइसेन्स दिये गये हैं। बहुतसी बार दरख्वास्तें भी दी है मगर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। ऐसी सूरत में श्रीमानजी से प्रार्थना है कि इस लूट व डाके की श्रीमान आई. जी. द्वारा पूरी २ जांच करा कर बदमाशों का पता लगावें व उन्हें उचित दंड दिये जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे यहां की जनता, जो कि भयभीय है, उसको कुछ तसल्ली प्राप्त हो और यहां की चौकी को थाना बनाया जावे, कॉन्स्टेबिलों की तादाद बढ़ाई जावे और कम से कम ५ बन्दूक हर समय कॉन्स्टेबिलों के पास रहे और स्थानीय मौज़िज व्यक्तियों को बन्दूक रखने के लिये सरकार द्वारा लाइसेन्स दिलाये जाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें और जब तक इस डकैती की जांच हो तब तक

Page No.47

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कम से कम २ गार्ड यहां पर हर समय तैनात रहे जो कि रात्रि को गश्त भी करते रहें। आशा है श्रीमानजी हमारी इन मुसीबतों को विधान सभा में रखकर उचित व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे और जो कांड हुआ है उसकी पूरी २ जांच कराने की कृपा करेंगे और यह कस्बा तीनों प्रान्तों की सरहद पर है। इसलिये इसमें उचित समझें तो उत्तर प्रदेश व पंजाब की पुलिस से भी सहयोग लिये जाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। इससे पहले ४ डाके की चिट्ठियां भी हुकमचन्द रूपचन्द के यहां डाक द्वारा आ चुकी हैं जिसकी सूचना पुलिस विभाग भरतपुर, एस. पी. के यहां दे चुके हैं।

इस तरह से वे कहते हैं वैसी घटना वहां पर हुई है। वह जगह ऐसी है कि एक तरफ ३ मील पर पंजाब का इलाका और दूसरी तरफ २. ४ मील पर उत्तर प्रदेश का इलाका है। यह बड़े महत्व का इलाका है। यहां पर पहले भी कान्ड हो चुके हैं। महीने भर पहले ही मैं इस गांव में होकर आया हूँ। मैंने वह चौकी भी देखी है, पुरानी सी इमारत है, पिछले साल ८ हज़ार रुपये लगाकर उसकी मरम्मत कराई गई है लेकिन पिछली बरसात में वह ढह गई। वहां पर जो चार पांच कॉन्स्टेबिल रहते हैं उनकी सुरक्षा का भी साधन नहीं है, वे दूसरों की सुरक्षा तो क्या करेंगे। वे टूटे फूटे मकान में रहते हैं, उनके पास बन्दूकें नहीं रहती हैं। पुलिस के नाम से डाकू तब तक नहीं डरते जब तक उनके पास हथियार न हो। जो पुलिस वहां पर रहती है उस पर खर्चा भी सरकार का होता है, मुझे ठीक पता नहीं लेकिन मैं इस पत्र के आधार पर कहता हूं कि यदि उनके पास शस्त्र रखे जाते तो पुलिस का रखना ज्यादा कारगर होता। समझ में नहीं आता कि इस तरह से वहां पर जो चोरियां हो रही हैं और डाके के कांड अक्सर सुनने में आते हैं, कई डाकुओं के नाम सुनने में आते हैं। लेकिन इस इलाके में जहान नाम के डाकू का यहां पर बड़ा आतंक है पता नहीं पंजाब से आया या कहां से आया लेकिन इस इलाके में उसका बड़ा आतंक है। मालूम नहीं उसका नाम हमारे यहां की पुलिस की डायरी में है या नहीं। कई बार मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर आई है और उसने कामा और डीग के बीच में कई दिन तक पड़ाव डाला है लेकिन जहान डाकू अब तक पकड़ में नहीं आया है। इसी तरह से भरतपुर से सात आठ मील के

१. १५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फासले पर कुम्हेर तहसील में बाबूला गांव में चोरियां हुई महीने भर पहले, उसके बारे में बतलाया गया है, ऐसे ही सदन के माननीय सदस्यों को मालूम होगा, कि चार पांच दिन पहले नदबई में कारोली गांव में चोरी हुई, पिछले ६. ७ महीनों में चोरियां हुई, दिन में चोरियां हुई और साइकिलों की चोरियां हुई, सारी व्यवस्था होते हुए भी अगर ऐसी हालत में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक है। तो फिर असंतोषजनक चीज़ क्या हो सकती है, इस पर विचार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। यह स्वभाविक है कि हमारे गृह मन्त्री जी जो भी उत्तर देंगे तो कहेंगे कि बहुत सी चोरियां हुई भरतपुर में और बहुतसी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

चोरियां दूसरी जगह भी हुई, कई पकड़ी भी गई लेकिन पुलिस को लोगों का विश्वास प्राप्त नहीं है। मैं खुद यह समझता हूं कि पुलिस की सेवायें बहुत है जो सराहनीय हैं। भरतपुर ज़िले के स्वर्गीय ताराचन्द जो वहां पर एस. पी. रहे हैं और कुछ दूसरे एस. पी. जिनका नाम लेना ठीक नहीं समझता. उनका कार्यालय भी अच्छा रहा, उनके समय में चोरियां और डकैतियां कम हुई। वहां जो एस. पी. और इन्स्पेक्टर हैं, देखना यह चाहिये कि उनके कार्यालय में चोरियों और डकैतियों की वारदातें बढ़ती हैं और उनकी शिकायत सदन में या जनता की ओर से आती हैं, तो मैं समझता हूं। अधिकारियों को अधिक उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, इसलिये यह कोई शिकायत के रूप में आई हैं उनको मानना सरकार का परम कर्तव्य है, जहां तक हो, उनके हितों का संरक्षण करें। लेकिन मैं तो यह भी कहता हूँ कि इस सरकार का यह भी परम कर्तव्य है कि वह जनता जिसके वे अधिकारी हैं या सेवक हैं, उसके हितों की रक्षा करना परम ज़रूरी है। यह चीज़ मैं ही कहता हूं यह बात नहीं है लेकिन कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री ढेबर भाई ने नागपुर सेशन में यह कहा था कि आखिर हमारी सरकार यह कह सकती है कि सर्विसेज़ की सीक्योरिटी रखना उसका कर्त्तव्य है। लेकिन सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि सर्विसेज़ के साथ साथ जनता की सीक्योरिटी भी उनके हाथ में रहनी चाहिये। पुलिस का महकमा है उसके हाथ में जनता की सीक्योरिटी और जान माल का भार है। उसके बदले जो बातें यहां कही जांय, लिख कर दी जाय, कटौती प्रस्ताव के रूप में सदन के समक्ष रखी जाय या खाली उसको एक प्रकार की शिकायत करना है, या कोई अधिकारी के विरुद्ध चीज़ है, ऐसा सोचना ठीक नहीं। मैं समझता हूं कि सदन में जो सदस्य हैं, वे ज़िम्मेदार हैं, और वे प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्रों के। मुझे आशा नहीं होती कि कभी कोई बात अतिरंजित या अतिशयोक्तिपूर्ण कहता हो। बहुत मुमकिन है, जब बहुत चीजें कहते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो वहां के लोग रो रो कर, बहुत व्याकुल हो कर, आतंकित और भयभीत हो कर घटना सुनाते हैं. उसका मेरे ऊपर असर होना लाज़िमी है? बहुत मुमकिन है कि घटना को थोड़ा रंग दिया गया हो, लेकिन जो वस्तु स्थित है, जो वास्तविक घटना है, उसमें विशेष अन्तर नहीं होता। यह मानना कि लोगों की शिकायत हैं, वे वस्तु स्थिति को तोड़ मोड़ कर वर्णन की गई हैं, ऐसा नहीं है बल्कि वे वास्तविक घटना हैं। इसलिए जो भी इस प्रकार की चीज़ सदन के समक्ष आये, मैं समझता हूँ कि सम्बन्धित मंत्री महोदय उन पर सहानुभूति पूर्वक, यह न समझ कर कि शिकायत के रूप में है, बल्कि यह समझ कर, कि इस क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं, उनके क्षेत्र की घटना है, उस पर उसी तरह से विचार करें। वे कह सकते हैं, नहीं, हमारे यहां के पुलिस अधिकारी ठीक तरह से काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना है कि यदि कुछ अधिकारियों के समय में व उन अधिकारियों के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें बढ़ती जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कायदा होना चाहिए, वैसे हो नहीं सकता कि पुलिस विभाग में इस प्रकार का कायदा न हो कि उनके प्रमोशन और डिमोशन उनके कामों पर हो, हमारे यहां यह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तरीका है कि एक आदमी आर. पी. एस. और आई. पी. एस. है, उसको इस स्थान के ऊपर पर रखेंगे, चाहे वह अपनी ड्यूटी को किसी प्रकार अंजाम देता हो। हो सकता है इस प्रकार का तरीका हो, साधन हो, नियम ऐसे हो, फिर भी मैं समझता हूं कि पुलिस जैसे महकमे के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां केवल आर. पी. एस., आई. पी. एस. व्यक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अपने काम को मुस्तैदी के साथ अंजाम देता है, यह देखना होगा। शासन के लिए कहा जाता है कि शासन तो चलता ही है। मैं कहता हूं कि चलना चाहिए। शासन आज से नहीं, जब से सभ्य संसार रहा, तब से चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा लेकिन न्याय के अनुसार शासन हो, अच्छी तरह का शासन हो, जिसमें शांति हो और जनता के जान व माल की सुरक्षा हो " ऐसा शासन हो, तो वह शासन का एक अच्छापन है, ऐसे शासन को अच्छी नामवरी मिलने वाली है। तो मैं समझता हूं कि हमको पुलिस विभाग के सम्बन्ध में जो मैंने बातें बतलाई हैं, जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है, वह भरतपुर क्षेत्र से सम्बन्धित है और वहां पर जितनी वारदातें और घटनायें हुई हैं, मैं समझता हूं वे काफी गम्भीर हैं और उन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। ऐसा भी समझा जाता है कि जो भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, वास्तव में उनकी पकड़ धकड़ भी होती है। मुझे पता लगा भी कि शायद इन डाके करने वालों को पकड़ लिया है...

श्री रामकिशोर व्यास : माल बरामद हो गया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जी, माल बरामद हो गया। लेकिन फिर भी घटनायें बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें कुछ न कुछ गलती जरूर है। मुझे याद है कि अभी की बात नहीं कुछ दिनों पहले जो रात में गश्त लगाते थे, न मालूम वह तरीका किस कानून से बन्द हुआ। जब मैंने पूछा कि मैं सुना करता था रात में सोते सोते, ज़ोर से चौकीदार पुकारते रहते थे, होश में रहो, जागते रहो।

श्री रामकिशोर व्यास : वह चौकीदारी बन्द हो गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बन्द हुआ, तो अच्छा है, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ है। मैंने पूछा कि जो गश्त होती थी, वह क्यों बन्द हुई। तो उत्तर मिला, उससे चोर भाग जाते थे। मैंने सोचा कि अगर चोर भाग जाते थे, तो लोगों को भी होशियार करते थे, जगाते थे। अब होता क्या है कि पुलिस के कॉन्स्टेबिल की ड्यूटी होती है, लेकिन उसके ऊपर हैड कॉन्स्टेबिल या सब इन्स्पेक्टर रहता है या नहीं, देखने के लिए? मुझे मालूम है, उस जमाने में पुलिस का जो चौकीदार निकलता था, उसके ऊपर शहर का कोतवाल निकलता था, वह देखता था कि ठीक तरह से गश्त देता है या नहीं। उस कोतवाल के काम को देखने के लिए एस० पी० निकलता था, वह देखता था कि कोतवाल उसे देखता है या नहीं। यहां तक कि पुराने हमारे राजा महाराजा खुद निकला करते थे...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : भेष बदल कर।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जी हां, वेष बदल कर निकला करते थे। मुझे मालूम है कि भरतपुर में सर्राफा बाजार मशहूर है। ४०–५० वर्ष पुरानी बात है। जब के लिए कहते हैं कि सर्राफा बाज़ार रात में खुला रहता था। उनका कहना यह था कि मेरे रहते हुए शहर में चोरी हो जाय, तो मैं समझता हूं कि मैं राज्य करने के योग्य नहीं।

(करतल ध्वनि)

उस सर्राफा बाज़ार में आज छोटा-मोटा चांदी का व्यापार होता है, लेकिन उस समय के लिए मशहूर है कि वहां सोने और चांदी की सिलें बिकती थीं। मैं कोई मैगस्थनीज़ या ह्वेन्सांग के समय की बात नहीं कह रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज कुछ कानून हैं, नियम हैं, केसेज़ का फैसला अदालत में होता है, लेकिन फिर भी पुलिस को मुस्तैद होना चाहिए, उसमें हम कमी महसूस करते आ रहे हैं। आज गश्त के अन्दर और उसके सुपरवीज़न के अन्दर लोगों को ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार चोरियों में कमी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब कभी चोरी होती है, तो दो चार नाम होते हैं पुलिस की डायरी में, उनको पकड़ कर मारा पीटा जाता है, अगर किसी ने मान लिया तो माल बरामद हो जाता है और कहीं जो दो चार नाम डायरी में मौजूद हैं, उसमें वह व्यक्ति नहीं हुआ तो चोरी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं यह शिकायत के तौर पर नहीं कहता, एक सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ कि हमें पुलिस का तौर तरीका बदलना पड़ेगा। आपने चौकीदारी बन्द कर दी, मैं समझ नहीं पाया कि उसको रखने में क्या होता। आप चार करोड़ का बजट रख रहे हैं, उसमें से कुछ चौकीदार को दे देते तो वे कुछ न कुछ काम करते ही। अब भी हम देखते हैं कि कोई गश्त के लिए निकला, वह समझ नहीं पाता और भले आदमी को चोर समझ सकता है क्योंकि आदमी तो निकलते ही हैं। आप चोर को नकब में पकड़ लें, यह मुश्किल है। यह देखना होगा कि चोरी अधिक न हों चोरी और डकैतियों की मैंने एक ज़िले की बातें बतलाई, मैं समझता हूं कि पुलिस विभाग का काम है, उनकी ड्यूटी है, इन घटनाओं को मिटाने के लिए मेरा सुझाव है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी हमदर्दी चाहिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ज़रूर, ज़रूर रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव यह है कि जालोर ज़िले के अन्दर पुलिस कर्मचारियों का अनैतिक व्यवहार।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस का काम हमारी जान और माल की रक्षा करना है। आज पुलिस के ज़िम्मे रक्षा का काम सौंपा हुआ है, बल्कि रक्षा करने की कहीं रही, उल्टे नागरिकों के साथ इस प्रकार के काम करते है, व्यभिचार के काम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय सांचोर तहसील के अन्दर एक मुंशी है, जिसका नाम रायचन्द है, वह सवाड़ पुलिस स्टेशन पर नौकर था, वह

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बराड़वा के अन्दर डकैती के सिलसिले में तफ्तीश करने के लिए गया। आज पुलिस वाले जनता की सेवा करने के लिए नहीं हैं, उनके ऊपर किस प्रकार का दुःख पड़ा है, उनके साथ डकैतों ने किस प्रकार व्यवहार किया, वे उनको सुनने के लिए नहीं हैं, लेकिन उनको दारू चाहिए, शराब चाहिए, कबाब चाहिए, रंडीबाज़ी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, वहां इस किस्म की वेश्यावृत्ति तो नहीं है और पैसे से बाज़ार में चीज़ मिल नहीं सकती तो एक अबला, जिसका नाम शाहज़ादी है, उसके साथ व्यभिचार किया उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसकी शिकायत पुलिस ऑफिसर के पास की गई, सर्किल ऑफिसर के पास की गई। शिकायत के लिए हमारी सरकार कहती है कि शिकायत लाओ, लेकिन सुनता कौन है। आपकी मशीनरी ऐसी है कि जो शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं है। गरीबों की कौन सुनता है।

"बाड़े लाग्यो बेलड़ो
बाड़ बेल ने खाय
राजा डंडे रैयत ने
तो कूंकूं किन कने जाय।"

जिसके हाथ में रक्षा का भार है, रक्षा करने की कहीं रही, इस पुलिस से हम यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि यह काम हो जायगा। अगर ऐसा है तो फिर बजट में इतना पैसा रखने की क्या ज़रूरत है, हम अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे। हम पैसे का प्रोविज़न इसलिए नहीं करते कि स्त्रियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जाय।

दूसरा केस मैं रखता हूं कि इशरोल के अन्दर डाकुओं ने उस जगह जाकर पैसा ले लिया। एक आदमी पुलिस की इन्फोर्मेशन देने गया। दूसरे दिन आ जाते हैं पुलिस वाले डाकू और इन्क्वायरी करने की बात कहीं रहीं, उस महाजन को इस प्रकार पीटा और ४०० रुपये लेकर उस गांव से गये....

तो इस प्रकार इसमें भी रायचन्द मुंशी शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष : स्टोलन प्रोपर्टी होगा, ४००) रु० ?

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : तो इस प्रकार की कार्यवाही पुलिस करती है। केरिया गांव के अन्दर भी इस रायचन्द का इसी तरह का बर्ताव रहा इसने एक औरत के साथ इसी तरह का बर्ताव किया, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एनक्वायरी की और वह साबित हो गई, उसको मौकूफ करना दूर रहा, उसको सस्पेन्ड करना दूर रहा, पर क्योंकि जनता ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई थी, एक साल बाद उसको सांचोर से हटा कर जालोर लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष, इसी व्यक्ति को पहले भी इसी आरोप में सस्पेन्ड किया गया था। जब सरकार जानती है कि यह आदमी अपनी आदत से बाज़ नहीं आता है तो राज्य सेवा में उसको रखने की क्या आवश्यकता है।

अब मैं चोरियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर जो सी० आई० हैं वे कॉम्युनल बेसिस को लेकर चलते हैं, जहां विश्नोई का चोरी के मामले में नाम आता है, वह वहां कुछ भी करने को तैयार

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नहीं। लियादरा गांव के अन्दर एक महाजन के घर में चोरी हुई, ७००० रुपये की चोरी हुई। सब इन्स्पेक्टर ने ठीक तरह से तफतीश नहीं की तो महाजन ने एस० पी० को एप्रोच करके सी० आई० के नाम तफतीश करने का आॅर्डर करवाया। जब सी० आई० को मालूम हुआ कि खींयां बिश्नोई इसमें शामिल है तो उस सी० आई० ने उस खींयां बिश्नोई की ढाणी में माल बरामद नहीं किया उनकी ढाणी से ५० कदम दूर ५,००० रुपया बरामद करता है और उस खींयां बिश्नोई का नाम निकाल देता है, एक कलबी को उसमें फंसा देता है।

तो इस तरह साफ ज़ाहिर है कि पुलिस हमारी रक्षा नहीं कर सकती, और जब वह हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो उसको रखना बेकार है, उस पर इस तरह से खर्च करना बेकार है।

मेरा दूसरा कट मोशन है, ज्यादा रखूंगा तो बेकार है सुनवाई तो कुछ होगी नहीं मिनिस्टर महोदय, इस कान सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे और सदन का समय भी व्यर्थ बरबाद करना होगा....

श्री उपाध्यक्ष : यह सबसे बड़ी बात कही समय की।

श्री लक्ष्मीचन्द : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा कट मोशन यह है कि सांचोर के दूठवा गांव में गड़ा हुआ धन प्राप्त होने पर सरकार, के पुलिस विभाग ने लापरवाही दिखाई। लोगों का अन्दाज़ है कि बिश्नोई के घर से धन निकला बड़े बड़े पत्थरों जितने ७ डले सोने के निकले हैं। तहसीलदार मौके पर गया, पटवारी मौके पर गया, उनके मौके पर पहुंचने से पहले पुलिस के गुर्गे कांग्रेसी कार्यकर्ता....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दोनों एक ही हो गये ?

श्री लक्ष्मीचन्द : दोनों एक ही हैं।

एक माननीय सदस्य : राम राज्य के ?

श्री लक्ष्मीचन्द : राम राज्य के नहीं हैं।

इसके बाद पुलिस को तहसीलदार ने लिख कर भेजा कि जांच की जावे, हमारे गृह मन्त्रीजी कहते हैं कि जांच की जा रही है। जिस जगह से सोना निकला है उसकी जांच आप अब क्या कर रहे हैं, उसी समय मौके पर पहुंचना चाहिये था। रिपोर्ट गलत है या सही है, इसकी उसी वख्त जांच कर सकते हैं, यह चीज़ें ऐसी नहीं कि बाद में जांच करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : नॉनकॉग्निज़ेबल केस है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कैसा भी है, चालान तो करना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो कानून नहीं कहता।

श्री उपाध्यक्ष : यह कानूनी मसला है, आप आरम्भ रखिये।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो अगर हम यह उम्मीद लेकर चलें कि पुलिस को कोई इत्तला की जाय तो पुलिस हमारी मदद करेगी, वह पुलिस जो "मे आई हैल्प यू"

(श्री लक्ष्मीचन्द)

का सिम्बल लिये बैठी है वह आपकी कोई मदद करेगी, ऐसी आशा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इस प्रकार के बोर्ड को तो हटा देना चाहिये। इस बजट में कटौती नहीं करें तो कोई बात नहीं पर कम से कम इस बोर्ड को तो हटा देना चाहिये। पुलिस के लिये खर्चा तो आप अपनी मेजोरिटी के बल पर जितना चाहें ले सकते हैं, इस 'मे आई हैल्प यू' बोर्ड को तो हटवा दीजिये।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव यह है कि किलेजात और तोपखाना में खर्चा किया जाता है, उस पर विचार किया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, आमेर के किले के बारे में प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि जयपुर के हिज़ हाईनेस और राजस्थान सरकार के बीच समझौता हुआ है कि इसकी रक्षा के लिये गार्ड रखनी पड़ेगी, सरकार ने जब इस प्रकार का ज़िम्मा लिया है तो सरकार अपने ढंग से करें, उनकी पेन्शन, तरक्की, निकालना न निकालना इन सब बातों पर सरकार अपने आप विचार करें। जहां उनको निकालने का प्रश्न आता है, ३१ जनवरी को १३ आदमियों को जयगढ़ फोर्ट से बिना किसी किस्म का कारण बताये निकाल दिया गया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह बात गलत है।

श्री लक्ष्मीचन्द : गलत नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी नहीं है तो माननीय सदस्य की तो सुनिये।

श्री मदनसिंह : क्यों निकाला आपको मालूम है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : उन आदमियों को निकाल दिया गया। मेरा कहना यह है कि उनको निकालने से पहले सोचना तो चाहिये था कि उनकी इतनी पुरानी सर्विस है, उनका क्या कुसूर है, उनको सुनना तो चाहिये था, उनको कारण तो बताना चाहिये था।

श्री मदनसिंह : इधर तो माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस बदमाश है, इनको सज़ा दी जानी चाहिये और इधर जयगढ़ से उनको इस तरह के अपराध में निकाला जाता है तो यों कहते हैं कि उन्हें क्यों निकाला गया, ये दोनों बातें नहीं हो सकतीं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): जयगढ़ मामले में वाजिब बात रख रहे हैं, पर्सनल प्रोपर्टी है, गवर्नमेन्ट का पैसा खर्च हो रहा है, यह किसी तरह उचित नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : एक तरफ तो पेन्शन रूल्स के अन्तर्गत पेन्शन दे रहे हैं, सूबेदार गुमानसिंह का पेन्शन का केस ए० जी० के यहां पड़ा हुआ है, हिम्मतसिंह को, प्रतापसिंह को पेन्शन मिल चुकी है और दूसरी तरफ बिना कुसूर १३ आदमियों को निकाल देते हैं। अगर उनको निकालते हैं तो उनको नोटिस दीजिये कि क्या गलती की है कि उनको निकालना पड़ता है तो उनके साथ ज़्यादती हुई है उसकी जांच की जाय, उन्हें रखना आवश्यक नहीं समझते तो ६० हज़ार रुपया क्यों देते हैं, आप अपनी टर्म का पालन कीजिये पर उनको क्यों निकाला जा रहा है। या उनका कसूर बताइये कि उन्होंने यह गलती की, सर्विस ठीक ढंग से नहीं देते, इसकी जांच करिये।

श्री जनार्दनराय नागर : कुछ नहीं कर सकती गवर्नमेंट ।

श्री लक्ष्मीचन्द : नहीं हो सकता तो मिनिस्टर साहब जवाब देंगे । मुझको अभी तक मालूम नहीं की आप मिनिस्टर बन गये हैं ।

उन लोगों ने एप्लीकेशन मूव की हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से वे मिले हैं, पर उनके मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है । मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से चाहूँगा कि, उनको क्यों निकाला गया, इसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री मदनसिंह : क्यों निकाला आप भी कारण बताइये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : कोई कारण नहीं बताया ।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपनी ये कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और सदन के सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि उनको स्वीकार करें ।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया न साहब ।

(हंसी)

श्री लक्ष्मण हीरात : आगे सुनिये, साहब । यदि बज़ट के आंकड़ों को बड़े गौर से देखें तो हमें यह महसूस होता है कि सन् ५७ से अब तक जो पुलिस विभाग का बज़ट है वह धीरे २ क्रमशः बढ़ता ही नज़र आता है । इसके लिये मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं । एक तो पुलिस विभाग में समानान्तर नहीं है । समानान्तर दो तरह से है, वैसे उपाध्यक्ष महोदय, कई तरह से नहीं है, लेकिन दो तरह से तो नही है । एक तरह से तो वह जो पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी हैं उनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं जैसे सिपाही वगैरा उनकी तनख्वाहें कम हैं । जो बड़े अधिकारी हैं वे टेबल वर्क करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास दूसरी सूची है और मेरे पास जो सूची है उसमें समानता कहीं नहीं है । मेरी सूची में ये प्रस्ताव हैं :

(१) "पुलिस विभाग के कर्मचारियों में अनियमितताओं पर विचार करने हेतु ।"

(२) उदयपुर ज़िले में पुलिस कर्मचारियों के व्यवहार के सम्बन्ध में विचार करने हेतु ।

इसमें तनख्वाह का कहीं प्रश्न नहीं आता है । वापिस आप कट मोशन्स को देख लीजिये, कहीं दूसरे माननीय सदस्य का कट मोशन तो नहीं आ गया है ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : कट मोशन तो सिम्बोलिक है ।

श्री उपाध्यक्ष : He will confine himself to the cut motion only. समाना-

(श्री उपाध्यक्ष)

न्तर किसी दूसरे पर छोड़ दीजिये, आप तो इसी पर चलिये ।

श्री लक्ष्मण हीरात : आपकी आज्ञा से छोड़ देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आज्ञा नहीं है, निश्चित बात है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एन्टीकरप्शन विभाग जो कि पुलिस विभाग की एक शाखा है, उसमें भी बजट को देखा तो हमें धीरे २ यह महसूस होता है कि उसका भी बजट बढ़ा है । इसी तरह माननीय उपाध्यक्ष,महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । एक माननीय सदस्य, जो एक-दो नंबर पर बोलने वाले थे, उन्होंने बतलाया था कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया गया कि किस आधार पर ज़िलों का और डी. आई. जी का समानान्तर होना चाहिये वह नहीं हुआ है । मैं छोटा सा उदाहरण पेश करूं । एक तो है ज़िला उदयपुर और दूसरा ज़िला डूंगरपुर । डूंगरपुर ज़िले में ८ थाने हैं और एक एस. पी. है उनके लिए । उदयपुर में १०० करीब थाने हैं वहा भी एक एस. पी. रहता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात है उसको हमारी सरकार ने देखने की कोशिश नहीं की । इस तरह से जहां कम किया जा सकता है किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : डूंगरपुर से एस. पी हटा देना चाहिये ।

श्री लक्ष्मण हीरात : हटाने का सवाल नहीं है । खर्चा जो डूंगरपुर का होता है वही उदयपुर के एस. पी का भी होता है । इस तरह राजस्थान में अनेक उदाहरण हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो घर में ही उदाहरण देना शुरू कर दिया । दूसरे में देते ।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रश्न यह है कि एस. पी का है कि समानान्तर होने चाहिये ।

श्री लक्ष्मण हीरात : दूसरे प्रस्ताव पर आता हूं । बार बार आप मुझे रोकने की कोशिश करते हैं इसलिए असली प्रस्ताव पर आता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : रोक ही इसीलिए रहा था कि असली पर आ जावें ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह हाल रहता है तो २०० माहवार और भत्ता फ़िज़ूल ही नज़र आता है ।

श्री लक्ष्मण हीरात : दूसरा कटौती प्रस्ताव है पुलिस के कर्मचारियों के अव्यवहार पर ।

जो पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार है उसके बारे में दो उदाहरण पेश करना चाहता हूं । एक उदाहरण है खेरवाड़ा तहसील के नये गांव का । वहां तीन चार साल पहले मर्डर केस हुआ था । एक महाजन का,जो नये गांव का था, जंगल में कत्ल कर दिया था । पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की । मौके पर पुलिस गई, तफ़तीश की और कुछ पता नहीं चला । एक अभी नया ही केस हुआ है, डूंगरपुर का चपरासी था मजिस्ट्रेटी का, उसको भी उसी जगह पर कत्ल करके पेड़ पर

(श्री लक्ष्मण हीरात)

बांध दिया और उसकी भी तफतीश पुलिस कर रही है लेकिन उसका पता नहीं लगा। इस तरह के उदयपुर ज़िले के अनेक उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन दो उदाहरण के अलावा एक तीसरा उदाहरण और दे देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटड़ा में पुलिस अधिकारियों के अत्याचार का थोड़ा ज़िक्र कर देता हूं। कोटड़ा तहसील के त्रिखरनी थाने के हैड कॉन्स्टेबिल का ऐसा व्यवहार हो रहा है कि जिस किसी को देखा मारता पीटता है, हर तरह से तंग करता है, मामूली शक हो जाता है कि यह चोर है, वैसे चोर तो है नहीं, लेकिन उसको मारता पीटता है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि पुलिस के द्वारा लोगों की हाज़री लेना ज़रूरी होता है तो किसानों को पुलिस वाले जाकर तंग करते हैं कि क्यों तुम हाज़री नहीं देते हो। इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह खराब है।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी एक बात और बता कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे बजट में यह बताया गया है कि नरेशों के महलों की रक्षा, निजी सम्पत्ति है उसकी रक्षा करने के लिए पुलिस का बहुत सा हिस्सा और रकम उसमें खर्च होता है। हमारी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अब तो हम स्वतंत्र हो गये हैं। तो फिर इस प्रकार से मदद करें तो यह राज्य का कर्तव्य नहीं है कि इस प्रकार से उनकी मदद करें। कर्मचारी कम हो सकते हैं कि और किये जा सकते हैं। इस साल भी करीब दो करोड़ से ज्यादा बढ़ गया है, धीरे २ बढ़ा रहे हैं इस पुलिस विभाग के बजट को, यदि कमी करके इस प्रकार से बचत करते रहे तो अच्छा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर मेरे दोनों कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं। आशा है माननीय गृह मंत्रीजी और सरकार इस ओर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यों तो सामान्य सा दीखेगा, परन्तु मैं समझता हूं कि जो एन्टीकरप्शन विभाग राजस्थान सरकार ने कायम किया है और जो नीति राजकीय स्तर पर सरकार की सन् ५७ के आरम्भ से बनी है, इस विभाग का काम इसलिए नहीं हो रहा है कि उसकी नीति आधारभूत है नहीं किन्तु दोषपूर्ण है। पुलिस के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कई बातें सदन के सन्मुख कहीं, अधिकांश में सहमत होना जरूरी नहीं है। लेकिन यह एन्टीकरप्शन का जो विषय है, मैं समझता हूं कि यह एक अहम विषय है। कानून और शान्ति की दृष्टि से, मैं समझता हूँ, पुलिस विभाग ने काफी राजस्थान में काबू प्राप्त कर लिया है लेकिन जो सामाजिक अव्यवस्था है, जो समाज का धीरे धीरे नैतिक पतन करने देता है जो व्यापक रोग है भ्रष्टाचार, मैं समझता हूं, उसको अभी तक हमारी सरकार काबू में नहीं कर पायी है। बराबर इस सदन में और बाहर भी यह मांग की जाती रही है कि जो व्यापक और प्रभावशाली मांग है उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान से भ्रष्टाचार सदैव के लिए उन्मूलन कर दिया जाय। राज्यपाल महोदय ने भी इसी सदन के प्रांगण में कहा था कि इस भ्रष्टाचार के रोग को उन्मूलन करने के लिए कड़े कदम उठाये जावेंगे। हमें उम्मीद बनी

(श्री जनार्दनराय नागर)

थी कि राजस्थान का एन्टीकरप्शन विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान करेगा।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : भ्रष्टाचार को सदाचार बना दिया।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, बादल पहले पहले आते हैं तो बहुत शोर करके आते हैं और बाद में अदृश्य हो जाते हैं। हमारे एन्टीकरप्शन विभाग का भी कहीं यह हाल न हो जाय। इसी आशा से प्रेरित होकर सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने के लिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है। मुझे जहां तक मालूम है वह यह है कि आज एन्टीकरप्शन विभाग किसी भ्रष्टाचार के मामले को तब तक नहीं लेता जब तक लिखित में उसको रिपोर्ट न की जाय। आज हमारे एन्टीकरप्शन विभाग की यह नीति होनी चाहिये और मेरे ख्याल से है भी कि हम राजस्थान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसका उन्मूलन किया जाय। जब तक भ्रष्टाचार के विषय में किसी मामले को लेकर भ्रष्टाचार विभाग को लिखित रूप से शिकायत पेश न करें एन्टीकरप्शन विभाग यह जानते हुए भी कि यह भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे सम्बन्धित कार्यवाही नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इस विभाग द्वारा जांच की पद्धति है वह भी इतनी दुरूह है कि जो परिणाम मिलना चाहिये वह मिल नहीं रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजकीय आधार पर जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन की आधारभूत नीति बनायी गई है और जिसकी घोषणा राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में की जा चुकी है उस मामले में सरकार क्या सोच रही है। अगर सरकार की इस विभाग की नीति केवल यह हो कि जब तक भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत पेश नहीं कर देते, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम नहीं लिया जायगा। मैं समझता हूं एक तरह से विभाग द्वारा यह इन्तज़ाम करना भर हुआ है। मुझे यह भी मालूम है कि शिकायतें काफी आती हैं। लेकिन मेरा जो अधिकार है कहने का मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार के मामले को हम एक प्रकार कॉग्निजेबल ऑफेन्स नहीं बनाते तब तक भ्रष्टाचार विभाग को इस प्रकार के अधिकार देने से कोई मकसद हल होने वाला नहीं। हमें इसे कोग्नीजेबल ऑफेन्स बनाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार विभाग को अधिकार देना पड़ेगा कि वह विभाग अपनी तहकीकात द्वारा भ्रष्टाचार की घटनायें, जो उसके ध्यान में आती हैं, उस पर सीधी कार्यवाही कर सके।

हमारे समाज में आज वह नैतिक स्तर नहीं आ पाया है कि भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत कर दे और उनके विरुद्ध शहादतें दे। मेरा दो एक मामलों से सम्बन्ध रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो एक जगह के पटवारी ऐसे थे जिन्होंने सैकड़ों और हज़ारों रुपये की रिश्वत ली थी। और जो रिश्वत देने वाले थे उन्होंने कहा कि अमुक अमुक पटवारी ने हमारे से इतनी इतनी रिश्वत ली है उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित रूप में मुख्य मंत्री महोदय को अर्ज़ी भी दी थी और उन अर्ज़ियों को उन्होंने एन्टीकरप्शन विभाग में भी भेज दिया था। उन दिनों में बॉम्बेवाला मशहूर हो रहे थे। उन्होंने उन अर्ज़ियों पर एक अधिकारी को वहां भेजा, सारी जांच शुरू हुई उनके लिखित

(श्री जनार्दनराय नागर)

में दिये जाने पर भी उनके बयानों के देने पर भी न मालूम क्या विधि हैं जिसकी वजह से आज तक उसका परिणाम नहीं निकला।

मैं अर्ज़ यह कर रहा था कि एक तरफ तो शिकायत प्राप्त करके भी एन्टीकरप्शन विभाग कार्यवाही करता लेकिन बयानात हो जाने पर भी उसके परिणाम मालूम क्यों नहीं होते इस बात को मैं अब तक समझ नहीं पाया। उपाध्यक्ष महोदय एन्टीकरप्शन विभाग के कार्यकर्ताओं की भावना का जहां तक ताल्लुक है मैं जानता हूं वे इस मामले में बड़े आतुर हैं कि भ्रष्टाचार पर उनके कसकर दांत गड़े उस पर उनके हाथ पड़े लेकिन क्या व्यवस्था, क्या बन्धन है जिनके कारण वे ऐसा चाहते हुए भी नहीं कर पाते। कुछ सामाजिक एवं राजनैतिक दबाव ऐसे मौके पर पड़ा करते हैं इसकी वजह से भी इस विभाग को जितना अधिक से अधिक काम करना चाहिये वह कर नहीं पाता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का किस्सा केवल सरकार का प्रचार का किस्सा नहीं रहना चाहिये। भ्रष्टाचार को उन्मूलित करने के लिये सरकार को अधिक से अधिक कड़ा और व्यापक कदम उठाने होंगे। चाहे कोई भी भ्रष्टाचारी हो, कितना ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, कितना ही ज़िम्मेदार व्यक्ति क्यों न हो, भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को बिना लाग लपेट के इस विभाग के ज़रिये काम करवाना चाहिये। इस मामले में सरकार जब तक नीति को ठीक नहीं करती, साहस वह हिम्मत के साथ ऐसा प्रबन्ध नहीं करती, तब तक भ्रष्टाचार के मामले में यह विभाग अधिक से अधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। निर्भय होकर इधर उधर के प्रभाव से मुक्त रह कर ही इस विभाग में काम हो सकता है। यह जो अलग आई० जी० भ्रष्टाचार विभाग के लिये कायम किया गया उसका धीरे धीरे प्रबन्धात्मक विकास अन्ततोगत्वा न हुआ तो उसका सार क्या होने वाला है? भ्रष्टाचार हमारे समाज में एक ऐसी बीमारी के रूप में व्याप्त है जो रोग हो गया तो उसका सर्वान्तक पतन करने के लिये ज़िम्मेवार है। डाकुओं और चोरों की समस्या से तो कुछ लोग ही परेशान रहते हैं लेकिन जो यह भ्रष्टाचार करने वाले तत्व है वे गांव से लगाकर शहरों तक और गलियों से लेकर चौराहों तक फैले हुए हैं इनका दमन नितान्त आवश्यक है। अगर हमने इनका दमन न किया तो हम वैसे ही डॉक्टर होंगे वैसे ही नागरिक होंगे जो महामारी फैलने पर भी उसका उपचार करना नहीं चाहते। यह रोग कई प्रकार से फैलता है। यह रोग केवल एक ही प्रान्त में हो, यह बात नहीं। यह सारे देश में एक व्यापक महामारी के रूप में बढ़ गया है। इस मामले में बन्धन और मर्यादाओं से घिरे हुए विभाग को कायम कर दें या अफसर लाकर बिठादें तो जहां तक मैं समझ पाया हूं यह एक प्रकार से आत्म सन्तोष देने की बात होगी। हमारे यहां एन्टीकरप्शन विभाग का प्रारम्भ ठीक ढंग से किया गया। प्रारम्भ इसका बहुत शुभ रहा है लेकिन आज समाज की मांग है कि राजस्थान से भ्रष्टाचार का उन्मूलन होना चाहिये हर घर से हर चौराहे से वह जाना चाहिये। यह राष्ट्रीय आधार पर एक गंभीर समस्या है और इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए हम सब को मिल कर कड़े से कड़ा कदम लेने की आवश्यकता है। अफसोस इतना ही है कि जितनी गंभीर और व्यापक यह समस्या है उतनी गंभीरता और पकड़ से

(श्री जनार्दनराय नागर)

सरकार का ध्यान नहीं गया है ।

मैं समझता हूं, सरकार ने डाकुओं का दमन किया, कानून और व्यवस्था को संभाला इसके लिये हमने सदन में भी कहा और बाहर भी कहा कि पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि की है, जिस पर हमें फक्र हो सकता है । इस भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को इस मामले में सीधा लड़ना चाहिये अगर इसमें देर की तो मुझे आशंका यह है कि समाज को जो गिराने वाले तत्व हैं उससे हमारा समाज धीरे धीरे कमज़ोर होता जायगा ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां भ्रष्टाचार की निकदार बढ़ती चली जा रही है ! आज हम जहां भी जाते हैं हमें यह कहा जाता है कि बिना रिश्वत लिये हुए हमारा काम एक डिग्री भी आगे नहीं बढ़ पाता । यह एक प्रकार से जो समाज की भावना बन गई है वह उचित नहीं है । आज जन साधारण यह महसूस कर रहा है कि रिश्वत दिये बिना हमारा काम नहीं चलता । जब हम गांवों में जाते हैं वहां भी हर आदमी के मुंह से यह बात सुनते हैं कि हर काम में हमें रिश्वत देनी पड़ती है उसके बिना काम नहीं निकलता । हमने उनसे कहा आप क्यों देते हैं ! तो वे कहते हैं-उपाध्यक्ष महोदय, इसके बिना हमारा काम निकल हो नहीं सकता । जब हम ये बातें सुनते हैं तो हमारा दिल यह कहता है कि क्या आज़ादी प्राप्त होने का मतलब यही होगा । उन लोगों के खिलाफ कुछ कार्यवाही करने का सोचते हैं तो वे बिना शहादत के या अन्य कई वजूहातों से वे कानून के चंगुल से बच जाते हैं । केस में किसी प्रकार की कमज़ोरी रह ही जाती है या किसी का केस बन नहीं पाता, आज तो बहुत सारी गलियां निकल गई हैं जिसकी वजह से भ्रष्टाचार करने वाले कानून के पंजे से बच निकल जाते हैं । मैं तो यह मानता हूं कि इस पर सदन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । अगर सरकार इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं कर सकती और उसकी नीति यह नहीं बनती कि इसका सर्वांगीण नाश हो तो सदन सर्वोपरि है, इस सदन में जो निहित अधिकार है वह भ्रष्टाचार की इस समस्या पर विचार करे

२ म० प०

और ऐसी नीति बनावें, ऐसा कानून बनावें, अगर जरूरत हो तो । हमें सबको मिलकर यह करना चाहिये जिनकी समाज के नैतिक उत्थान में गहरी दिलचस्पी है । उन पर ज़िम्मेदारी भी है । हम ऐसा कानून बनाकर, अगर जरूरत हो, तो सरकार को दें । भ्रष्टाचार ने जिस सीमा तक हमारे समाज के शरीर में घर कर लिया है उसको ज्यादा देर तक देखते बैठे नहीं रह सकते । हमारा हमारे देश के इतिहास से परिचय रहा है, हमारे प्रदेश के पूर्व इतिहास से हमारा परिचय रहा है । हमने सदन से युद्ध में मरने वाले लोगों को वीर माना है । यह जो भ्रष्टाचार आज हमारे मानसिक स्तर से निकल कर समाज के हर जिस्म में खून के रेशे रेशे में जो घर कर गया है, यह जो इतनी व्यापक बीमारी बन गई है इसको दूर करना एक सबसे बड़ा युद्ध मानकर हमको चलना चाहिये । मैं कहना चाहता हूँ संसार में शरीर के युद्ध बहुत हैं, पर वे इतने महत्वशाली नहीं हैं लेकिन जो समाज के शरीर के अन्दर खोखला करने वाला जो बड़ा व्यापक आन्दोलन है, नैतिक

(श्री जनार्दनराव नागर)

पतन का वह हमारा बड़ा महत्वशाली युद्ध है। वह हमारा सच्चा युद्ध है। इस दृष्टि से एन्टीकरप्शन विभाग इस युद्ध में लड़ने के लिये सरकार को नैतिक शक्ति देने वाला विभाग है। पर अफसोस है कि इस विभाग का जो महत्व है उसे पूरी तरह अंगीकार करके चला नहीं जा रहा है। मैं नहीं जानता इसका क्या कारण है। सरकार के हाथ क्यों बन्धे हुए हैं।

(हंसी, तालियां)

क्या संकोच है उसको, मैं नहीं जानता। यदि कोई संकोच है सरकार को तो उसे हमें कहना चाहिये। यदि उसकी ऐसी कोई विवशताएं हैं तो हमें कहना चाहिये।

(हंसी, तालियां विरोधी पक्ष की ओर से)

मैं नहीं कहता कि एन्टीकरप्शन विभाग के लोग इसके लिए कोई आतुर नहीं हैं। आतुर हैं। मेरी बातें होती रहती हैं उनसे, चूंकि मेरी दिलचस्पी है इस विषय में इसलिये मैं थोड़ी बहुत जानकारी करने की चेष्टा किया करता हूं। मैं हिम्मत और विश्वास से कह सकता हूँ कि एन्टीकरप्शन में काम करने वाले लोगों के मन में हैं, वे आतुर हैं कि वे पूरी उनकी ताकत के साथ भ्रष्टाचार पर आक्रमण करें और आगे बढ़ें। पर कुछ हमारी नीति दोषपूर्ण है, संकुचित है जिससे हम साहस और हौसले से आगे नहीं बढ़ सकते।

(हंसी और तालियां विरोधी पक्ष की ओर से)

इसलिये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये यह मांग करता हूं कि सरकार अपनी नीति को इसके प्रति सबल बनावें, संकुचित नहीं रख कर व्यापक बनावें, दोष रहित करें। क्योंकि वह तो सरकार की एक प्रकार से उद्घोषित नीति व प्रतिज्ञा है कि राजस्थान से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करके वह रहेगी। मैं चाहता हूँ कि यह वादा उसका पूरा होना चाहिये। जो साधन उसे चाहिये, निश्चित रूप से यह सदन वह साधन सरकार को देगा, वह एक चाहेगी तो सदन दो देगा। पर वादे को पूरा करने के लिये सरकार की हिम्मत और लगन उसकी नीति में प्रतिबिम्बित मिलने चाहिये। आप विभाग कायम कर दें, नीति उद्घोषित कर दें पर कमज़ोर आदमियों के सहारे उसे चलाया जावे तो यह तो गुनाह बेलज़्ज़त जैसी बात है। इसलिये आमूलचूल भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने की नीति दृढ़ता से सरकार को अपनानी चाहिये। यदि इसमें उसे कोई कानूनी कठिनाई है तो यह सदन उसे कानून बनाकर भी दे सकता है। वह भ्रष्टाचार पर हिम्मत के साथ युद्ध स्तर पर आक्रमण करे। यह युद्ध है। यदि कोई रोग है, आग लगी है और उसे दूर करने और बुझाने का यत्न हम न करें और ऐसा इन्तज़ाम न करें कि आग बुझ जाये तो हम अपना ही विनाश कर लेंगे। यह भ्रष्टाचार का रोग भी ऐसा ही है जो हमारे समाज में आज आग की तरह फैल गया है। इसके खिलाफ हमें लड़ना है इसे युद्ध स्तर पर ही लड़कर हम दूर कर सकते हैं, और ऐसा करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री अर्जुनदास से) Yes, that is a direction for you.

श्री अर्जुनदास : That is what they are trying to do.

श्री उपाध्यक्ष : It is a direction to you.

श्री जनार्दनराय नागर : बार बेसिस पर इस सारे मामले को लड़ना चाहिये। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब सरकार को इस विभाग के ज़रिये भ्रष्टाचार पर अधिक से अधिक आक्रमण करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरे एक मित्र ने जयगढ़ फोर्ट के बारे में कहा था। मैं खुद एस्टीमेट कमेटी में था। वह महाराजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति है। विधि विधान कोई नहीं है कि सरकार के खज़ाने से उनका इन्तज़ाम करने के लिये आदमी रखे जायें। यह बड़ा अहम् और गम्भीर मसला है। इसकी जांच मांगनी चाहिये सदन को। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो आदमी सरकार के पैसे से रखे जाते हैं उनका मुआयना हमारे आई० जी० पी० नहीं कर सकते। उन पर कन्ट्रोल सरकार का नहीं। पैसा सरकार का और कन्ट्रोल राजा का। आज राजाओं का युग समाप्त हुआ। वे भी आज एक साधारण नागरिक बन गये हैं। अगर भारत सरकार के होम विभाग के द्वारा ऐसा कोई तसफिया हुआ है या अहदनामा किया गया है तो मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे केन्द्र के होम मिनिस्टर साहब ने भी ऐसा समझौता या अहदनामा अगर राजा के साथ किया है तो वह भारत के संविधान के विपरीत है। साफ बात है कि किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा राज के खज़ाने से नहीं हो सकती।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आप भी चाहें तो हो सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : आप इसकी जांच करावें कि सत्य क्या है। अगर हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने ऐसा कोई अहदनामा किया है तो यह गलत है और भारत के होम मिनिस्टर ने किया है तो गलत है। यह संविधान के विपरीत है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमने नहीं किया।

श्री जनार्दनराय नागर : आपने जब नहीं किया तो भारत सरकार ने किया। मैं कहना चाहता हूं इसकी जांच की जाय, किसने क्या किया है। अगर किसी ने कुछ किया है तो यह सही नहीं है। आज एक मामूली नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये सरकार तैयार नहीं है पर राजा के पीछे आज भी लाखों रुपया खर्च करती है जो एक अतीत की चीज़ बनकर आज रह गये हैं, जो इतिहास की वस्तु मात्र आज रह गये हैं। इस रहस्य का पता लगाया जाना चाहिये कि किसने किसके साथ कैसा अहदनामा किया है। क्या मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : That will do. We are going beyond the scope of the cut motion.

श्री मदनसिंह : यह व्यक्तिगत सम्पत्ति तो सरकार के पास आने वाली है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : On a point of information, Sir, is he replying on behalf of the Minister. ? जो जयगढ़ के मामले में ...

श्री उपाध्यक्ष : The point of order is not well taken, because the debate is closed.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे, इस मांग पर तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव पुलिस कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था पर है, दूसरा ग्राम अजीतपुर में डकैती पड़ी उस पर है, और तीसरा आर. ए. सी. के डाक्टरों के सम्बन्ध में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय हम अनेक बार पुलिस की शिकायत करते हैं कि पुलिस का सिपाही हमारी सहायता नहीं करता। पर पुलिस का सिपाही या कर्मचारी देवता नहीं है। वे हमारे समाज के ही व्यक्ति हैं और इस कारण उनकी भी अनेक आवश्यकतायें हैं, ठीक हमारी ही तरह। पुलिस कर्मचारियों के यहां भी बीमारी होती है, उसके बाल-बच्चे, स्त्री आदि बीमार होते हैं, अभी कुछ दिनों पहले सदन में प्रश्न उठाया गया था कि एक सिपाही को टी बी हुई पर उसे कोई सहायता नहीं दी गई, सरकार न कोई उनके लिये सहायता की व्यवस्था ही कर पाई है और इस कारण अन्त में उसका स्वर्गवास हो गया। तो यह कोई एक घटना हो या नई बात हो, ऐसी बात नहीं है। इनको आर्थिक व मैडिकल ऐड की कमी है। आज चिकित्सा में काफी रुपया खर्च होता है जो कि मामूली तनख्वाह पाने वाला सिपाही नहीं खर्च कर सकता। इसलिये इसमें उसको पृथक से सरकार की ओर से मदद दी जाने की व्यवस्था होनी चाहिये। हम जब मिलिट्री में देखते हैं तो वहां बराबर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है पर जब हम एक पुलिस के आदमी से २४ घंटे ड्यूटी लेते हैं और उसके लिये चिकित्सा की कोई सहूलियत नहीं कर सकते। मुझे इस प्रकार की भी शिकायतें मिली हैं कि हमारे इधर के जो लोग आर. ए. सी. में हैं और जो जैसलमेर की ओर तैनात हैं उनको उधर का पानी और आबहवा अनुकूल नहीं पड़ती, वह स्थान उनके लिये स्वास्थ्यप्रद नहीं है और यह भी इस कारण कि मैडिकल ऐड भी उनको कम है।

मैं समझता हूं कि शायद इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि हमारे मैडीकल हॉस्पीटल्स हैं लेकिन नहीं, मैं इस बात के लिए निश्चित हूं कि आपके जो हॉस्पीटल्स हैं उनमें किस प्रकार की व्यवस्था है। आपके डॉक्टर प्रेसकाइब करते हैं बाजार से दवाई लाने के लिए और बहुत कम मिक्सचर हॉस्पीटल्स से मिलती है। जब वह बाजार से लायेगा तो उस गरीब सिपाही को जिसको इतनी कम तनख्वाह मिलती है वह कैसे व्यवस्था कर सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए। यह तो वही बात हो गई कि अफसर पर धन बरसता रहा और सिपाही बिचारा तरसता रहा।

श्री अनोपसिंह : मुकर्रर, मुकर्रर।

श्री उपाध्यक्ष : Are you going to convert it in to a Kavi Sammelan?

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, कि माननीय मंत्री जी जो गरीब सिपाही हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए विशेष व्यवस्था करें और जो पुलिस के लिए हथियार या और दूसरी चीज़ों में खर्च किया जाता है उसमें कमी करें और उनके स्वास्थ्य के लिए अधिक खर्चा करें।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव आ० ए० सी० के डॉक्टरों के लिए है। आर० ए० सी० में ३ डॉक्टर्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ३ डॉक्टर हैं और उनकी स्थिति यह है कि उनके लिए विज्ञापन निकाला और

(डॉ० बहादुरसिंह)

उसके अन्तर्गत कुछ प्रोविज़न्स किये हैं कि इन शर्तों पर कोई सर्विस करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि आज डॉक्टरों का अभाव है और इसके कारण यह निश्चित है कि आपके हॉस्पीटल्स में डॉक्टरों की कमी रहती है। लेकिन आपको किसी प्रकार आर० ए० सी० के लिए डॉक्टर्स मिल गए तो उनको आप इस तरह से तंग करें कि आई० जी० आपका लिखे कि आपका संबंध मैडीकल एण्ड हैल्थ से है और उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि जो आर० ए० सी० के ऑफिसर्स को सुविधायें मिलती हैं वे हम नहीं दे सकते क्योंकि आप रेग्यूलर पुलिस फोर्स में सर्विस नहीं करते हैं और उधर से मैडीकल एण्ड हैल्थ विभाग वाले लिखते हैं कि क्यों कि आप आर० ए० सी० में हैं इसलिए आप मैडीकल की व्यवस्था में नहीं आते हैं। तो उनकी स्थिति आज बिल्कुल त्रिशंकु की तरह है। न तो वह पुलिस में ही हैं और न वह मेडीकल विभाग में ही हैं। मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री फोर्स में डॉक्टर्स होते हैं तो उनके साथ जो जो व्यवहार होता है वह मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों के समान ही होता है। इसी तरह अगर आपका कोई आर० ए० सी० का डॉक्टर है तो उसके साथ उसी प्रकार से व्यवस्था रखनी चाहिए जैसी कि आप एक आर० ए० सी० के अधिकारी की रखते हैं। इसके लिए अलग से नियम आदि बनाने और कोई कमेटी बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक डॉक्टर का कैडर एस० पी० या सर्किल इन्स्पेक्टर के समान रख दें या फिर जिस पोस्ट का डॉक्टर है उसी प्रकार की सुविधा उसको दे सकते हैं। इसलिए इस संबंध में बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि हम आर० ए० सी० के डॉक्टरों को अगर मैडीकल एण्ड हैल्थ विभाग से उधार मांगते हैं तो उनके ऊपर फिर मेडीकल एण्ड हैल्थ विभाग के रूल्स लागू करो वरना उसको आर० ए० सी० के अधिकारियों के अनुसार ही सुविधायें दो। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ के लिए और अर्ज़ कर देना चाहता हूं और वह यह है कि एक डॉक्टर ने एम० बी० बी० एस० का कोर्स पास करने के लिए परमिशन मांगी लेकिन उसको यह कह दिया गया कि हम आपका एडमीशन नहीं ले सकते क्यों कि तुम आर० ए० सी० के हो। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, फर्दर स्टेडी के लिए भी उनको फैसेलिटी होनी चाहिए क्योंकि चिकित्सा के संबंध में हमेशा नवीन परिवर्तन होते हैं यदि कोई उनको स्टडी नहीं करता तब भी वह आपके अयोग्य रहता है इसलिए मैं समझता हूं कि या तो आपको स्पष्ट रूप से मेडीकल एण्ड हैल्थ के अन्तर्गत कर दीजिए या फिर आर० ए० सी० के अन्तर्गत कर दीजिए। आप उनको आर० ए० सी० के अधिकारियों के समान ही सुविधा दें। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें विलम्ब की क्या आवश्यकता है और यह काम तो बहुत जल्दी किया जा सकता है।

अब इसके बाद में मैं उस डकैती के प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ जिसके संबंध में मैंने एक बार यहां सदन में स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। यह अजीतपुर की डकैती के बारे में है। यह अजीतपुर गांव जो कि बाडी तहसील में है इसमें एक डकैती पड़ी और यह डकैती एक ऐसे व्यक्ति के यहां पड़ी जिसके यहां

(डॉ० बहादुरसिंह)

शादी थी और यह एक मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके रिश्तेदार के यहां पड़ी थी। श्री गोपीचन्द जो कि मंडल कांग्रेस अध्यक्ष सेपऊ हैं। इनके यहां ग्राम पंचायत के चुनाव होने के कारण उनके जो दूसरे विरोधी हैं जो कि चुनावों में पहले भी हार चुके थे। वह बराबर इस बात की धमकी देते रहे कि तुम्हें नुकसान पहुँचाया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिस समय अपने यहां असेम्बली शुरू हुई थी तो मैं सैपऊ गया था और मैं वहां एक रात रहा भी था और जब मैं वापिस आ रहा था तो पास के ही गांव में एक महंतजी थे उनके यहां भी डाका पड़ा और उनके यहां बारह सौ का डाका पड़ गया। इसलिए सैपऊ के अन्दर और उसके आस पास के इलाके में आये दूसरे तीसरे दिन इस प्रकार की घटनायें होती हैं। मुझे मालूम है आप कह सकते हैं कि हमने धौलपुर के अन्दर बड़े बड़े डाकुओं को खत्म कर दिया। यह ठीक है कि लोकल गैंग्स बिल्कुल समाप्त हो गए लेकिन यह जो छोटे २ बदमाश हैं जिसको आप पकड़ने में भी समर्थ हैं उनके लिए आप कुछ नही करते क्यों कि यह लोग ऐसे हैं कि जो सभ्य समाज में बैठते हैं और इस प्रकार के लोग हैं कि रात में डाका डालें और दिन में वही लोग आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अजीतपुर की डकैती को एक प्रकार से राजनैतिक डकैती मानता हूं। मैंने निवेदन किया कि पंचायत के सरपंच का इलेक्शन था और श्री गोपीचन्द जी का उस क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि उनके विरोधी को करीबन २०० मत ही आये जब कि उनको करीबन २००० मत मिले। तो जिन लोगों ने वहां आतंक जमा रखा था वह यह कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार उनको नुकसान पहुँचाया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिसे हम प्रकट भी नहीं कर सकते कि श्री गोपीचन्द जी के दामाद उस डकैती में कैसे मारे गए....

श्री रामकिशोर व्यास : अजीतपुर डकैती में तो कोई नहीं मारा गया।

डॉ० बहादुरसिंह : दूसरे ही दिन मर गया।

श्री रामकिशोर व्यास : डाकुओं के जाने के बाद।

श्री उपाध्यक्ष : Because of the natural death or because of the injiries ?

डॉ० बहादुरसिंह : डकैती का ही कारण है। क्योंकि उस व्यक्ति को इतना परेशान किया गया और वह इतना भयभीत था कि कुछ नहीं कह सका और डाकुओं के चले जाने के बाद दूसरे दिन ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यदि इस प्रकार की छोटी छोटी घटनायें हों और वह आये दिन होती रहें और अगर इनको हम निगलेक्ट करते गये तो हो सकता है कि कोई बड़ा गैंग वहां पर पैदा हो। यह निश्चित रूप से माना हुआ है कि अजीतपुर की डकैती के बाद वहां के जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं, उनमें बड़ा भारी आतंक फैला हुआ है। उससे वह काफी भयभीत हैं। वह इस बात की कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से सुरक्षा स्थापित हो। तो मैं निवेदन करना चाहता

Page No.65

(डॉ० बहादुरसिंह)

हूँ कि आप किसी प्रकार भी इस प्रकार की व्यवस्था करें कि सैंपऊ के अन्दर और जो दूसरे धौलपुर के इलाके हैं उनके अन्दर जो छोटी छोटी घटनायें बढ़ रही हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करें और अजीतपुर की डकैती के बारे में यदि कोई वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं है या वहां की पुलिस और कर्मचारी चाहते हैं तो वह भी देने के लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आई० जी० को कुछ मांग की गई और हो सकता है वह इस पर विचार करें। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजीतपुर की जो डकैती है उसको साधारण घटना के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि एक गंभीर दुर्घटना उसे मानना चाहिए क्यों कि यह डकैती चुनौती है सार्वजनिक कार्य-कर्त्ताओं को जो कि वहां रहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अजीतपुर की डकैती के लिए माननीय मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस की इस मद में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव का सम्बन्ध पुलिस आफिसर्स में असन्तोष के सम्बन्ध में है तथा दूसरा पुलिस विभाग की ज्यादतियों के सम्बन्ध में है। मैं इन दोनों कटौती के प्रस्तावों को सदन में एक साथ ही प्रस्तुत करता हूँ।

"1. To discuss dissatisfaction among police officials regarding promotions.

2. To discuss excesses of the Police Department."

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग का जो बजट इस बार पेश हुआ उसको देखकर पुलिस विभाग के हर कर्मचारी को यह असंतोष हुआ होगा कि बजट के आंकड़ों में वृद्धि हुई है लेकिन जो कर्मचारी इस बजट की तरफ कई दिनों से आतुरता से निगाह कर रहे थे उनकी आमदनी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। यह जानकर उन्हें काफी खेद हुआ है। राज्य सरकार का पुलिस का बजट किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है इसका ज़िक्र, मैं समझता हूँ, मेरे से पूर्व बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने किया था। लेकिन जिन बातों को लेकर बजट बढ़ा है, उन बातों को मुख्य रूप से यदि इस बजट में जो एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिया है उसको देखते हैं तो उसमें भी इस बात का प्रयत्न किया गया है कि बजट के जो कुछ आंकड़ें बढ़े हैं उनका मुख्य कारण पुलिस कर्मचारियों के अलाउन्स में वृद्धि, मैस अलाउन्स का दिया जाना या अन्य कई इस प्रकार की सुविधाएं गत वर्ष में पुलिस के सिपाहियों को दी हैं, उसी के कारण बजट के आंकड़ें बढ़े हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार या राज्य का पुलिस विभाग इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि सरकार के अलावा गैर सरकारी स्तर पर और वह भी विधान सभा की संविधान के अन्तर्गत जो इस प्रकार की समितियां बनाकर अलग अलग विभागों पर अपना निर्णय देती है उनको भी कहीं अमली रूप देना है या नहीं। राज्य सरकार का पुलिस का बजट बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते ४,३०,००,०००) रु० तक का अनुमान लगाया गया है। वह १९ ५७-५८

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्दर ३,७४,००,०००) रु० का बजट था, लेकिन १९५८-५९ के अन्दर वही बढ़ कर ३,९३,००,०००) रु० का हो गया है। यह अनुमानित आयव्यय था लेकिन एक्चुअल खर्चा ४,०६,००,०००) रु० हो गया। इस सारी स्थिति के अन्दर विधान सभा द्वारा बनाई गई, प्राक्कलन समिति ने कुछ सिफारिशें पेश की थीं। मैं उन सिफारिशों के डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन इसके अन्तिम पेज ३२ के ऊपर दो शब्द लिखे हैं। कुल प्रस्तावित बजट में जो कुछ उन्होंने प्रस्तावित किया है कि कौन कौन बचत हो सकती है, अलग अलग बजट में कितना कितना रुपया बच सकता है, वह बचत कुल मिलाकर १,४६,८२,२६०) रु० की है। उन्होंने १९५७-५८ की रिपोर्ट पेश की है। १९५७-५८ में ३ करोड़ और कुछ लाख का बजट था। उसमें १,४६,००,०००) रु० की बचत का प्रस्ताव प्राक्कलन समिति ने प्रस्तुत किया है, और हमारी सरकार ३,९३,००,०००) से बढ़कर ४,०६,००,०००) रु० के ऊपर आ गई है, फिर ४,३०,००,०००) रु० इस वर्ष के लिए अनुमानित करती है तो इसका मतलब यह है कि जो संभावित बचत १,३६,००,०००) रु० की है और जो सरकार का खर्चा बढ़ा है वह सारा मिलाकर ढ़ाई करोड़ तक होता है। ऐसी स्थिति के अन्दर यह एक चिन्ता का विषय है, लेकिन सरकार ने जिस प्रकार के आंकड़े दिये हैं, उसका सारा इल्ज़ाम उन कर्मचारियों पर डाल दिया है। मुझे इस बात का अफसोस है। केवल मेस अलाउन्स देकर या ५) रु० उनकी तनख्वाह में बढ़ा कर इस बात का संतोष उन्हें कराना चाहा कि हमारे कारण से बजट पर अतिरिक्त भार आया है तो इस अतिरिक्त भार के शब्दों को या बजट में इस प्रकार की व्यवस्था का बराबर उल्लेख करने से राज्य के पुलिस सिपाहियों को, जो कि भूखे हैं, किसी प्रकार का संतोष होने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है जिस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भाषण दिया था तो यह कहा था कि एक तरफ सरकार टैक्स लगाने का कोई प्रस्ताव रखती है तो सदन के सदस्य उसका विरोध करते हैं। लेकिन जब अल्पवैतनिक कर्मचारियों की तनख्वाहों का प्रश्न आता है तो सरकार से इस बात की मांग की जाती है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जायं। मैं ऐसा समझता हूं कि आज की स्थिति को ध्यान में रखकर हमारी सरकार किसी प्रकार का यदि कोई कार्य करे तो उसको एक मान्यता देनी पड़ेगी, इस बात की कि जो आज का जो पुलिस कर्मचारी है, जो पुलिस का सिपाही है उसको जितनी तनख्वाह दी जाती है वह इतनी कम है कि उस कमी के कारण किसी भी प्रकार के अच्छे कार्य की उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज इस प्रकार से कर्मचारी वर्ग इस प्रकार का उपयोग कर रहा है, और साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि कुछ परिस्थितियां सरकार के द्वारा बनाई जारही हैं कि जिन परिस्थितियों के अन्दर वे लोग कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। आज किसी स्टेट के आंकड़े उठा कर देखें, केन्द्रीय सरकार के आंकड़े उठाकर देखें, पे कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट को देखें जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज़ के बारे में पेश की है उसको उठाकर देखें, जो प्राइस इन्डेक्स बढ़ते जा रहे हैं उनको उठाकर देखें तो कोई ऐसा कारण नहीं कि जिस कारण को लेकर राज्य सरकार कह सके

Page No.67

(श्री भैरोंसिंह)

कि राज्य के पुलिस सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए । केवल इतनी सी बात कहकर कि आर्थिक संकट है। मैं समझता हूँ कि आर्थिक संकट एक प्रकार का कृत्रिम संकट है। इस कृत्रिम संकट को लाने की जिम्मेदारी मैं तो ऐसा समझता हूँ कि सरकार के उच्चाधिकारियों के ऊपर है। उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी मशीनरी या हमारे मन्त्री मंडल की अयोग्यता के ऊपर है । मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे मंत्री जी कह गये, वित्त मंत्रीजी उन्होंने तो शायद अपनी अयोग्यता का प्रमाण अपने शब्दों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया था। कुछ ऐसा लगता है कि यह एक तरह से इन्फेक्शस बीमारी है जो कि दूसरे मंत्रियों में भी बढ़ती चली जा रही है कि जिस तरह का प्लान या जिस तरह की बात बजट की नीचे से बनकर आती है उसको अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता के आधार पर देखकर उसमें कितनी कमी की जा सकती है, इस कमी पर ध्यान नहीं दिया जाता है और जिस प्रकार की स्कीम नीचे से बनकर आती है उसी पर हस्ताक्षर कर दिये जाते है, ऐसा ही ढांचा विधान सभा से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की चीजों से काम चलता नहीं है।

पिछले दिनों पुलिस कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की थी। मुझे अफसोस है कि राज्य के पुलिस अधिकारी सरकार के विरुद्ध भूख हड़ताल करें, और सरकार चिन्ता नहीं करे। चिन्ता इस बात की जरूर की जाती है कि भूख हड़ताल करने वालों को यहां से बदल-कर जैसलमेर भेज दें या जैसलमेर से बदल कर बाड़मेर भेज दें या बाड़मेर वाले को अलवर भेज दें। इन चीजों के कारण पुलिस के सिपाहियों में असंतोष है। उसको दूर नहीं कर सकते हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान में कोई दुःखी आदमी हो सकता है कोई राज्य कर्मचारी दुःखी हो सकता है तो वह पुलिस का सिपाही ही हो सकता है। रात दिन उसको आपके दरवाजे पर पहरा देना पड़ता है, डाकुओं से मुकाबले में अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है और वह मर जाता है। अगर कोई अफसर गोली का शिकार हो जाता है तो उसको इनाम इकराम मिलता है। अगर वह मर जाता है तो पेन्शन मिलती है उसके लड़कों को नौकरी मिलती है। माननीय गृह मंत्रीजी बतायें ! मैंने भी ऐसे स्टेटिस्टिक्स तैयार कर रखे हैं कि जितने भी अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं या पुलिस का सिपाही वर्ग जो कि डाकुओं के मुकाबले में मरगया है या किसी प्रकार से ड्यूटी पर मर गया है, या टी. बी. में मर गया है तो उसको किस प्रकार की सहायता दी जाती है और उच्चाधिकारियों को कितनी दी जाती है। जब एक साथ उनकी तुलना की जाय तो पता लगेगा कि जो उच्च अधिकारी हैं। जिनका असर सरकार के ऊपर है, उन्होंने सरकार से ज्यादा पैसा ले लिया है, और जो गरीब सिपाही हैं जिनकी कोई सुनने वाला नही है उन्हें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला इस स्थिति में मैं गृह मंत्रीजी से माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात की संभावना है कि यदि आपने जल्दी ही इन पुलिस के सिपाहियों के असंतोष को दूर नहीं किया तो वह स्थिति आ सकती है कि पुलिस के सिपाही सब मिल-

Page No.68

(श्री भैरोंसिंह)

कर सरकार के मुकाबले में खड़े हो कर सरकार का विरोध करें। वह स्थिति आयेगी यदि इस प्रकार का ढंग बनाये रखा तो। एक तरफ तो आप बड़े बड़े ऑफिसर्स के एसोसियेशन को मान्यता देते हैं, उनको मान्यता देते हैं यह कह कर कि उनका सोशल एसोसियेशन है। मैं समझता हूँ कि यदि बड़ों को संगठन करने का अधिकार है तो छोटों को भी है। यदि आप उनको मान्यता नहीं देते हैं तो बड़ों की मान्यता को भी रद्द करना पड़ेगा, उनको मान्यता देना वाजिब नहीं है। इस प्रकार के लोगों को मान्यता दी जाय, तो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी।

अब प्रश्न यह आता है कि इस स्थिति के बाद जो हम पुलिस पर चर्चा करते हैं या करते रहे हैं वह चर्चा वास्तव में जो पुलिसका कार्य है उसके अनुरूप होता जा रहा है या नहीं। पिछले सेशन में मैंने एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलते हुए पुलिस विभाग के कारनामें सदन में प्रस्तुत किये थे, उस समय गृह मंत्रीजी सदन में मौजूद थे। लेकिन बदकिस्मती से उत्तर उन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया इसके बारे में मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था, इसका प्रमाण यह था कि एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर आपने यह दिया कि पुलिस नॉन कोग्नीजेबल ऑफेन्स में भी गिरफ्तार कर सकती है। इस प्रकार की बात जब सदन में राजस्थान के गृह मन्त्री जी करें तो उससे प्रेरणा पुलिस कर्मचारियों को क्या मिलेगी जो रात दिन ज्यादतियां करते है, उनसे अगर बात करते हैं तो वे कहते हैं कि राजस्थान के गृह मंत्रीजी जिम्मेदार जगह पर बैठ कर यह कहते हैं कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेन्स में गिरफ्तारी हो सकती है....

श्री रामकिशोर व्यास : मैं अब भी कहता हूं कि गिरफ्तारी हो सकती है डी.एम. की पर्मिशन से।

श्री भैरोंसिंह : यदि यह बात पहले कहते तो मैं कुछ नहीं कहता, नियम की पर्मिशन से तो सब कुछ हो सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में प्रोविज़न है।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीजर है यह मैं भी जानता हूँ, लेकिन जिस प्रसंग से आपने कहा था उसका सेन्स यह नहीं था, डी.एम. की तरफ से संकशन की बात नहीं थी और न वारेन्ट था, वह तो आप कह गये....

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात है।

श्री भैरोंसिंह : जो गिरफ्तारी हुई थी वह इस ढंग की नहीं थी, आप प्रोसिडिंग्ज़ उठा कर देख लें। उपाध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी डी० एम० की पर्मिशन से हो सकती है लेकिन इसका असर पुलिस अधिकारियों पर ज़रूर पड़ने वाला है। अभी एक प्रश्न और आया था कि बदनियती से गिरफ्तार कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि रांगफुली कान्फाइनमेन्ट हुआ, दो महीने हुए, आज तक क्या कार्यवाही हुई तो बताया कि कार्यवाही की जांच होगी। राजस्थान के गृह मंत्री जी विधान सभा में कह रहे हैं कि बदयान्ती से गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाकर जांच हो रही है...

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब दिया था, पूरी बात आती तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चलाते, आप आधी बात कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूं सस्पेनशनकी बात, मुश्किल यह है कि आप कुछ और कह रहे हैं। एक व्यक्ति को बद्यान्ती से गिरफ्तार किया, दो महीने पहले गिरफ्तार किया, बद्यान्ती से गिरफ्तार किया, रोंगफुल कन्फाइनमेन्ट का ऑफेन्स किया। जब सरकार को पता लग गया कि बद्यान्ती हुई है तो स्पष्ट पोज़िशन यह थी कि उसके खिलाफ चालान पेश किया जाता, गृह मंत्री जी कहते हैं बद्यान्ती से गिरफ्तारी हुई और डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है। उसका चालान करने और कस्टेडी में रखने का भी प्रावधान है। जिस व्यक्ति ने गिरफ्तार किया उसके लिये आवश्यक है कि आप उसको सस्पेन्ड करें और जेल में भी रखें। सदन में इस प्रकार की बात कही जाती है, बद्यान्ती से गिरफ्तारी हुई और इन्क्वायरी हो रही है। हमारी पुलिस के आततायी कर्मचारियों को पता चल गया है कि हम कितने ही बद्यान्ती से काम करें, सरकार हमको रोकने वाली नहीं है। मैंने विधान सभा के पिछले सेशन में भी कहा था लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि उसे गलत सिध्द कर दे। मैं अभी फिर कहता हूं कि इसका परिणाम बुरा हो रहा है। अभी कोटा में फरवरी में एक घटना हुई, मैं कहता हूं उस दिन की बात जितने पुलिस अधिकारी चोरी करते हैं। उसका ज़िक्र था, पुलिस अधिकारी औरतों के साथ व्यभिचार करते हैं, पुलिस वाले पैसे लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन में लोगों को जान से मार देते हैं इसका ज़िक्र था। लेकिन कुछ क्राइम्स उस समय तक मेरे सामने नहीं आये थे उनके बारे में मैं अब बताता हूं कोटा में एक सी० आई० थे. डिप्टी मिनिस्टर साहब गौर से देख रहे हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : देखना भी मना है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : गौर से देखते हैं इसलिये कहता हूं आप भी गौर से सुनिये। कोटा में गुलजार साहब सी० आई० हैं, कोटा में एक कोतवाली भी है, कोटा में एक साइकिल की चोरी होती है। एक लक्ष्मीचन्द्र नाम के लड़के की साइकिल की चोरी होती है, अब वह लड़का जनसंघ या कांग्रेस के ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं जाता है बल्कि मजबूर होकर उसको थाने में जाना पड़ता है, वह कोतवाली में रिपोर्ट करने गया लेकिन साइकिल के चोरी की रिपोर्ट वहां पर लिखी नहीं गई। जब वहां के थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो सी० आई० साहब को रहम आ गया, उन्होंने उसको कहा मेरे पास आओ मैं लिखता हूं, उन्होंने उसको अपने कमरे में बुलाया, मैं कहता हूं कि अगर इसको झूठा साबित करें तो मैं त्याग पत्र दूंगा नहीं तो गृह मंत्री जी त्याग पत्र दें उस सी० आई० ने उस लड़के केसाथ अननेचुरल ऑफेन्स किया (शेम) एक तो साइकिल की चोरी हो और रिपोर्ट करने जाय उसके साथ में इस प्रकार का अन्याय हो, और राजस्थान के गृह मंत्री जी बैठे रहें...

श्री उपाध्यक्ष : Who was the gentleman from gallery who said 'Shame'? Sergeant-at-arms to please find out Somebody from the gallery on that side.

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

Yes, please resume.

श्री भैरोंसिंह : यहीं से बोला है। इसकी शिकायत एस० पी० और कलेक्टर के पास भी की गई लेकिन शिकायत के बाद भी कार्यवाही क्या होती है, मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब इस सारी स्थिति का उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर क्या देंगे यह भी मैं बता दूं..

श्री रामकिशोर व्यास: आप सब बात समझते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जो उत्तर देते हैं, मैं उसको समझता हूं, आपकी कला से अच्छी तरह से परिचित हूं, उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है, यह उत्तर आप देंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : यह उत्तर नहीं दूंगा। मुझे तो बात ही आपने बताई है

श्री भैरोंसिंह : यह भी बदकिस्मती है राजस्थानकी, इस प्रकार का ऑफेन्स हो और आपको जानकारी न हो।

श्री रामकिशोर व्यास: आपने ही शिकायत की है।

श्री दयाकृष्ण विजय (लुबड़ा): उनका वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया है पुलिस लाइन्स में, जहां शिक्षण दिया जाता है वहां पर लगाया है।

श्री भैरोंसिंह : वह और भी ऑफेन्स है ऐसे आदमी को शिक्षा देने के लिये भेजा गया है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं जो आपको रोकनी पड़ेगी।

श्री रामकिशोर व्यास : जरूर।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 'जरूर' जैसी लेंग्वेज काम में ला रहे हैं, एक घटना और याद आती है।

श्री उपाध्यक्ष : But it has reduced the force of speech.

श्री भैरोंसिंह : गृह मंत्रीजी की जानकारी में कह रहा हूं।

२.३६ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

पुलिस वाले लोगों के साथ में ज्यादती किस प्रकार से करते हैं यह बताता हूं, गृह मंत्रीजी की जानकारी में होगा तो भी क्या करेंगे....

श्री रामकिशोर व्यास : कायदे माफिक काम करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : हमारी विधान सभा भवन के नीचे एक नाई की दुकान है, हजामत बनाने की। सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को मालूम है कि हमारी विधान सभा के सचिव का छोटा बच्चा हजामत बनवाने के लिये उस दुकान में गया था और वह हजामत बनवा रहा था, एक तरफ की हजामत बन गई थी कि इतने में दो पुलिस के सिपाही वहां पर पहुँचे और उस नाई को पकड़ लिया और उससे कहा कि चलो हमारे साथ, उसने कहा कि आधी हजामत बन गई है, आधी और बना दूँ, तब पुलिस के सिपाहियों ने उससे कहा कि नहीं,, तुमको अभी कोतवाली में चलना होगा और उसका हाथ पकड़ कर उसे कोतवाली में ले गये। वहां पर डिप्टी

(श्री भैरोंसिंह)

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस श्री रामसिंह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि इसके जूते लगाओ, १५ मिनिट तक उस नाई को पीटा गया। उसे पीटा इसलिये गया कि जिस दुकान में वह रहता था वह उनके दोस्त की थी और उससे खाली करवाना चाहते थे। उसको उसने किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया तो वह चाहता था कि दुकान पुलिस के बल से खाली कराई जाय। उस दुकान के सामान को पुलिस के आदमियों ने सड़क पर फेंक दिया, वह नाई अपना सामान लेकर चला गया और सेक्रेटरी साहब का बच्चा तौलिये से सिर लपेट कर घर वापिस आ गया और दूसरे दिन बाल कटवाये। माननीय गृह मंत्रीजी को इसकी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, है, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र की और उसके बारे में कहें, तो मज़ाक में लेंगे क्योंकि हजामत का मामला है, इसलिए मज़ाक में लेंगे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : वे खुद दूसरों की हजामत करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इनको रोकना आवश्यक है। आज मैं समझता हूं कि इस प्रकार के ऑफेन्सेज कहीं और नहीं होते, पुलिस विभाग में भी होते हैं। पुलिस विभाग में जो स्टोर कीपर है, उस पर इल्जाम है इस बात का कि उसने एम्बेजलमेंट किया है। पुलिस का विभाग, दूसरों के यहां चोरी होती हैं, उसको रोकता है, यह विभाग ख्यानत और गबन के मामलों को रोकता है लेकिन पुलिस विभाग का स्टोर कीपर स्वयं गबन करे। सभापति महोदय, हमारे इंडियन पीनल कोड के अनुसार जो गबन करता है, उसका मुकद्दमा बना कर चालान होता है। माननीय गृह मंत्रीजी कहेंगे कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हो रही है और डिपाटमेंटल इन्क्वायरी क्या हो रही है कि उसका एक साल का इन्क्रीमेंट रोक दिया है। उसका इन्क्रीमेंट रोकने का ऑर्डर है, वह बदकिस्मती से कहीं मिस्प्लेस हो गया है, उसको सदन में मैं पेश करने वाला था। उसमें लिखा है कि आपका इन्क्रीमेंट रोक दिया है। १० लाख का एम्बेजलमेंट हुआ हो, और उसका इन्क्रीमेंट रोक दिया जाय, तो उसका आप परसन्टेज निकालें। अगर आपने एक साल का इन्क्रीमेंट रोका तो लोग कितने ही रकम हजम कर जायेंगे। पुलिस विभाग में गबन होने लग गया, पुलिस कर्मचारियों की ज्यादतियां होने लग गई, इतनी वारदातें होने लग गई तो ऐसा महसूस होने लगा है कि नीचे के पुलिस अधिकारी को ऊपर वालों की चिन्ता नहीं है। इसमें दो बातें हो सकती हैं, कि या तो ऊपर वालों की कमजोरी है, या ऊपर वालों को महसूस नहीं करने देते। यह नीचे वालों की होशियारी है कि ऊपर वालों को ज्ञान नहीं होने देते। एक बात मैं निश्चित् रूप से कहूंगा कि पहले मैं खुद महसूस करता था कि जब राजस्थान का आई. जी. पी. राजस्थान का रहने वाला होगा, तब क्राइम्स में कमी होगी। उसमें कमी होकर एक प्रकार की निश्चित रूप से व्यवस्था होगी और पुलिस ऑफिसर्स में कान्फीडेन्स आयेगा और एक दूसरे का विश्वास करेंगे और सद्भावना के कारण क्राइम्स में कमी होगी। यह नक्शा था, लेकिन अब नक्शा विपरीत नजर आया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, मैं इस स्थिति में कह रहा हूं कि राजस्थान के आई. जी. पी. राजस्थान के रहने वाले हैं। जब से कार्यभार उनके हाथ में आया

(श्री भैरोंसिंह)

है, पुलिस विभाग में ज्यादा पोल चली है। वे महसूस करने लग गये हैं कि राम राज्य आ गया है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, अपने घर के आई. जी. पी. हैं, जो मर्जी आयेगी, उस तरह से काम करा लेंगे, जिस तरह चाहेंगे, उस तरह दबा देंगे, जिस तरह चाहेंगे, उस तरह सिफारिश करवा लेंगे : मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि आप भी ठंडे हैं, पुलिस विभाग के योग्य हैं या नहीं, यह सदन निर्णय करें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप ठंडे हैं और पुलिस विभाग को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार की केपेसिटी होनी चाहिए, उसकी भी कमी है। इसके साथ ही साथ आई. जी. पी. भी आपके रूप में ठंडे बन कर आ गये हैं। तो इस ठंडाई के अन्दर पुलिस विभाग अत्याचार करेगा, और जनता उसे बरदास्त नहीं करेगी। मैं समझता हूँ इस ठंडाई को दूर करना पड़ेगा। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि इस डिपार्टमेंट को दूसरे मंत्रीजी को दे दो, जिसके हाथ मजबूत हों। मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, आप करेंगे भी नहीं। मैं समझता हूं कि आप उसके ऊपर विचार करें, उसको देखें तो निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि जितना दूसरे विभागों के अन्दर जिस प्रकार घोटाले हो रहे हैं, उससे ज्यादा आपके विभाग में हो रहे हैं। अगर आपस में एक सम्पर्क के नाते या एक प्रकार की प्रशासनिक नीति के कारण आप इस्तीफा देना चाहें तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन खैर वे देंगे नहीं, इसलिए नहीं देंगे कि हमारे राज्य में मंत्रिमंडल बनाने का एक तरीका है, इस मंत्रीमंडल का सदस्य वही हो सकता है जिसका कोई फॉलोअर नहीं हो, वह मंत्रीमंडल में अपनी राय नहीं दे सकता। आज मंत्रिमंडल में अधिकांश मंत्री ऐसे व्यक्ति बने हुए हैं, जिनको अगर निकाल दिया जाय तो कोई बोलने वाला नहीं है। वे बिल्कुल अकेले हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : इमपार्शियल मामला है।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं कहता कि आप लोगों को साथी नहीं बना सकते लेकिन साथी बनते हैं योग्यता के आधार पर और सब में वह योग्यता हो, यह जरूरी नहीं है। परन्तु मंत्रिमंडल में से कई ने साथी बना लिये हैं, वे साथियों के कारण टिके हुए हैं, वे जबरदस्ती के कारण टिके हुए हैं। कई ऐसे हैं जो मुख्य मंत्री की मर्जी के ऊपर डिपेन्ड हैं...

श्री सभापति : आप पुलिस पर बोलिये, मंत्रीमंडल पर मत बोलिये।

(घंटी)

श्री भैरोंसिंह : पुलिस पर बोल रहा हूं, जो पुलिस के मंत्रीजी हैं उन पर बोल रहा हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : शौक से बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं जोर से बोलिये।

श्री रामकिशोर व्यास : 'शौक से' कहा है।

श्री भैरोंसिंह : किसी आदमी को कहे कि तुम्हारी कमर में एक पेड़ खड़ा हो रहा है। वह कहेगा कि होने दो, मैं छाया में रहूँगा। ऐसी बात आप कहते हैं। मैं मानता हूं कि इन बातों का आप पर कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा फ़र्ज है और मैं समझता हूं कि असर कहने से नहीं होगा, तो ऐसा मौका आ सकता है कि असर करने के लिए कुछ और करना पड़े। वह स्थिति आप बना रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे साथियों की जिम्मेदारी हो, जिसके कारण कोई इल्जाम हम पर लगाया जा सके, इस बात की जिम्मेदारी हमारे पर नहीं हो सकती। अगर कोई अशिष्ट बात हो जाय तो आप पर जिम्मेदारी होगी। आज आप कहते हैं कि जोर से कहते जाइये....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने 'जोर से' नहीं कहा, मैंने 'शौक से' कहा।

श्री भैरोंसिंह : कहने का मुझे शौक नहीं है। आप कोई अच्छा काम करें तो मैं निश्चित रूप से आपकी तारीफ करने के लिए तैयार हूं...

श्री रामकिशोर व्यास : Is it ?

श्री भैरोंसिंह : आप कोई काम करके बतावें, मैं २० दफा कहूँगा, २० दफा तारीफ करूंगा....

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी उदारता के लिए शुक्रिया।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : आपने आजमाया कहां, आपने अच्छा काम करके कहां दिखलाया ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे खुशी है, माननीय गृह मंत्री आखिर इस बात को स्वीकार करते हैं, उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि उनको सन्देह है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं, लेकिन खैर, मैं समझता हूँ

श्री राम किशोर व्यास : बहुत किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप एक भी नहीं बता सकते। अगर एक भी बता दें तो एक बार नहीं, २० बार तारीफ कर दूंगा। आपका डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स तारीफ नहीं कर सकेगा, मैं करूंगा।

सभापति महोदय, पुलिस विभाग में क्राइम्स के चार्ट बनाये जाते हैं और एस. पी. के ऑफिस में चार्ट चले रहते हैं कि १९५६-५७ में इतने, १९५७-५८ में इतने और १९५८-५९ में इतने क्राइम्स हुए और इस बात की कोशिश की जाती है कि क्राइम्स के चार्ट में क्राइम्स धीरे धीरे कम हों। अगर कोई एस. पी. मिडिल ऑफ सेशन में चला गया, वह ५ अक्टूबर, १९५७ को गया, तो उसके बाद उसके साथ एक सप्लीमेन्ट्री चार्ट होगा और यह दिखाने का प्रयत्न होगा कि पहले वाला एस. पी. अयोग्य था, इसलिए जुर्म अधिक हुए हैं, अब मेरे समय में क्राइम्स में कमी हुई है। इस प्रकार अधिकारी चार्ट रख कर बैठे रहते हैं। आप किसी गांव में जाकर देखें, तो सभापति महोदय, यह जान कर आघात होगा कि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी, जब तक उस रिपोर्ट के अनुसार माल और मुलज़िम का पता न लग

(श्री भैरोंसिंह)

जाय, माल बरामद न हो और उसके बाद इनाम मिलने की स्थिति पैदा न हो जाय, इस चीज़ का विश्वास न हो जाय कि इस प्रकार मुकद्दमा बनाने से इस प्रकार का लाभ होने वाला है, ये चार फेक्टर नहीं आ जाते हैं, उस समय तक मुकद्दमा नहीं बनाया जाता। आज माननीय गृह मंत्री किसी एक थाने की सर्वे करा लें और सर्वे कराने के बाद गांवों में घूमें और पता लगाये कि कितनी चोरियां हुई, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोगों के एक्सीडेन्ट हुए, कितने क्रिमिनल ऑफेन्सेज़ हुए हैं, उनमें से कितने रजिस्टर हुए हैं, तो आपको ज़मीन और आसमान का अन्तर मिलेगा। सब की शिकायत होती है, कोर्ट में शिकायत नहीं होती है, एस. पी. ऑफिस में शिकायत होती है। उन शिकायतों पर जमा हुआ, फार्मूला फॉर नेसेसरी एक्शन लिख कर नीचे के ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है। नीचे वाले ऑफिसर उसे खत्म कर दें, तो ठीक है नहीं तो उस पर लिख दिया जाता है कि इस पेपर को फाइल कर दिया जाता है। इसके अलावा आप देखें कि जितने मुकद्दमे रजिस्टर हुए, जितने केसेज़ चालान हुए, उनके बाद बरी करने का काम शुरू होता है। आप देखें कि जितने केसेज़ चालान होते हैं हाई कोर्ट में उनमें से कितने पर्सेन्ट केसेज़ सक्सेसफुल होते हैं। बहुत थोड़े भी नहीं हैं। यह मैं स्वयं नहीं कहता, पुलिस विभाग की ओर से रिपोर्ट प्रकाशित हुई मैं समझता हूं १९५७ के अन्दर, जिस समय प्रधान मंत्री पंचायत सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिये आये थे, उस समय पुलिस विभाग ने 'एक पुलिस नामक किताब प्रकाशित की थी... मुझे उसका पेज याद नहीं है, उसमें आंकड़े देखिये तो पता चलेगा कि पिछले वर्षों में प्रोसीक्यूशन केसेज़ कितने फेल हुए हैं और पहले से उनका पर्सेन्टेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पुलिस विभाग ने इस कमी को स्वीकार किया है, इन प्रोसीक्युशन केसेज़ के फैल होने का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले के दिये हुए आंकड़ों से इन बाद के आंकड़ों का मिलान किया जाय तो स्पष्ट दिखाई देगा कि दिन प्रतिदिन परसेंटेज फॉल होता जा रहा है, प्रोसीक्यूशन केसेज़ में कामयाबी नहीं हो रही है, इन केसेज़ में कामयाबी का परसेंटेज गिरता जा रहा है। इसका कारण है कि आपके पास ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है। जो पी. एस. आईज़ ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें आप बाहर भेज देते है, जो गड़बड़ी करें, उनको यहां रखा जाता है उनको प्रोसीक्युटिंग इन्स्पेक्टर बनाया जाता है, प्रोसीक्युटिंग स्टाफ को आप अच्छी तनख्वाह नहीं देते, इस लिये वे लोग देखते हैं कि थानों में रुपया खाने को मिलता है, रिश्वत मिलती है, फिर प्रोसीक्युटिंग लाइन में क्या बैठे रहें।

जो नये नये सब इन्स्पेक्टर्स बन कर आये उन लोगों से मैंने बात चीत की। उन लोगों से मैंने कहा कि तुम लोग नये नये आये हो, तुम्हें रेपुटेशन बनानी चाहिये, जिसके आधार पर तुम्हें तरक्की मिल सके। तो उनमें से एक ने तपाक से जवाब दिया कि साहब हम लोगों का सेलेक्शन होता है तो ९०० रुपये जमा कराने पड़ते हैं, हम लोग किसी से कर्ज ले कर गहने अड़ाने रख कर ९०० रुपया जमा कराते हैं, ज्योंही ट्रेनिंग ले कर आते हैं तो कर्जदार रुपया मांगता है, तनख्वाह ८० रुपये मिलती है जिसमें घर का और अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाते, फिर कर्ज़ा

Page No.75

(श्री भैरोंसिंह)

कहां से दें तो सबसे पहले पुलिस का काम करने की ट्रेनिंग ली तो ६०० रुपया चुकाने के लिये रिश्वत खाने की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जो गरीब हैं जिन पर कर्जा है, उनको रिश्वत खानी पड़ती है। दूसरे विभागों में ट्रेनिंग होती है पर किसी से रुपया जमा कराने के लिये नहीं कहा जाता, आर. ए. एस. की ट्रेनिंग होती है, आर. पी. एस. की ट्रेनिंग होती है, कोआपरेटिव के इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में रेन्जर्स की ट्रेनिंग होती है, आई. पी. एस. आफीसर्स ट्रेनिंग में जाते हैं पर किसी से खर्चा नहीं लिया जाता पर पुलिस के सब इन्सपेक्टर्स से ट्रेनिंग के लिये खर्चा लिया जाता है और इस तरह मूल ही में उनको करप्ट करने की कोशिश की जाती है और इसका असर सारे राजस्थान में फैल गया है। खैर मुझे ऐसा लगता है कि यह तबका पुलिस के प्रति असंतोष और दुर्भावना पैदा करने का काम करेगा।

आई. पी. एस. का सेलेक्शन हुआ, मुझे खुशी है, इसमें अनियमितता नहीं हुई, पक्षपात नहीं हुआ, गृह मंत्रीजी को जो सही बात है कहता हूं आई. पी. एस. के सेलेक्शन में पक्षपात नहीं हुआ, पर इसका किसी को दण्ड दिया जाता है कि पक्षपात क्यों नहीं हुआ, पक्षपात होता तो शायद कोई अधिकारी रह जाता, पक्षपात नहीं हुआ इस कारण एक अधिकारी को दण्ड दिया गया आर्थिक दण्ड नहीं मानसिक दण्ड दे दिया गया और इस कारण उस अफसर के दिमाग में निश्चित रूप से धारणा बनेगी कि ईमानदारी से आई. पी. एस. के सेलेक्शन में काम किया, उसको दण्ड मिल रहा है, दण्ड देना है तो इन्सपेक्टर्स के सेलेक्शन में गड़बड़ करते हैं आर. पी. एस. के अपोइन्टमेंट्स में गड़बड़ करते हैं, उनको दण्ड दें। या तो यह कहिये कि जो ईमानदारी करे उसको दण्ड मिलेगा, या यह कहिये कि जो बेईमानी करेगा उसको दण्ड मिलेगा। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स की पोस्ट को लेकर राजस्थान सरकार इस बात पर तुली हुई है कि मन में आया उस ही की सर्विस बुक में मन में आया वैसा ही रिमार्क लगा दिया। और यह ऐसे अधिकारी के पास काम है जिससे आप चाहें जैसा काम करवा सकते हैं। आर. पी. एस. एक साल की ट्रेनिंग ले कर आता है और डिस्ट्रिक्ट में उनको डी. एस. पी. का काम दे दिया जाता है, वहां पर जो २० साल का एक्सपीरियेन्स्ड सर्किल इन्स्पेक्टर डी. एस. पी. की पोस्ट को आफिसियेट करता है उसको वापिस सी. आई. बना दिया जाता है और डी. एस. पी. आर. पी. एस. का बिल्ला लगा कर एक साल की ट्रेनिंग कर के सीधा ट्रेनिंग से आता है वह वहां का इन्चार्ज हो जाता है, वही दोनों की क्वालिफिकेशन वही एज्यूकेशन, और सबसे ऊपर उधर २० साल का एक्सपीरियेन्स। इस कारण सर्किल इन्स्पेक्टर्स का तबका है उसमें ज़बर्दस्त असंतोष फैल रहा है। वे लोग देखते हैं कि हमें तरक्की मिलेगी नहीं, काम करते हैं तो ठीक है, काम नहीं करते हैं, तो ठीक है, घर बैठे रहते हैं तो ठीक है, बेईमानी करते हैं ठीक है, बेईमानी नहीं करते हैं तो ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि आज सिपाहियों में असन्तोष है, सब इन्स्पेक्टर्स में असंतोष है, सर्किल इन्स्पेक्टर्स में असंतोष है, आर. पी. एस. का सेलेक्शन होता है उसमें असंतोष है, चाहे गृह मंत्रीजी को असंतोष न हो पर पुलिस में असंतोष है।

पुलिस विभाग किस तरह आंकड़ों की

Page No.76

(श्री भैरोंसिंह)

चकाचौंध में मुगालते में डालने की चेष्टा करता है, गृह मंत्रीजी जानते हैं, इस सारी स्थिति में बजट के आंकड़े बढ़ें, तो पुलिस के बढ़े हुए बजट को स्वीकार कर लें, इस तरह की सदन में प्रार्थना करने के सिवाय और कुछ नहीं कह सकते।

मैं चाहूंगा कि मैंने जो पिछली बार अभियोग पुलिस के सम्बन्ध में सदन में लगाये और इस बार अभियोग लगाये और जो जो अभियोग सदन के माननीय सदस्यों ने इस सदन में लगाये, उन सब अभियोगों की जांच गृह मंत्रीजी पुलिस विभाग के द्वारा नहीं, विधान सभा के सदस्यों की ही एक कमेटी बना कर जांच करवायें, आप उसमें विरोधी दल का एक भी सदस्य शामिल करें, जो उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं, जो आपके विश्वसनीय हैं उनकी एक जांच कमेटी बैठाइये और उस कमेटी के द्वारा जांच करायें, कि वास्तव में विधान सभा के सदस्य पुलिस के बारे में शिकायत करते हैं, वे शिकायतें सत्य हैं कि नहीं। और अगर उस कमेटी द्वारा जांच करने पर यहां पर जो अभियोग लगायें गये हैं वे गलत हैं, जो शिकायतें की गई हैं वे गलत हैं तो इस तरह के अभियोग लगाने वाले, शिकायतें करने वाले सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाकर कार्यवाही करें। इतना सब कुछ कहने पर भी, हमारा जो अन्तिम लक्ष्य स्थान है, उसमें कहने पर भी गृह मंत्रीजी या सरकार पर कोई असर नहीं होता है तो हमें मजबूर हो कर, आज समय नहीं है तो कोई समय आयेगा कि दूसरा मार्ग अपनाना पड़े। मैं समझता हूं कि गृह मन्त्री जी का इसके लिये एक्सपेक्टेड रिमार्क है कि हमारी सरकार तैयार है, इस प्रकार के साधन जुटायेंगे उनको खत्म करने की सरकार में शक्ति है। तो मैं भी कहता हूं जो मुंह से कहते हैं कि सरकार में शक्ति है तो मैं भी कहता हूं हमारे पास भी शक्ति है हम इस प्रकार के अन्याय का बदला लें, चाहे कितने ही थोड़े हों, हमारे पास साधन कम हों पर उन्हीं साधनों से उन अन्याइयों से डट कर मुकाबिला करने में लगे रहेंगे। यदि पुलिस के बल पर किसी आदमी को नीचे दिखाया जा सकता है तो मैं भी कह सकता हूं कि मेरे हाथों के बल पर, मेरी पार्टी के बल पर उस आदमी को इस सदन में नीचा दिखा सकता हूं। सदन मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार हो, उसके पहले मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि पुलिस की ज्यादतियां बढ़ रही हैं, सदन के सदस्य इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी इन्क्वायरी हो जाय, इन्क्वायरी के बाद जो दण्ड देने लायक हों उनको दण्ड दिया जाय और जो कार्यवाही करने लायक हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

इसके साथ एक उदाहरण और प्रस्तुत करते हुए, पर यह एक बहुत लम्बा उदाहरण है, बलात्कार का, एक सम्भ्रान्त महिला के साथ बलात्कार का उदाहरण है। पर इसके बारे में यहां बताना अशिष्टता होगी कि किस प्रकार एक महिला के साथ में ज्यादती की गई, मैंने जुबानी उसके बारे में गृह मंत्रीजी को दिया है, वही पर्याप्त है....

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे दिया नहीं, आपने फरमाया है कि भिजवा दूंगा, शिकायत आपने नहीं दी। तो इस तरह दोनों तरफ से न रखें।

Page No.77

श्री भैरोंसिंह : गृह मंत्रीजी से कहा था कि जिस महिला के साथ घटना हुई है वह नहीं चाहती कि इस घटना के बारे में ज्यादा उनके नाम वगैरह को लेकर प्रचार हो, मैंने गृह मंत्रीजी से कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तो यहां तक कोशिश कर रहा था कि वह तैयार हो जायं तो एज ए ट्रेस पासर विधान सभा में ला कर खड़ी करता और वे यहां बतातीं कि जिस पुलिस को ४३२००००० रुपया दे रहे हैं, उसी पुलिस के कर्मचारी ने सम्भ्रान्त महिला के साथ इस तरह बलात्कार करते हैं। मैं खुद आपसे कमिट कर रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि हाउस में ट्रेसपासर होकर खड़ी हों, लेकिन मैं मजबूर होकर कर रहा हूं यह संकेत करके। मैंने माननीय गृह मन्त्रीजी को निवेदन किया था। मैं उसको लाकर पेश कर दूँगा, आज वह आने के लिए तैयार नहीं हो सकी। वे ही इस सम्बन्ध में कॉन्फिडेन्शियल जांच करा लें कि किस प्रकार से उस महिला के साथ कोतवाली में घटना हुई है।

३ म० प०

श्री रामकिशोर व्यास : फेक्ट्स बता दें तो मालूम कर लूंगा। फेक्ट्स नहीं मिलेंगे तब तक क्या हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : गृह मन्त्रीजी यह बात कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने यह सब उनको अकेले को नहीं कहा है, आपके साथ उस समय बहुत लोग बैठे हुए थे और उस समय मैंने यह सारी घटना उनके सामने रखी थी। यह बड़ी दर्दनाक घटना है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): इन्क्वायरी इनके हाथ में क्यों नहीं दे दी जाय ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : I think the house is entitled to know what the hon'ble member is trying to suggest. So I demand through you that the hon'ble member should be called upon to say what he is trying to suggest and make it clear to the house.

श्री भैरोंसिंह : उसका नाम इस समय नहीं बताउंगा।

श्री अर्जुनदास : बात बताओ।

श्री भैरोंसिंह : इतनी भद्दी बाते है। मैंने गृह मन्त्रीजी को बताया था और उनके साथियों को भी बताया था।

ऐसी स्थिति में मैं गृह मन्त्रीजी से उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार के अभियोग सदन में लगाये जाते हैं, विधान सभा के सदस्य की कमेटी बनाई जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उसमें कांग्रेस के ही सदस्य हों और वे बैठ कर काम करें। मैं समझता हूँ श्री ज्वालाप्रसादजी को उसका सेक्रेटरी, मंत्री बना दिया जाय मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी, और किसी प्रकार पुलिस पर कन्ट्रोल हो सके, मैं इस कदम का स्वागत करूंगा। मुझे आशा है कि गृह मन्त्रीजी इसकी घोषणा करेंगे कि श्री ज्वालाप्रसाद जी के नेतृत्व में इस सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी पुलिस के सम्बन्ध में अभाव-अभियोग सुनने के लिए बनाई गई है....

श्री नरोत्तमलाल जोशी : seriousness is gone.

श्री भैरोंसिंह : I think it is gone for you, not for me.

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी स्थिति के अन्दर यह सुझाव मैं माननीय गृह मंत्री जी को सामुहिक रूप से रखते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री तेजाराम ।

श्री तेजाराम (सोजत): माननीय महोदय, मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९ पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं । पहला है :

Demand No. XIII, Major Head 29-Police be reduced by Rs.1/- (to discuss failure of police to stop cattle lifting in Pali District).

दूसरा : Demand No. XIII Major Head 29-Police be reduced by Rs. 1-/ (to discuss corruption and inefficiency in investigation of cases).

माननीय सभापति महोदय, भारतवर्ष के इतिहास में हमने पढ़ा था कि १८ वीं शताब्दी के अन्त में और १९ शताब्दी के प्रारम्भ में पिंडारियों का, लुटेरों का गिरोह था जो राजा लोगों से और धनी मानी लोगों से चौथ वसूल करता था लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं सुना कि अच्छे शासन के बाद भी इस प्रकार की चौथ एक नागरिक से दूसरा नागरिक वसूल करे । पाली ज़िले में कुछ दिनों पहले डाकुओं का आतंक फैला हुआ था, उस पर पुलिस ने दिलचस्पी और कोशिश से काबू पाया, उसकी तो मैं तारीफ़ ज़रूर करूंगा लेकिन साथ ही साथ मुझे यह कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता है कि पाली ज़िले से मवेशियों की जो चोरी होती है, जो लोग चोरी करते हैं वे उन लोगों से चौथ वसूल करते हैं और जो चौथ नहीं देते हैं उनकी मवेशी चुरा कर ले जाते हैं और चौथ और चुंगी वसूल करते हैं और तब ही उनको मवेशी उनको देते हैं उन पर काबू पाने के लिए पुलिस नाकामयाब रही है । यह काफी वर्षों से चल रहा है । यह एक विचारणीय बात है कि इस सम्बन्ध में कई बार शिकायतें की गई हैं लेकिन पुलिस इस जुर्म को रोकने में बिलकुल ही नाकामयाब रही है । पुलिस कह सकती है कि हमारे पास इस प्रकार के जुर्म की शिकायतें नहीं होती । सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि केटल लिफ्टिंग के जितने केसेज़ हुए हैं उन मवेशियों में से एक को भी वापिस लाकर नहीं दिया है, इसी तरह से स्टोलन प्रोपर्टी और मवेशियों की चोरी है उनको भी वापिस बरामद करने में पुलिस नाकामयाब रही है । इसलिए उन लोगों ने यह रास्ता अख्तियार किया । वे मवेशी की चोरी करके ३०.४० मील दूर चले जाते हैं, चोरी के पीछे वहां के लोग मुरा व खुरी देते है और जो नहीं देते है उसकी मवेशी कभी वापिस आती ही नहीं, आपके राज में भी वे लोग वहां बैठे हुए किसानों से हज़ारों मन धान चौथ के रूप में वसूल करते हैं और आपकी पुलिस इसको खत्म करने में नाकामयाब रही है । पाली ज़िले में तीन चार गांव इन चोरों के गढ़ हैं पुलिस अधिकारी वहां जाते हैं । लेकिन मैं आज तक समझ नहीं सका कि पुलिस के नॉलेज में यह सब होते हुए भी क्यों नहीं इसको रोक पाई है । या तो पुलिस रोकना नहीं चाहती हो । कानलाव, गुड़ा ऐंदला, के मेठो और लाम्बिया ये बावरियों के गांव हैं, ये आस पास के गावों के लोगों से चौथ लेते हैं और जो काश्तकार देने से इन्कार कर देता है, उसकी तीन चार

(श्री तेजाराराम गहलोत)

रोज़ बाद ही मवेशी पार हो जाती है जब तक मवेशी की आधी कीमत नही चुकाता तब तक न तो मवेशी वापिस आती हैं और न ही चोरों का पता लगता है। मैंने इसकी शिकायत माननीय गृह मंत्री जी से भी की थी और पुलिस से भी। गतवर्ष कुछ गिरोह पकड़े भी गये। शिकायतें की तो केसेज़ खुले की। लेकिन फिर क्या ढिलाई आई कि वही वापिस चौथ का सिलसिला शुरु हो गया। इस प्रकार से पाली ज़िले में पुलिस का इन्तज़ाम होते हुए भी काश्तकारों की मवेशी जाय और उनको कम्पेल किया जाय कि सुरक्षा के लिए पुलिस के अलावा किसी दूसरी एजेन्सी को चौथ दे।

सभापति महोदय, दूसरा कटौती प्रस्ताव है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ करप्शन बहुत करती है और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन करने में इतनी इन एफिशिएन्ट है कि ये जितने जुर्म होते हैं या तो पुलिस फाइंड आउट नहीं कर सकती है या कलिप्रट्रस अदालतों में जाकर बरी हो जाते हैं। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर एक केस रखूंगा जिसमें पुलिस ने दिदोदानिस्ता काश्तकारों के साथ अन्याय किया। एक जागीरदार ने जो ज़मीन का पहले मालिक था उसने गिरदावरी के बेसिस पर रिपोर्ट की काश्तकार को खातेदारी के हक मिले हुए थे। किसी तरह से उस जागीरदार ने केस रजिस्टर करा दिया दिया रिश्वत देकर, काश्तकारों को डराया, धमकाया Investigating officer पास था उसका गाड़ियां भर कर भिजवाने दिया जब काश्तकार ने शिकायत की तो उस काश्तकार के इन्चार्ज ने हथकड़ी डाल कर चालान कर दिया। थानेदार को यह तो जानने की कोशिश करनी चाहिये थी कि क्या यह ज़मीन जागीरदार की है या खातेदार की है, लेकिन उसने जानेने की कोशिश नहीं की गांव की प्रोसिक्युशेन विटनेस पांच साल पहले की ले आया, जब जिस साल वकुआ हुआ उसका पज़शन उस खेत पर था। अदालत में वह केस चला, काश्तकार बरी हुआ। अगर पहले ही ठीक प्रकार से जांच कर ले कि पुलिस ने गलत चालान किया है या सही और अधिकारियों पर एक्शन लेना शुरु कर देते है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भविष्य में जो चालान होते हैं वे इस प्रकार से न हो कर कम हो सकते हैं या बन्द हो सकते हैं।

इसी तरह से बापी गांव में तीन आदमियों का कत्ल हुआ और वह गांव सिरियारी पुलिस थाने के अन्तर्गत है। वहां दिन दहाड़े कत्ल नहीं हुआ किन्तु आज तक कातिल का पता नहीं लग सका। यहां भी पुलिस इनवेस्टीगेशन में कामयाब नहीं हुई।

इसी तरह से एक नहीं अनेक केसेज़ हैं जिसमें पुलिस अक्सर जान बूझकर या इन एफीशियेन्सी की वजह से या केसेज़ में कामयां रह जाती हैं जिसके कारण केसेज़ के अदालत में जाने पर लोग उन केसेज़ में बरी हो जाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरह का इन्तजाम करें, जिससे कोर्टस में जो चालान हों और बाद में इनवेस्टिगेशन में किसी प्रकार की कमी रह जाने की वजह से वह केस साबित नहीं होता है तो वैसी हालत में कम से कम डिपार्टमेन्टल एक्शन तो उस इनवेस्टीगेशन ऑफिसर के खिलाफ होना चाहिये या उसकी सर्विस बुक में रिमार्क

(श्री तेजाराम गहलोत)

लगना चाहिये यदि यही पनिशमेन्ट दिया जाय तो मैं समझता हूं भविष्य में इस प्रकार की खामियां नहीं रहने पावेंगी।

इसके अलावा सभापति महोदय, अगर कोई आदमी हिम्मत करके पुलिस के खिलाफ शिकायत कर देते हैं तो या तो पहले उसकी जांच ही नहीं होगी अगर जांच की जाती है तो उच्च अधिकारी अपनी इज्ज़त का सवाल ले करके, पुलिस महकमें का काम है, पुलिस की इज्जत का सवाल है उस शिकायत को खत्म करने की कोशिश करते हैं।

बिलाड़ा के थानेदार के खिलाफ पब्लिक ने कई बार शिकायत की। उस शिकायत को किये हुए साल भर का अरसा हो गया उसकी जांच करने के लिये डी० आई० एस० पी, श्री दीनदयालजी को भेजा गया। उनके सामने साबित कर दिया कि इस थानेदार ने रिश्वत ली है इसने केस दर्ज नहीं किया और सारे चोरी के माल को खुद ने हड़प कर लिया है लेकिन फिर भी आज दिन तक उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभापति महोदय, जो कोई आदमी इस तरह से शिकायत करते हैं उन शिकायतों पर बाकायदा जांच होकर action लिया जाना चाहिए।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री तेजाराम गहलोत : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो कोई पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, उनके करप्शन के खिलाफ पब्लिक शिकायत करती है और उस पर अगर कुछ कार्यवाही नहीं होती है तो पुलिस अधिकारियों का हौसला बढ़ता है। अगर सही बात होने पर भी उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो आखिर इसका यही नतीजा निकलेगा कि हमारा पुलिस का महकमा ज्यादा करप्ट हो जायगा। बड़ी मुश्किल से कोई एकाध शिकायत सामने आती है, भले और ईमानदार आदमी नहीं चाहते कि बेकार के अन्दर किसी की शिकायत करें और यदि कोई शिकायत कर भी देते हैं तो उसका होना जाना कुछ नहीं।

सभापति महोदय, इसके अलावा खारची थाने का भी मैंने जिक्र किया जिसमें स्टेट वर्सेज टीकम नाम का एक केस चला जिसमें हैड कॉन्स्टेबिल डूंगरसिंह ने उस व्यक्ति के पास खातेदारी के पर्चे होते हुए भी उसका चालान किया। इस तरह से एक नहीं सैकड़ों चालान काश्तकारों के इस प्रकार से होते हैं। उस केस का अदालत द्वारा फैसला होने के बाद उस हैड कॉन्स्टेबिल पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। On the face of the report से साबित है कि दीदो दानिस्तां नाजायज तौर पर फंसाया गया फिर भी उसके लिये कोई एक्शन नहीं लिया।

मैं अन्त में इन कटौती प्रस्तावों के जरिये माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पाली ज़िले के अन्दर कैटल लिफटिंग एक जुर्म है वहां पर स्पेशल हिदायत करके इस जुर्म को चैक करने की व्यवस्था करें। चौथ और मुरा जो लिया जाता है इसको भी खत्म करने की कोशिश करें। और जो केसेज़ पुलिस अधिकारियों के इनएफीशियेन्सी के कारण चालान होते हैं और अदा-

(श्री भैरोंसिंह)

लत में जाकर फेल हो जाते हैं उन पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह का नियम बनाये जिससे किसी प्रकार एक्शन लिया जा सके, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव जो है वह इस प्रकार है, "बॉर्डर की रक्षा पर जो पुलिस फोर्स रखने पर जो खर्च होता है वह केन्द्रीय सरकार से वसूल किया जावे।

सभापति महोदय, हमारे पुलिस विभाग का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस बार ४ करोड़ से कुछ अधिक का बजट पुलिस के लिये पेश हुआ है। यह बात निश्चित है कि हमारे दिन प्रतिदिन जो बजट के अंक बढ़ते चले जा रहे हैं उसका कारण क्या है? मैं निवेदन करूं कि जहां तक पुलिस के इस बजट के खर्चे बढ़ने का सवाल है हमारे यहां अपराधों की संख्या में कमी हुई इसलिये हम कुछ थानों को तोड़ दें, या पुलिस चौकियों को तोड़ दें, या सिपाहियों की संख्या को कम कर दें, यह मेरे ध्यान में उचित नहीं जंचता। क्योंकि यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि पुलिस विभाग की होशियारी और अक्लमन्दी के कारण ही अपराधों की संख्या में कमी हुई है इसमें दो राय नहीं हो सकती।

हमें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जब कि पांच सात साल से हमारे प्रान्त में काफी डाकेजनी और नकबजनी हुआ करती थी, उन डकैतों का नाश हो गया है। ऐसी स्थिति में हम यह कह दें कि यह चार करोड़ का जो बजट है उसमें कमी करदी जाय इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ।

एक तरफ तो यह कहा जाय कि हमारे सिपाहियों को वेतन कम मिलता है, हमारे अफसरों को तरक्की नहीं दी जाती है वेतन बढ़ाया जावे और यह भी कहा जाय कि ऑफिसर्स हमारे बेईमान हैं या पुलिस बेईमान हैं यह तो एक दूसरी बात से कन्ट्राडिक्शन होता है। अभी अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि हमारे राजस्थान का आदमी जब आई० जी० पी की पोस्ट पर आया है तो अपराधों की संख्या काफी बढ़ी है और एड-मिनिस्ट्रेशन ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। उन्हीं की पार्टी के एक जनसंघी माननीय सदस्य ठाकुर दांता ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि जब से हमारे प्रान्त के आई० जी० पी आये हैं बड़ा अच्छा काम हो रहा है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): आपका मतलब यह है कि अगर हमारे आई० जी० पी कोई अच्छा काम करें तो उसको अच्छा नहीं कहूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: यह तो कहना चाहिये किन्तु एक ही पार्टी के दोनों महत्वशाली सदस्य इस प्रकार भिन्न भिन्न बात कहें यह ठीक नहीं जंचता। पुलिस विभाग के बारे में यह बात नहीं कि सभी ईमानदार कर्मचारी है कई बेईमान भी हो सकते हैं उनमें रिश्वतखोर भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को लेकर सारे पुलिस विभाग को बदनाम करना शोभा नहीं देता। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो खर्चा इस विभाग पर हो रहा है वह हम किस तरह से कम कर सकते हैं। आज हम राजस्थान

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

की जनता पर कर लगाते हैं राजस्थान के लोगों पर दिन प्रतिदिन करों में वृद्धि हो रही है उसको भी हमें देखना है। मैं निवेदन करूं कि जहां तक पुलिस द्वारा अन्दरूनी सुरक्षा का सवाल है वहां तक राजस्थान सरकार का कर्तव्य है कि वह अन्दरूनी सुरक्षा का पूरा पूरा प्रबन्ध करे। लेकिन आज जहां आॅर्डर का सवाल है, जहां विदेशी सीमा से संलग्न हमारी शान्ति और सुरक्षा के प्रबन्ध का प्रश्न है वहां यह कार्य केन्द्र का होना चाहिये। यह केन्द्रीय सरकार का फर्ज है कि इसका प्रबन्ध वह खुद करे और उधर से जितने भी अपराध जो होने वाले होते हैं उनकी रोक थाम केन्द्र ही करे, उसी का ज़िम्मा है। ऐसी स्थिति में हमें आर० ए० सी० का खर्चा नहीं वहन करना चाहिये। उसे केन्द्रीय सरकार से लेना चाहिये। यह खर्चा वैसे भी बहुत भारी है, ७७ लाख रुपये में तो हम अपने अन्य कई विकास के काम पूरे कर सकते हैं। हम इसके लिये इस ८०० मील की बॉर्डर की हिफाज़त के लिये कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं और क्यों इसके लिये इतना खर्च करें। और इसमें भी एक आश्चर्य की बात है, जो तस्कर व्यापार आदि से हमें सोना जब्ती में मिलता है वह केन्द्र सरकार का और उसे रोकने का ज़िम्मा हमारा। तो राज्य सरकार केन्द्र से मांग करे कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे हमें नये करों का बोझा भी जनता पर नहीं लादना पड़ेगा। मैं मानता हूँ हमारी सरकार ने केन्द्र के सामने यह प्रश्न रक्खा होगा। पर फिर ज्यादा जोर से कहना चाहिये कि इसकी सीमा सुरक्षा का काम आपका है, हमारा नहीं। तो मैं ज्यादा भाषण नहीं देना चाहता, ज्यादा आलोचना नहीं करना चाहता।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिये और एक्शन लेना चाहिये। पर हम सभी कर्मचारियों को एक ही लकड़ी से हांके तो यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिस किसी की भी शिकायत हो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये और उस पर एक्शन लिया जाना चाहिये। तभी पुलिस अच्छा काम करेगी और दूसरों को आलोचना करने का मौका भी नहीं मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि हम केन्द्र से बॉर्डर के खर्चे के लिये मांग करें नहीं तो पूर्व में जिस तरह से हमले हो रहे हैं हमारे बॉर्डर पर भी हमला शुरू हो सकता है और ऐसी सूरत में इस खर्चे को भी और बढ़ाना पड़ेगा और हमारी सरकार इतनी मालदार है नहीं कि हम उस भार को वहन कर सकें। तो पूरे ज़ोर से हमें अपनी यह मांग केन्द्रीय सरकार के सामने रखनी चाहिये। यही मेरी प्रार्थना है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २९—पुलिस के सम्बन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं अपने तीनों प्रस्तावों को एक साथ ही सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

मेरा पहला प्रस्ताव सिपाहियों के वेतन स्तर को ऊंचा करने के सम्बन्ध में है। सदन में कई बार यह भावना प्रकट की जा चुकी

(डॉ० चन्द्रकला)

है कि सिपाहियों का वेतन बहुत थोड़ा है। इसके लिये न केवल सदन, बल्कि हमारे गृह मन्त्री महोदय भी बड़ी सहानुभूतिपूर्वक शब्दों में इस बात को स्वीकार करते रहे हैं और इससे जब नया बजट आने वाला होता है। तो सिपाहियों के मनों में, जिनका वेतन बहुत कम है, स्वभावतः यह आशा होती है कि जब हमारे गृह मन्त्री महोदय की भी सहानुभूति है, सदन की भी है, तो अवश्य ही इस बजट में कुछ न कुछ राहत तो मिलेगी। लेकिन हमने बड़े दुःख के साथ देखा कि यद्यपि इस मांग में राशि की वृद्धि हुई है पर इनको किसी तरह की राहत नहीं मिली है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह विभाग ही सरकार की इतनी उपेक्षा का पात्र क्यों है। सभापति महोदय, शायद ही कोई विभाग होगा हमारी सरकार का जिसमें उसके एक कर्मचारी को १२) और १४।।) रुपया मासिक वेतन मिलता होगा। आखिर उनका भी परिवार होता है, रोटी-कपड़े की जरूरत उनको भी होती है, दूसरी आवश्यकताएं होती हैं, महंगाई का असर भी उन पर होता है, उनको भी उन सब कठिनाइयों को भुगतना पड़ता है, पर सरकार का ध्यान नहीं जाता उन की ओर। इसका क्या मतलब होता है। बड़े सहानुभूति के शब्द कह दें। पर कोरे शब्दों से काम नहीं चल सकता। अच्छा होता यदि बजट बनाते समय हमारी सरकार इस पर थोड़ा गम्भीरता से सोचती। मैं देखती आई हूं तीन बजटों में। बिलकुल उसी तरह से एक ढंग का स्टीरियोटाइप बजट बनता है जिस तरह से पुराने समय से बनता चला आता है, केवल उनमें ही आंकड़ों में वृद्धि कर दी जाती है। इसमें क्यों नहीं सरकार थोड़ी बुद्धि लगाती है और इस बारे में सोचती है। अगर वह अधिक नहीं सोच सकती, कर सकती, तो कम से कम दूसरे विभागों में जो कम से कम वेतन स्तर है वह तो सिपाहियों को भी दे या इस विभाग के लोगों को भी दे। तो मैं अपने इस प्रस्ताव के द्वारा सदन की इस भावना को फिर एक बार सरकार के सामने और माननीय गृह मन्त्री महोदय के सामने, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा रखना चाहती हूं कि यह समस्या अवश्य ही विचारणीय है। शब्दों से नहीं, पर व्यवहारिक रूप में करें।

हम सिपाहियों पर दोषारोपण करते हैं कि वे बसों में मुफ्त चलते हैं, ऊपर की आमदनी के लिये भ्रष्टाचार करते हैं, वे ऐसे ऐसे काम करते हैं और अपने असल काम की ओर ध्यान नहीं देते। पर हम यह नहीं सोचते कि हमने आखिर उनको ऐसी परिस्थिति में मजबूरन डाल रखा है, जिसमें पड़कर उनको यह करना पड़ता है। एक ओर तो उन पर दोष लगाते हैं और दूसरी ओर हम ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं तो मैं तो इस विषय में अधिक न कह कर यही निवेदन करना चाहती हूं कि तीन तीन बार सदन में हम अपनी भावना प्रकट कर चुके, और आश्वासन भी दे चुके और यहां तक भी कहा कि इससे अगर सबसे अधिक सन्तोष किसी को होगा तो सरकार को होगा। ऐसी स्थिति में भी अफसोस और आश्चर्य है कि रास्ता निकल सकता है पर सोचते नहीं हैं। यहां पर जवाब भी दे दिया जाता है और बाद में ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा है हम क्रियात्मक ढंग से कुछ इस बारे में सोचें।

मेरा दूसरा प्रस्ताव नरेशों के प्रासादों पर

(डॉ० चन्द्रकला)

रक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है। सभापति महोदय, इस विषय में माननीय सदस्य मावली से आने वाले ने अपनी भावना प्रकट की। मैं उसको न दोहराते हुए उनका समर्थन करती हूं। हम सब जानते हैं कि नरेश आज नरेशों के रूप में नहीं रहे, वे भी सबके समान एक साधारण नागरिक हो चुके हैं। उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति की यह रक्षा अब सार्वजनिक धन से नहीं होनी चाहिए। यदि वे अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक कामों में दे दें तो अलग बात है। पर जैसा मालूम पड़ता है कि यह आरक्षी उनके निजी महलों पर तैनात हैं। इसमें यह बात अवश्य है कि पहले तीन लाख रखे थे उसमें से २.१७ हज़ार कम करके अब केवल ७८ हज़ार की राशि ही रखी है। तो एक ओर तो मैंने अभी ध्यान दिलाया है हमारे सिपाहियों की हालत पर।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): बनस्थली पर कितना खर्च होता है ?

डॉ० चन्द्रकला : दूसरी ओर नरेशों के प्रासादों पर रखे गये आरक्षी पर इतना पौन लाख का जो खर्चा है,यह एक प्रकार से भार ही है। हमारी सरकार ने मितव्ययता करके लाखों रुपया घटा दिया है तो यह जो भार है इसको भी जल्दी से जल्दी सरकार घटाये, ऐसा मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की निष्क्रियता तथा निरर्थकता पर विचार करने के लिए। इस सम्बन्ध में भी सदन में पहले विचार किये जा चुके हैं। हम सब महसूस करते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड एक लूली लंगड़ी संस्था है। वैसे तो हमें कोई शिकायत नहीं रहती लेकिन इस पर ४ लाख ८० हज़ार रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है। यह एक तरह से एक ऐसी संस्था है जो केवल खर्चा ही खर्चा करती है और इसका परिणाम कुछ नहीं आता है। पता नहीं क्यों सरकार इस तरह का बोर्ड रखना पसन्द करती है या सरकार को क्या उसकी उपयोगिता लगती है। जब कि आज तक कोई भी ऐसा केस भ्रष्टाचार बोर्ड ने एन्टीकरप्शन डिपार्ट्मेन्ट ने, कुछ भी तो करके नहीं दिखाया। हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध हों, उनकी अपनी मर्यादायें हैं और सीमायें हों, जिनके बाहर जाकर वे काम नहीं कर सकते हों। जैसा कि सदन में बताया गया कि वह सिर्फ उन्हीं शिकायतों पर विचार कर सकते हैं। जो कि लिखित रूप में उनके पास जाती हैं। लेकिन मैं ऐसा जानती हूं कि वहां पर कोई ऐसा गहरा कुआं है जिसमें लिखित शिकायतें डालते जाइये और फिर लौटकर उनके बारे में कुछ भी नहीं होता है। वह बहुत कोई तीसमारखां का काम करते हैं तो किसी मामूली से चपरासी को या किसी मामूली से आदमी को १॥ या दो रुपया की घूंस लेते हुए पकड़ा है और यही बस अखबारों में देखने को मिलता है। तो यह देखकर हमें हंसी आती है कि जिस बोर्ड के ऊपर ५ लाख रुपया खर्च हो रहा हो,जो कि बहुत बड़ा संगठन इस प्रकार का बना हुआ है और उसका काम क्या है ? कुछ भी नहीं। तो फिर क्यों नहीं सरकार इसको खत्म कर देती और इसके काम को पुलिस विभाग को सौंप देती। हमारा गुप्तचर विभाग है और पुलिस विभाग है वह बड़ी आसानी से इस बोर्ड का काम कर सकते हैं और मेरा निवेदन है कि उनको यह काम

(डॉ० चन्द्रकला)

सौंप दिया जाये। क्या अर्थ है इस का कि एक बोर्ड बना दिया और उसमें एक आई० जी० पी० को रख दिया। यह ठीक है कि जिस दिन इस भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड की स्थापना की बात कही गई थी तो हम लोगों के मन में एक आशा बंधी थी और वह यह थी कि अब भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में कोई न कोई ठोस कदम उठाया जायेगा और उससे जनता को राहत मिलेगी। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार तो दिनों दिन पनपता जा रहा है और मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि यह उसके लिए टट्टी की आड़ बन गई है जिससे भ्रष्टाचार को और अधिक प्रोत्साहन मिल रहा है। हम किसी मामले को लेते हैं और उसको भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड को भेज देते हैं कि अब शायद कोई कार्यवाही हो लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है, वह अपनी हरकतों में आगे बढ़ती है और ऐसा मालूम होता है कि उसके सहारे उस भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण तक मिलता है। तो यह बोर्ड न केवल हमारे लिए उपयोगी है। बल्कि यह तो हानिकर हो गया है क्योंकि यह अपराधों को संरक्षण देने में सफल होने लगा है। असल में तो अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि वह इतना बड़े जनता के धन का दुरुपयोग इस भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड पर न करे। अगर उससे काम लेते हैं तो या तो फिर इसको पूरे अधिकार दिये जायें। इनवेस्टीगेशन के अलावा दूसरे २ ऐसे अधिकार दिये जायें कि जिन अधिकारों का उपयोग करके यह काम कर सकें। इस प्रकार से लूले लंगड़े और खर्चीले डिपार्टमेन्ट को रखने से ज्यादा का कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को इससे कोई सहायता नहीं मिलती तो इसका क्या अर्थ है कि इसे रखा जाय तो अच्छा है सरकार इस एन्टीकरप्शन बोर्ड को खत्म कर दे या फिर इसका पुनर्गठन करे या फिर इसको और ज्यादा अधिकार दे, नहीं तो उसको समाप्त करके कम से कम बजट के ऊपर भार नहीं पड़ने दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, मेरा यह कटौती का प्रस्ताव है कि संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६—पुलिस विभाग के बारे में पेश करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट के ऊपर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक किसी भी राज्य का ताल्लुक है, वह राज्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि अपने राज्य में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसको दूर न कर सके। ठीक है अभी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रजा समाजवादी सदस्य हैं उन्होंने यह कहा था कि जब सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट मौजूद है तो फिर भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड की क्या आवश्यकता है। बात तो भली है क्योंकि उसका भी यही काम है लेकिन सरकार ने यह देख लिया कि शायद सी० आई० डी० डिपार्टमेन्ट के ज़रिये भ्रष्टाचार दूर नहीं होता तभी इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ी...

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है।

श्री सूबेदारसिंह : आज, सभापति

(श्री सूबेदारसिंह)

महोदय, अगर राजस्थान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक करोड़ ६० लाख की जितनी भी यहां की आबादी है उसको पूछा जाये तो एक सवाल पर सभी व्यक्ति और सभी स्थानों पर यह कहते पाया जाता है कि आज धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। आज राजस्थान सरकार का कोई भी विभाग ले लीजिए, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहां तक मैं समझता हूँ कि सरकार का कोई भी विभाग भ्रष्टाचार से खाली नहीं हैं। इसके माने यह नहीं हैं कि जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं वह सभी भ्रष्टाचारी हैं। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी लेकिन भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है वह इस विभाग के ज़रिये जिसके ऊपर हम इतना नाज़ करते हैं। उसके लिए हम सोचते थे कि हम अपने राज्य में से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए जड़ से मिटा देंगे पर इतना खर्च करने पर भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता ही गया। सभापति महोदय, मैं आपको अपने क्षेत्र की बात कहूं धौलपुर में पिछले दिनों अनाज की समस्या से एक भुखमरी की स्थिति हो गई और गेहूँ का बाहर जाना शुरू हुआ। हमारे मन्त्री महोदय ने कहा कि लिखित रूप में कोई शिकायत आये तो भ्रष्टाचार निरोधक बोर्ड उस पर ही एक्शन लेगा। मैं नहीं समझता कि लिखित रूप में क्या होता है। हम लोगों ने या वहां की कांग्रेस पार्टी ने और दूसरी पार्टियों ने पब्लिक मीटिंग करके लिखा पढ़ी की और राज्य के उच्च अधिकारियों और सेन्ट्रल गवर्नमेंट तक लिखा पढ़ी की फिर भी लाखों मन गेहूं धौलपुर से आगरा को चला गया। यह कहने की बात नहीं है कि गेहूं किस प्रकार से बाहर गया। वहां के उच्च अधिकारी जो कि एस० डी० ओ० हैं। उनकी देखरेख में, इतना ही नहीं राजस्थान के खाद्य विभाग के पर्मिट्स इश्यू किये हुए जाली मिले, वह भी यहां के आई० जी० पी० को हमने दिये कि राज्य से इस तरह के पर्मिट्स इश्यू किये गये और गेहूं बाहर जा रहा है। गवर्नमेन्ट की आज्ञा थी कि रेलवे के फाटक से लदे हुए ट्रक नहीं जा सकेंगे। लेकिन पुलिस वालों का सौदा होता है और फाटक खुल कर ट्रक वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे यह इतना हुआ कि ट्रक वाले उन पुलिस कॉन्स्टेबिल से कहने लगे कि तुम्हारे कोतवाल को इतना रुपया दे दिया है तो कॉन्स्टेबिल तुम क्यों रोकते हो। वहां पर सेन्ट्रल रेलवे का फाटक था ट्रक वालों ने ट्रक के सामने गर्डर लगा लिये और फाटक को तोड़ दिया और रेलवे डिपार्टमेंट ने इसके लिए लिखा कि यह शोचनीय है कि पुलिस खड़ी है और फाटक टूट जाता है। वहां पर पुलिस वाले २८—३० हज़ार रुपया गेहूँ के ट्रकों से वसूल करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस मामले में वह भ्रष्टाचार निरोधक डिपार्टमेंट किस प्रकार से चुप और खामोश रहा। यही नहीं, उसके बाद में एक दूसरी स्थिति नवम्बर और दिसम्बर, १६५८ में फिर धौलपुर में आई। यू. पी. से चावल चलने लगा। हमने पब्लिक मीटिंग की और लिखकर दिया और हमने समझाया कि भारत यूनियन एक है, भारत एक राष्ट्र और एक राज्य है। यू. पी. गवर्नमेंट की रुकावट है कि चावल बाहर नहीं जाय, लेकिन वह चोरी होकर आ रहा है। पुलिस देखती है, सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, एस. डी. ओ. देखते हैं कि धौलपुर में जब दूसरे हर ज़िले और राज्य में रोक लगी है कि अन्न बाहर नहीं जाय जिससे कि खाद्यस्थिति खराब नहीं हो, लाखों मन

(श्री सूबेदारसिंह)

चावल आया है जिस चावल की बंगाल, बिहार और मद्रास के लोगों को खाने के लिए ज़रूरत थी। उसको व्यापरियों और सरकारी कर्मचारियों ने मिलकर इतना मंहगा कर दिया कि १२) रु० मन चावल का भाव था। आगरे में उसका भाव २८) रु० मन हो गया और बंगाल में जाकर ४०) रु० मन तक चढ़ा और लोग एक एक दाने के लिए मोहताज़ बना दिये गये। यह भ्रष्टाचार की स्थिति है। अगर डिपार्टमेंट के लोग सतर्क होते और उन व्यक्तियों को जिन्होंने गेहूं इस प्रकार से चोरियों से बाहर निकाला सज़ा दे दी गई होती तो व्यापारी और सरकारी कर्मचारी मिल कर इस प्रकार की जुर्रत नहीं कर सकते थे।

सभापति महोदय, यही नहीं यहां की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि सरकारी कर्मचारी चाहे वह पुलिस का हो, चाहे तहसील का कोई कर्मचारी हो बिलों के पेमेन्ट के लिए भरतपुर ट्रेज़री में जाता है। तो तहसील के सभी क्लर्क नायब तहसीलदार या तहसीलदार जितना भी स्टाफ है। सबसे एक एक रुपया इकट्ठा करके १०,२०,५० रु० हरएक तहसील से इकट्ठा करके लेजा कर ट्रेज़री ऑफिस में जाकर देता है तब बिल का पेमेन्ट होता है। यह शर्म की बात है। आप देश का विकास करना चाहते हैं, बैलों के लिए पैसा देते हैं, कुओं के लिए पैसा देते हैं, खेतों को सुधारने के लिए रुपया मन्जूर करते हैं और जब रुपया ट्रेज़री से किसी प्रकार मिलता है या कहीं से मिलता है बगैर दिये एक पैसा भी उसको नहीं मिलता है। यह कोई छिपाने योग्य बात नहीं है। सभापति महोदय, आज अपने, प्रान्त का बच्चा बच्चा जानता है कि भगवान न करे किसी का कभी कोई राज्य से वास्ता पड़ जाय, किसी मुकद्दमें में चला जाय या किसी के घर में चोरी हो जाय और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाय, अगर पैसा देते हैं तो रिपोर्ट दर्ज होती है। बगैर पैसा दिये न तो तहसील का पेशकार पेशी करता है और न थानेदार रिपोर्ट लिखता है। सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि इस तरह से इस, प्रांत और देश का क्या होने वाला है? बगैर पैसा लिये न्याय नहीं मिलने वाला है। आज यह स्थिति हमारे प्रान्त की हो रही है कि मेरे यहां लोग १५,२० दिन पहले ही कह दिया करते हैं कि मेरा फैसला मजिस्ट्रेट की अदालत से या एस. डी. ओ. की अदालत से होने वाला है और कुछ दिन बाद हम सुनते हैं कि वही फैसला होता है। यह बड़े शर्म की स्थिति है और इस पर सरकार ४,४०,००,०००) रु० खर्च करने जा रही है। यह ठीक है कि भ्रष्टाचार समितियां बनानी पड़ेगी और बनाना चाहिए। मैं इस बात की आलोचना नहीं करता कि वह अपने अधिकारियों को शील्ड करती हैं। यह उसका कर्तव्य है कि कोई भी राज्य चलाने वाली पार्टी हो वह अधिकारियों को शील्ड करे। अगर शील्ड नहीं करती है तो देश की व्यवस्था ठीक नहीं चल सकती है और न वह न्याय ही कर सकती है, लेकिन इसके मायने यह नहीं हैं कि यहां तक शील्ड करती चली जाय कि आज देश की जनता अच्छी तरह जानती है और समझती है कि देश के अन्दर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ जायगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे मंत्रीगण अपने अधिकारियों को इस तरह से शील्ड करते नहीं चले जायं कि वह कांग्रेस और आपको बरबाद करके देश को

(श्री सूबेदारसिंह)

बरबाद कर दें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उन पर खर्च करते हैं तो देश में से एक एक पैसा गरीबों की गाढ़ी कमाई में से वसूल करते हैं, और इस तरह से अधिकारियों पर खर्च करना चाहते हैं। तो इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे ! मैं यह पूछ रहा हूं फोर्थ क्लास के जो सर्वेन्ट हैं वे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वे सब उनके घरों में सरकारी ड्यूटी देने के बाद में ओवरटाइम वर्क करते हैं। वे रात को भी काम करते हैं, तो क्या रिश्वत देना ही भ्रष्टाचार कहलाता है और यह भ्रष्टाचार नहीं। फेक्ट्री में ८ घण्टे की ड्यूटी होती है और इन बेचारों को १२, १२ घन्टे काम करना पड़ता है। अफसर लोग तो अपने बीबी बच्चों के साथ एश आराम करते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन फोर्थ क्लास का सर्वेन्ट है, चपरासी है दफ्तर में वह दिन में कचहरी में काम करता है और रात के समय उनके बच्चो को खिलाता है, तो यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है ? भ्रष्टाचार समिति ने आज तक ऐसे कितने अधिकारियों का चालान किया है, कितने कलेक्टरों के घरों को देखा है, कितने एस. डी. एम. के घरों को देखा है, कितने तहसीलदारों के घरों को और इन्जीनियरों के घरों को देखा है ?

सभापति महोदय, यही हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में हालत है। आप देखते हैं कि देश के अन्दर बड़ी बड़ी सड़के बन रही हैं।....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : फिर भी आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हुए हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात है।

श्री सूबेदारसिंह : समाज की स्थिति ही ऐसी है कि इसको छोड़ कर जायं तो कहां जायं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): उधर तो और भी ज्यादा खराब है।

श्री सूबेदारसिंह : उधर आ गये तो ज्यादा खराब ही नहीं देश डूब जायगा।

जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का काम है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी ठेकेदार यह दूसरा आदमी अपना बिल पास नहीं करवा सकता, जब तक कि ३० पर्सेन्ट रुपया इन्जीनियर को पेमेंट नहीं करता हो। यह क्या छिपी हुई बात है। सारे लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि न किसी इन्जीनियर का चालान हुआ, न कलेक्टर का न तहसीलदार का और न एस०डी०एम० का। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट सारे दिन भर काम करता है। सरकार अधिकारियों को भी तनख्वाह देती है। ऐसा ठीक है कि आपके मां बाप ने आपको पढ़ा लिखा दिया और आप कलेक्टर और एस. डी०एम० हो गये। उस बेचारे गरीब के मां बाप के पास पैसा नहीं था इसलिए वह पढ़ा नहीं सके। वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हिलमिल नहीं सकता है उसको पता नहीं कि उसके बच्चे भूखे हैं या कैसे हैं। उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से वह आपकी गुलामी करते रहें। भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट जब तक इस प्रकार से काम नहीं लेगा तब तक हमारे प्रान्त के

(श्री सूबेदारसिंह)

एडमिनिस्ट्रेशन की बात तो क्या हमारा समाज भी सुधर नहीं सकता है। मनुष्य का यह तकाज़ा है, प्रकृति का यह तकाज़ा है कि जब तक कोई भी मनुष्य पर दण्ड कायम नहीं किया जाय, न्याय व्यवस्था कायम नहीं की जाय तो मनुष्य का यह स्वभाव है, मनुःस्मृति में और शुक्रनीति के राजधर्म में यह लिखा है। राजधर्म में सब के लिए दण्ड व्यवस्था कायम की गई है। इसलिए सरकार को मजबूर हो कर दण्ड व्यवस्था कायम करनी पड़ी। इसके मायने यह नहीं कि अगर दण्ड व्यवस्था कायम कर दी, अधिकारी नियुक्त करके बिठा दिये, लेकिन जब तक वह ठीक से काम नहीं करें तब तक आपका और इस प्रान्त का होगा क्या ? यह भली भांति सब लोग जानते हैं कि अपने प्रान्त के अन्दर भ्रष्टाचार धीरे धीरे बढ़ रहा है।

मैं आपके द्वारा एक और बात अपने यहां की कहूँ कि रेलवे पुलिस हम लोगों पर चल रही है। वह पुलिस धौलपुर के इन्टीरियर में चली जाती है, वहां के थानेदार और सिपाहियों को लेकर और भोले भाले आदमियों को चोरी के नाम पर पकड़ लेती है। धौलपुर में पकड़े हुए व्यक्तियों का चालान धौलपुर में पेश नहीं किया जाता है। वह चालन पेश होता है कोटा में जाकर इसलिए वे लोग घबराते हैं। यद्यपि हमने इसकी एक प्रकार से व्यवस्था कर दी है कि इस प्रकार की बात आये तो हम सब कुछ करेंगे इस प्रकार का एक केस मनिया का आया है। मनियां गांव है। वहां के काश्तकार अपने खेतों पर काम कर रहे थे। वहां पर पुलिस आती है और उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाती है। उनसे ५००) रु० ७००) रु० मांगे। बीच के आदमी ठहराव करने वाले थे। वे धौलपुर आये और हमसे कहा कि रुपये मांगते हैं, क्या करना चाहिए। हमने कह दिया कि रुपये दे दो। वह जाता है और थानेदार को बीच के आदमी के ज़रिये रुपये दे आता है। रुपये देकर वापिस आता है तो उससे कहा कि उसको पकड़ लो। मैं यह मानता हूं कि यह कायदे के खिलाफ है, लेकिन वहां किसान मेजोरिटी में इकट्ठे हो गये और जो बीच का एजेन्ट था उसको पकड़ कर ऑफिस में ले आये।

हमने उसको नहीं कहा, वह कबूल हो गया और उसके रुपये वापिस कर दिये, उसने उठाकर दावा कर दिया लेकिन आपका एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट आज तक सोता रहा और सेशन कोर्ट से सज़ा हो गई, पुलिस के थानेदार को टच नहीं किया। यही नहीं कि सरकारी कर्मचारी जो भी रिश्वत लेते हैं, हम मजबूर हो गये हैं क्योंकि रिश्वत लेना साबित नहीं कर सकते, लेकिन अदालत में नहीं दें तो भी काम नहीं हो सकता। आपको सुन पर ताजुब होगा कि जनता का क्या हाल है, जो लोग रिश्वत नहीं देते हैं उनको अधिकारी लोग जायज या नाजायज तौर से तंग करते हैं। मनुष्य में कई कमियां होती हैं, रिश्तेदारों को तंग करने में कई तरह के हथकन्डे काम में लिये जाते हैं, दिन व दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यही कहने के लिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव पेश किया है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सभापति महोदय, यह सत्य है कि सन् १६५० ५१ में जो पुलिस के ऊपर २ करोड़ ७० लाख का खर्चा होता था उसके बजाय अब

(श्री सोहनलाल भटनागर)

४ करोड़ ३० लाख का खर्चा करने का प्रावधान रखा है जो करीब पहले के डबल से भी ज्यादा होता है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, ने जब बजट पर प्रथम वाद विवाद हुआ था, उस वक्त बढ़ोतरी के कारण बताये थे और यह भी सत्य है कि जिस ज़माने में पुलिस का कार्य सरकार के हाथ में आये उस वक्त की व्यवस्था खराब थी । न वर्दियां थीं और न संगठन था । लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब थी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है इस तरफ जो केसेज़ की डायरी है उसको देखें तो संख्या में काफी कमी हुई है लेकिन देखना यह है कि जो कुछ कार्य,किया, प्रगति की ओर क्या प्रगति कर सकते हैं उस दृष्टिकोण को रखते हुए मैंने रचनात्मक सुझाव के तौर पर दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मेरा एक कटौती प्रस्ताव यह कि सब-ऑर्डिनेट कोर्टस में पुलिस केसेज़ को कन्डक्ट करने की व्यवस्था ठीक नहीं है । सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले निवेदन किया यह सत्य है कि पहले की बनिस्बत ऑफेन्सेज़ में अब काफी कमी हुई है लेकिन हमें यह निवेदन करना पड़ेगा कि कम से कम १०० ऑफेन्सेज में से ४० केसेज ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट या तो दर्ज नहीं करते हैं, या या रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर भी पुलिस वाले दर्ज नहीं करते हैं, यह सत्य है इसे मानना पड़ेगा । इसके बाद ६० पर्सेन्ट केसेज़ बाकी रहते हैं उनमें इत्तला दी जाती है उनमें से ३०, ४० पर्सेन्ट के बीच के केसेज में नक्शा दे दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन नहीं होने कारण। अब जितने चालान होते हैं उनमें से १० पर्सेन्ट ऐसे होते हैं जिनमें कन्विक्शन होता है। इसका कारण देखना पड़ेगा कि १०० केसेज में से १० केसेज में ही कन्विक्शन क्यों होता है। आज सरकार पुलिस पर इतना खर्चा करती है फिर भी इतने कम केसेज़ में कन्विक्शन क्यों होता है। लॉ कमीशन के सामने भी इस तरह का प्रश्न आया था और क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड़ में अमेन्डमेन्ट करने की ओर खास ध्यान दिया गया और सोच रहे हैं कि एक्विटल के केसेज ज्यादा होते हैं और सही होते हुए भी एक्विटल क्यों होता है और डिस्चार्ज क्यों होते हैं। अन्य बातों को नहीं देखते हुए एक बात स्पष्ट है कि सब-ऑर्डिनेट कोर्ट्स में पुलिस केसेज को कंडक्ट करने की व्यवस्था ठीक नहीं है, ऊपर के कोर्ट्स के लिये तो एडवोकेट जनरल हैं, गवर्नमेंट प्लीडर्स हैं, पब्लिक प्रोसीक्युटर्स वगैरा हैं लेकिन नीचे की अदालतों में एस० डी० एम०, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट वगैरह की कोर्ट्स में ये लोग नहीं आते हैं। वहां पर केवल पुलिस के ट्रेन्ड आदमी होते हैं। लेकिन मुलजिमों की तरफ से अच्छे वकील और वहां के लीडिंग लायर्स को एन्गेज किया जाता है, लेटेस्ट नजीरें दी जाती हैं और केसेज़ को अच्छी तरह से कंडक्ट किया जाता है, लेकिन दूसरा पक्ष सरकार का निर्भर होता है उन पुलिस के आदमियों पर। कई केसेज में अदालतों ने इस पर आक्षेप किया है, प्रकाश डाला है कि पुलिस केसेज के फेल होने के कारण उनके कोर्ट इन्स्पेक्टर्स की अनभिज्ञता है। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और निवेदन करूंगा वे इस ओर देखें, एक ओर तो अच्छे लायर्स हैं और दूसरी तरफ पुराने कोर्ट इन्स्पेक्टर्स हैं जो पुलिस केसेज़ को कंडक्ट करते हैं। कई वकील मिल सकते हैं जो ठीक तरह से केसेज़ को कंडक्ट कर सकें। कई स्टेट्स में वकीलों

Page No.91

(श्री सोहनलाल भटनागर)

को एन्गेज़ किया गया है। इस दृष्टि से मेरे ख्याल से गृह मन्त्री जी जो न्याय मन्त्री भी हैं इस ओर ध्यान देंगे।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव यह है कि जो कुछ राज प्रासादों के ऊपर आई० जी० पी०, डी० आई० जी० पी०, एस० पी०, कमिश्नर और कलेक्टर की कोठियों पर गार्ड्स रहती हैं और उन पर जो खर्चा होता है वह फिजूल है।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने नरेशों के प्रासादों पर जो गार्ड रखी जाती है उसके खर्चे के बारे में टीका टिप्पणी की है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। एस्टिमेट्स कमेटी ने भी इस मसले को एग्ज़ामिन किया है और क्योंकि यह कॉवेनेन्ट में मौजूद है इसलिये इसमें कमी नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक उत्तर है कि या तो भारत सरकार को कहा जाय कि इस २. लाख ७० हज़ार के खर्चे को भारत सरकार बर्दाश्त करे क्योंकि कॉवेनेन्ट भारत सरकार के साथ कुछ हुआ था। ऐसा न हो तो करीब ३०० पुलिस कॉन्स्टेबिल वहां रखने पड़ते हैं सारे राजस्थान के नरेशों के लिये तो आज की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। आज नरेशों ने काफी जायदाद बेच दी है और कई जगह पुलिस गार्ड्स की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से हमारी सरकार को चाहिये कि भारत सरकार को प्रतिवेदन पेश करे और २ लाख ७० हज़ार का पूरा खर्चा भारत सरकार न दे तो कुछ अंश तो कम किया जाय और परिस्थिति को देखते हुए अवश्य करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि आई० जी० पी०, डी० आई० जी० पी०, एस० पी०, कलेक्टर और कमिश्नर के यहां जो गार्ड रहती है उस पर बेकार में २ लाख ६२ हज़ार ८१० रु० खर्च किये जाते हैं...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आपका मतलब यह है कि उनको कम कर दिया जाय ?

श्री सोहनलाल भटनागर : जी हां।

श्री मदनसिंह दांता : अच्छा कह रहे हैं आप उनको नौकरी से निकाला जाय और यदि नहीं निकाला जाय तो खर्चा कम कैसे होगा ?

श्री सोहनलाल भटनागर : इन गार्ड्स पर खर्चा नहीं करना चाहिये। प्रजातन्त्र में दो राय और दस राय भी होती है लेकिन मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदयों का जब हमारे देश के लोगों ने ध्यान आकर्षित किया कि प्रशासन में फिजूल खर्चा बढ़ रहा है उसको देखते हुए मंत्रियों ने अपने यहां जो गार्ड रहती थी उसको कम किया और उससे ३,५६,००० रु० का खर्चा कम हुआ। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि मंत्रियों के यहां से गार्ड उठ सकती है और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। तो आज क्या कमिश्नर आई० जी० पी० वगैरह मंत्रियों से भी बढ़ कर हो गये। आज प्रशासन पर सर्विसेज़ का इतना भार है कि मंत्रियों के यहां से गार्ड हट सकती है हर आई० जी० पी० वगैरा के यहां से नहीं हट सकती। आज हम देख रहे हैं कि बंगलों पर रहने वाली गार्ड का कोई खास काम नहीं होता सिवाय इसके कि जब ऑफिसर वहां से पास हों तो उनको सलाम दागना। आज हमारे जनता के पास भी करोड़ों की

(श्री सोहनलाल भटनागर)

सम्पत्ति है उनकी सुरक्षा के लिये गार्ड हर जगह नहीं रहती। जिस तरह से मंत्रियों ने त्याग किया है उसी तरह से उनके नीचे के अधिकारियों को भी त्याग करना चाहिये। इस खर्च का भार टैक्सों पर पड़ता है। यह २ लाख ६२ हज़ार का फिजूल खर्चा है, इसको समाप्त कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि लॉ एण्ड ऑर्डर का काम उनको करना पड़ता है इसलिये उनकी सुरक्षा करनी जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति एक दम अचानक नहीं आती। साल भर में एक दो मौके ऐसे आ सकते हैं लेकिन आपको पहले ही मालूम हो जाता है कि आन्दोलन या झगड़ा होने वाला है। ऐसी स्थिति में आप उनके घरों पर गार्ड रख सकते हैं. साल भर रखने के बजाय कुछ दिनों तक रख सकते हैं, इसके अलावा ५ आदमियों की गार्ड रखने के बजाय एक गन मैन रखा जा सकता है, बाकी आदमी कम किये जा सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निश्चित मत है कि यह दो लाख ६० हज़ार का खर्च है वह बिल्कुल अनुपयुक्त है, उससे कोई फायदा नहीं है। आशा है, माननीय मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह।

४ म० प०

श्री मोहरसिंह (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या १३ शीर्षक मुख्य २६ पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला है, चूरू ज़िले के अन्दर पुलिस के अन्दर फैल रहा भ्रष्टाचार, उसके मुताल्लिक। माननीय सभापति महोदय, आज सदन के सदस्यों से चार करोड़ तीस लाख रुपये की मांग पुलिस विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए माननीय मंत्री महोदय की तरफ से यहां पेश की गई है, स्वीकृति के लिये। सभापति महोदय, वास्तव में पुलिस विभाग जनता से बहुत नज़दीक से सम्बन्ध रखने वाला विभाग है लेकिन जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि जो युग हम लाने की दुहाई दे रहे हैं कल्याणकारी राज्य बनाने की दुहाई दे रहे हैं, परन्तु जनता के लिए भलाई का काम करने के अन्दर पुलिस कितनी सफल हो रही है, यह बात बहुत विचारने की है। जहां पुलिस का नाम आता है, तो इसके साथ ही साथ में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का नाम आज कल ज्यादा जुड़ा हुआ आता है। वैसे तो सदन के अन्दर ज्यादातर हरएक विभाग के लिए जो कुछ भी कहा जाता है, उसके अन्दर रिश्वतखोरी एक प्रमुख चीज है लेकिन जहां पुलिस का सवाल आता है तो रिश्वतखोरी का नाम ज़रूर ही आता है। जनता की रक्षा के लिए पुलिस है, शांति और व्यवस्था के लिए पुलिस का महकमा है लेकिन अपने कर्त्तव्य का अंजाम यह विभाग दे रहा है या नहीं, यह बात भली प्रकार से सोचने की ज़रूरत है। इस विभाग के लिए हमेशा रुपया मांग जाता है बजट में, वह विभाग जनता के किस काम में आ रहा है, इसके ऊपर खुलासा रूप से विचार किया जाय, तो बहुत देर लगे, सभापति महोदय, इस बात का उल्लेख करने में, लेकिन समय का अभाव है और बहुत से अन्य साथियों के बोलने का सवाल है। इन सारी बातों को महसूस करते हुए थोड़े थोड़े शब्दों में तीनों कटौती के प्रस्तावों के ऊपर कुछ अपने विचार व्यक्त करूंगा।

एक ज़िले का सवाल मैंने सदन के

(श्री मोहरसिंह)

सामने रखा है, चूरू ज़िले का। वैसे कुल राजस्थान के ऊपर नज़र उठा कर देखते हैं तो मालूम होता है कि पुलिस के अन्दर जितनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह बहुत गम्भीर चीज़ है। वास्तव में और विचारने की चीज़ है। यह एक जिले का सवाल नहीं बल्कि सारे राजस्थान का सवाल है। एक तरफ हमारा यह इलाका और एक तरफ वह दुनिया, वे देश, जो किस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके अन्दर जो पुलिस की व्यवस्था है, इन दोनों का हम तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करें, तो मैं समझता हूं कि काफी देर लगेगी। ऐसे मुल्क हैं जहां यह विभाग अपनी ज़िम्मेदारी को पूर्ण रूप से पूरा कर रहा है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, राज्य को ऊपर बढ़ाने में। हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और समाजवादी राज्य की बात सोचते हैं लेकिन जब जनता के रक्षक विभाग की तरफ देखते हैं, तो हमें धक्का लगता है, अपने कर्त्तव्य की पूर्ति में यह महकमा कितना पिछड़ा हुआ है। इसकी अनेक घटनायें बतलाई जायं तब अच्छी तरह से मालूम हो सकता है कि आज इस विभाग में क्या हो रहा है। सभापति महोदय, पहले ज़माने की तुलना आज के ज़माने से नहीं की जा सकती है पुलिस को मद्दे नज़र रखते हुए। पहले ऑटोक्रेसी का ज़माना था, एकतंत्र का ज़माना था, उस समय राजाओं का ज़माना था, अंग्रेजों का ज़माना था, उस समय की पुलिस के अन्दर और आज की पुलिस के अन्दर ज़मीन और आसमान का अन्तर देखना चाहते हैं। उस समय पुलिस शासकों के लिए थी, आज का ज़माना इस बात को मंजूर नहीं करता है कि पुलिस जनता की शासक हो। आज की पुलिस में जनता की सेवा की भावना हो और वास्तव में जनता का सेवक पुलिस को बनना चाहिए, इसके लिए हमें आगे कदम बढ़ाना है लेकिन वास्तव में देखें तो उल्टा नज़र आता है। हमारे देश के अन्दर एक छोटा सा इलाका है, जिसके नाम को लेकर बराबर कहा जाता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी कोशिश होती है कि वहां की हुकूमत नाकामयाब बने, जाल रचे गये, इस तरह की रोज़ाना अखबारों में खबर आई। परन्तु सुनने के अनुसार यह मालूम होता है कि वहां की जनता के साथ में पुलिस का ताल्लुक, किस प्रकार परिवर्तन करके, नज़दीक लाया गया है। किस तरह केरल के इलाके में आम जनता के साथ में पुलिस का रवैया, जो आज से कुछ वर्ष पहले बिल्कुल बुरा था, बिल्कुल प्रतिक्रियावादी था, दमन का तरीका था, उसको बिल्कुल बदल दिया गया है। मज़दूरों के साथ में अब उनका ताल्लुक क्या है! वहां के किसानों के साथ में उनका ताल्लुक क्या है! यह वास्तव में देखने की चीज़ है, हमारे लिए उदाहरण की चीज़ है। लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं, आप किसी गांव में देखियेगा कि अगर पुलिस का कोई खाकी वर्दी धारी सिपाही वहां चला जाय तो गांव के आदमी नहीं समझते कि वह उनका रक्षक है। उनको डर होता है, उनके दिल में भय है कि डंडा लेकर खाकी वर्दी धारी पुलिस का सिपाही आया है तो जरूर कुछ गबन करने के लिए आया है, खेंचने के लिए आया है, दमन करने के लिए आया है। वास्तव में वह दिन आये खुशी का जिस दिन इस किस्म के आदमी को देख कर जनता के एक भाई के दिल के अन्दर खुशी हो कि यह तो रक्षक है, यह तो सेवक है, भूले हुए को राह बताने

(श्री मोहरसिंह)

वाला है, जनता के दो दुश्मन हैं, शांति और व्यवस्था के दुश्मन हैं, उनका पता लगा कर जनता में अमन कायम करने के लिए, शांति देने वाला है। इन सारी चीज़ों पर विचार करके, आज हमें तुलना करके देखना है। एक गांव की हालत देखने से पूर्ण रूप से मालूम हो जाता है कि आज हो क्या रहा है। चूरू जिले का मैंने जिक्र आपके सामने किया, घटनायें बताने के लिए बहुत हैं, लेकिन समय बिल्कुल कम है, वहां किस प्रकार रिश्वत खोरी आज बढ़ रही है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार पुलिस के महकमें में आज बढ़ रहा है। वास्तव में जो खेत के लिए बाड़ है, वही टूट कर खेत में आ गिरे तो खेत की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार जनता की जान और माल की हिफाजत करने वाला महकमा है, उसके अन्दर काम करने वाले अपना फर्ज पूरा न करें तो समझ लीजिये कि जनता किस प्रकार अमन और शांति के साथ रह सकती है, किस प्रकार व्यवस्था हो सकती है। कुछ दिनों पहले का किस्सा है, खाद्य कृषि के अभाव को समस्या ने देश के अन्दर विकट रूप धारण किया। इस समय ऊंट पर लद कर चांवल राजस्थान में आता था। लोगों के सामने भूखे रहने की स्थिति आ गई थी। दूसरे राज्य में से अन्न आने का कानून नहीं था। उसे देख कर भी वे महसूस करते थे कि कल मिल जायगा तो खायेंगे। उस समय चांवल ऊंट पर लद कर सिरसा से राजगढ़ में आता था। उस समय किसानों को धमका कर, डरा कर ४० रुपये एक ऊंट पर लेने की एक घटना नहीं, रोजाना इस तरह की घटनायें कानूनों में सुनने में आई। इसी तरह राजगढ़ तहसील चूरू जिला का किस्सा है कि रतनपुरा गांव में एक हरिजन औरत को उसके पति ने मार दिया, रस्सी लगा कर उसे दिवार में लटका दिया। उससे १८०० रुपये पुलिस वाले ले गये और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह एक एक उदाहरण लिया जाय तो समय ज्यादा लगेगा। रेल्वे पुलिस किस प्रकार से रोजाना चार रुपये टिकट की जगह दो रुपये लेकर लोगों को ले जाती है। सभापति महोदय, हैड कॉन्स्टेबिल, जिसे २५० से भी कम तनख्वाह मिलती है, उसके लिए हमें यहां कहना पड़ता है। एक हैड़ कान्स्टेबिल है नरेन्द्रसिंह, उनके लिए मैं आपको निवेदन करूं कि एक औरत लालखलाड गांव से घर वालों से लड़ कर राजगढ़ चली गई। उसे दो दिन तक दबाये रखा जाता है, दो दिन तक नरेन्द्रसिंह उसे दबाये रखता है, उसने उसके साथ दो दिन तक क्या क्या खेल किये और फिर उसे बेचने के लिए कोशिश करता है। राजगढ़ के स्टेशन पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको वहां ले जाता है। इसी समय कार्यकर्ताओं को पता लगता है, वे जाकर उस औरत को छुड़ा कर ले आते हैं। आज पता नहीं उस केस का क्या हुआ, यह कई दिन पहले का किस्सा है। यह तो सुना है कि उस हैड़ कॉन्स्टेबल को मुअत्तिल किया है। उसके बाद क्या हुआ है, यह पता नहीं लगा है। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

इसी तरह से कई दिनों पहले मैंने सदन में कहा था कि शिवदानसिंह नामक एक सब इन्स्पेक्टर ने, जिसने १५,००० के करीब रिश्वत खाई, चारों तरफ से कोशिश की

(श्री मोहरसिंह)

उसने इस केस को दबाने के लिये, एक केस नहीं कई केसेज़। अब सुना जाता है कि उनको बहाल कर दिया गया है । हमारी सरकार इस प्रकार खुले रूप से पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट देना चाहती है तो उसकी मर्जी है। कहा जाता है कि इस तरह की शिकायतों को लोग साबित नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि लोगों के अन्दर इस तरह के खयालात, इस तरह की भावना पैदा कीजिये कि वे लोग हिम्मत के साथ आगे आयें और रिश्वत को खुले रूप से साबित करा सकें। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि रिश्वत को साबित कराने पर, एक मामूली आम अव्वाम के किसी एक व्यक्ति की तो बात छोड़िये विधान सभा के एक एम. एल. ए. के ऊपर भी रिश्वत साबित कराने पर आफत आ सकती है। और वास्तव में इस तरह की घटनाएं होती हैं। पंजाब में इस तरह की घटना हुई है कि पुलिस का इन्सपेक्टर सदन में आ कर कम्युनिस्ट एम० एल० ए० को गिरफ्तार कर लेता है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : वह भी खराब परम्परा थी कि इस प्रकार का अन्याय कर के सदन में भाग जावें, उसको बाहर ही रहना चाहिये था।

श्री मोहरसिंह : अन्याय करके आ जाना ऐसी कोई बात नहीं थी, केवल कॉम्युनिस्ट होने से ऐसा कहा जाय, यह ठीक नहीं। आपका भी फर्ज यही है।

१२ महीनों का रेकार्ड उठा कर देखिये तो पता चलेगा कि जो चोरियां बीच में नहीं थीं, वे निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, जिनमें से बहुतसी तो लोग दर्ज ही नहीं कराते। लोग कोशिश करते हैं कि दर्ज करा दें पर जिस तरह का रवैया है पुलिस का उसको देखकर दर्ज कराने से हिचकिचाते हैं। वे लोग देखते हैं कि घर में चोरी हुई, माल गया, उसके पीछे मुकदमा दर्ज कराने में सौ दो सौ रुपया और इन पुलिस वालों को मुकदमा दर्ज करने का दो और नतीजा कुछ नहीं होता, तो आखिर इस तरह से हैरान हो कर के कई लोग चोरियों के मुकदमें दर्ज नहीं कराते हैं।

तो, एक तो मेरा कटौती प्रस्ताव रिश्वत के मुतल्लिक था जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है :

"पुलिस के सिपाहियों के साथ उनके अधिकारियों का असन्तोषजनक व्यवहार करने पर, विचार करने के लिये"।

माननीय सभापति महोदय, यह भी एक बड़ी भारी समस्या है जिन लोगों को पहले से ही थोड़ी तनख्वाह मिलने के कारण हर समय चिन्ताएं घेरे रहती हैं, जिनके सामने अपने कुटुम्ब के पालन पोषण का सवाल बच्चों के पालन पोषण का सवाल रात दिन बेचैनी उनके दिल में पैदा किये हुए हैं, उसके ऊपर उनके बड़े ऑफिसरों की ओर से उनको डराना, धमकाना और परेशान करने का रवैया चल रहा है, यह किसी भी प्रकार शोभास्पद नहीं कहा जा सकता। वास्तव में इस प्रकार के भी बहुत से केसेज़ हैं जिनमें बताया जा सकता है कि गरीब पुलिस के सिपाहियों को जिनको पहले से ही कम तनख्वाह मिलने के कारण अपने और अपने बालक बच्चों के पेट की चिन्ता सताये

Page No.96

(श्री मोहरसिंह)

रहती है, उनके लिये बड़े अफसरों का उनके साथ इस तरह का रवैया उनके लिये बड़ा सर दर्द बने हुए हैं। जिस तरह आज कल रिवाज है बड़े आॅफिसर्स के यहां अर्दली मुकर्रर करने का, हालां कि चीफ सेक्रेटरी साहब की ओर से सर्कुलर निकल चुका है फिर भी इन लोगों से बड़े आॅफिसर्स के यहां घर का काम काज कराया जाता है, कपड़े धुलाये जाते हैं।

इसके लिये एक उदाहरण में सदन के सामने रखूंगा, हालां कि इस प्रकार की चीज सदन के सामने रखने की मेरी इच्छा नहीं थी पर एक विधायक के नाते मेरा कर्तव्य हो जाता है कि सदन के सामने इस तरह की बात रखूं। डी० आई० जी० बीकानेर हैं, उनके भाई की लड़की की शादी थी, कुछ दिनों पहले से ही वहां सिपाहियों को लगाया गया, और कितने ही दिनों तक उनको परेशान किया गया, अभी दो चार रोज पहले तक उनके वहां इन सिपाहियों की ड्यूटी थी, बारात आई तो बिस्तर ढोने के लिये सिपाही, इतने बड़े अफसर, इतनी बड़ी तनख्वाह उनको मिलती है, इस पर भी इन गरीब सिपाहियों को घरेलू कामों के लिये इस प्रकार ज़लील किया जाता है, यह कोई गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं, घरेलू काम है, और इन गरीबों से इस प्रकार का काम लिया जाना कायदे के खिलाफ है।

इसी प्रकार का एक किस्सा और सुनने में आया है, एक सीधा सिपाही नम्बर ४८५, बतलाना यहां गुनाह है इस लिये कि उसके साथ इन्साफ नहीं होगा और उसको तंग किया जायगा पर बताना पड़ता है, रामप्रसाद-सिंह कॉन्स्टेबिल, टौंक का रहने वाला जो यहां ट्रेनिंग में आया हुआ है, जिसका भाई दो तीन दिन पहले मर चुका, वह आर० आई० के पास जा कर छुट्टी की दरख्वास्त देता है, आर, आई. उसको डराता और धमकाता है और उसकी मोत्तिली का हुक्म ले कर एस, पी. के पास गया कि उसकी मोत्तिल पक्की करा ली जाय। इसके साथ ही वह आर. आई. साहब पहरों पर सिपाहियों की ड्यूटी किस प्रकार लगाते है, दो दो तीन तीन दिन तक बेचारों को पहरे पर से पलटते नहीं हैं, रोटी खाने के लिये भी उनको दौड़ कर जाना पड़ता है, न वे लोग कपड़े बदल सकते हैं और न थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। यह है आजकल के कल्याणकारी राज्य में छोटी तनख्वाह पाने वाले लोगों की हालत। इन बातों को छोटी २ बातें समझ कर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, छोटी बातें समझ कर छोड़ दिया जाता है।

इसी तरह छोटे छोटे सिपाही हैं उनके लिये औषधियों का, दवाइयों का क्या इन्तज़ाम है? उनको दुर्भाग्य से टी. बी. या इस किस्म की भयंकर बीमारी हो जाय तो उनके लिये कोई इन्तज़ाम नहीं।

एक है इनका मैस फंड जिसमें किस प्रकार से इनके पैसे का दुरुपयोग किया जाता है।

मैं समझता हूं होम मिनिस्टर साहब इन सब बातों पर तहेदिल से विचार करके इनके सम्बन्ध में समुचित प्रबन्ध करेंगे। आज के ज़माने में ये चीजें शर्मनाक हैं।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है : 'पुलिस

(श्री मोहरसिंह)

विभाग में पुलिस के बड़े अफसरों पर की गई खर्चे में बढ़ौतरी पर विचार करने के लिये'।

इधर तो पुलिस के बड़े अफसरों पर इतना खर्चा बढ़ाया जाय और उधर पुलिस के सिपाहियों को कम तनख्वाह मिले, इधर अफसरों की तनख्वाहें बढ़ाई जांय, उधर समाजवादी समाज की रचना के स्वप्न देखें, एस. पी. डी. आई. जी. और आई. जी. पी. को सोलह सौ, १८ सौ और ढाई हजार। यही हैं समाजवादी समाज की रचना के स्वप्न। अभी केरल के अन्दर केरल के मिनिस्टरों ने पास किया है कि एक हज़ार से ऊपर किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी। पर हमारे यहां बड़े बड़े अफसरों की इस कदर तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं और छोटी तनख्वाह पाने वालों को ३ रुपयों से ५ रुपये तक दिये जाय तो बड़ा भारी ढोल पीटा जाता है कि हमने इन लोगों के रुपये बढ़ा दिये और हमारे बजट के हर पन्ने पर यही लिखा मिलता है कि हमने तीन रुपयों से ५ रुपया कर दिया इस लिये यह मामला बढ़ गया।

इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने तीनों कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ और माननीय सदस्यों से आशा करता हूं कि इन्हें स्वीकार कराने में योग देंगे।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, मांग सं० १३ पर मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। सभापति महोदय, शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से हमारे राजस्थान की अपनी एक समस्या है। एक तरफ ७०० मील लम्बा सीमा प्रदेश है, दूसरी तरफ लाखों माइल में रेगिस्तानी इलाका है, तीसरी तरफ कोटा के जंगल हैं और चौथी तरफ चम्बल की घाटियां हैं। इस तरह का हमारा राजस्थान प्रदेश है, जिसकी अपनी समस्या है। कई माननीय सदस्यों ने अभी निवेदन किया कि पुलिस पर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि सन् १९५१,५२ में पुलिस पर खर्चा २ करोड़ का था और आज चार करोड़ का है। मैं दूसरे राज्यों के मुकाबले में अपने राज्य के आंकडे प्रस्तुत करता हूं। मेरे पास अभी पांच राज्यों के आंकड़े हैं, राजस्थान, बम्बई, मध्य प्रदेश उत्तरप्रदेश व पंजाब। इन पांच स्टेट्स के मेरे पास आंकड़े हैं कि वहां पर पुलिस पर कितना खर्चा होता है और वर्ग मील के पीछे वहां पुलिस की संख्या क्या है और राजस्थान में क्या संख्या है। इसके साथ मेरे ऐसे भी आंकड़े हैं कि हमारे यहां अपराधों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले में क्या है? माननीय सभापति, हमारे यहां ४, करोड़ २७ लाख रुपया पुलिस बजट पर खर्च करते हैं जो हमारे बजट का ६ पर्सेन्ट होता है। इसके मुकाबले में बम्बई में ११ पर्सेन्ट है, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ६॥ पर्सेन्ट पुलिस पर खर्चा होता है। इसके बावजूद भी जब राजस्थान का निर्माण हुआ। उस समय राजस्थान की पुलिस की क्या हालत थी? मैंने सुना था कि टोंक में पुलिस के आदमी महज नाम मात्र के थे, उनको राज्य कोष से पैसा नहीं दिया जाता था, कमरपेटी देकर सिपाही बना देते थे, वे जनता को लूटते और अपनी मनमानी करते थे। वर्दी और दूसरे साधन सुविधाएं उस समय हमारी पुलिस के पास नहीं थी। राजस्थान बनने के बाद पुलिस की

(श्री भीमसेन)

सुव्यवस्था आई और हर तरह से पुलिस विभाग में सुधार हुआ। जहां सुधार होता है, पुलिस डिपार्टमेन्ट का पुनर्गठन होता है तो खर्चा बढ़ना स्वाभाविक है। इनके साथ साथ मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि सीमा प्रदेश में आर. ए. सी. रखनी पड़ती है और उसका हमें खर्चा ७५ लाख रुपया वार्षिक उठाना पड़ता है। यह भी इस पुलिस के बजट में शामिल है। दूसरे राज्यों में कुल कितना खर्चा होता है और हमारे राज्य में कितना खर्चा हो तो मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में यहां की हालत को देखते हुए पुलिस पर कम खर्चा हो रहा है।

४.२३ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि किस प्रकार दूसरे राज्यों में प्रति वर्ग मील के पीछे सिपाहियों की संख्या है। हमारे यहां चार मील के पीछे है, बम्बई में तीन मील के पीछे है, पंजाब में दो, उत्तर प्रदेश में २। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहां किस प्रकार से चार साधनों की कमी है, ट्रान्सपोर्ट की कमी है, इन साधनों के अभाव में भी किस तरह से हम राजस्थान में काम कर रहे हैं और फिर इसके साथ साथ यह कहा जाता है कि पुलिस के खर्चे में बढ़ोतरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बजट में बढ़ोतरी हुई है यदि अपराधों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यह मानना पड़ेगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में पर्सेन्टेज ऑफ क्राइम कम है।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : आंकड़े हैं क्या

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक वर्ग मील में बम्बई में कितने लोग रहते है और यहां कितने रहते हैं ?

श्री भीमसेन : हैं आंकड़े। मैं निवेदन कर रहा था कि किस तरह से हमारा पुलिस विभाग आॅड सर्कमस्टान्सेज़ में काम कर रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने जनरल इन्स्टान्सेज कोट किये कि इतना भ्रष्टाचार है..

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय जबाब देंगे ४॥ बजे। इसलिए थोड़ा सा ही कह दीजिये।

प्रश्न ऐसा है कि बहुत सारे कट मोशन्स मूव करना था। चूंकि समय नहीं है इसलिए मूव हुए ही माने जावेंगे। इसलिए अब मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपना भाषण समाप्त कर दें जल्दी ही।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : On a point of information, Sir. कट मोशन्स रखे हैं, यह डिमान्ड आज ही पूरी कर दी जावेगी ? क्या रिप्लाई भी आज़ ही मिल जावेगा ? सोमवार को भी रखा है।

श्री सभापति : One at a time, please. Yes.

श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़) : सभापति महोदय, गवर्नमेन्ट को जवाब ज्यादा नहीं देना है, जो कुछ पुलिस के खिलाफ

(श्री मदनसिंह)

चार्जेज बताये हैं उसके लिए हां कर लें। जवाब देंगे तब भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि अन्याय पर अन्याय हो चुका है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने तय किया था कि ४॥ पर डिस्कशन्स समाप्त होंगे और उसके बाद माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। गत वर्ष भी यह देखा गया था कि कई कट मोशन्स समय न रहने के कारण रह गये थे। इसलिए यही प्रोसिज़र इस साल भी रखा जाय।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापतिजी या तो पहले टाइम का कवेश्चन तय कर देना चाहिये था, कई माननीय सदस्य एक–डेढ़ और दो घंटे तक बोले हैं। सबको समान टाइम देना चाहिये था।

श्री सभापति : प्रश्न ऐसा है कि जैसा भी कार्यक्रम तय हुआ है उसके अनुसार यह अनुदान की मांग आज ही स्वीकृत होने की है। एक दिन का समय किसी पर्टिकुलर डिमान्ड के लिए तय हो सकता है या इससे अधिक भी लेकिन बिजनेस एडवाइज़री कमेटी ने इसको तय किया है। इसको चेन्ज किया जाय तो जो मांग सोमवार को आने वाली है उस पर विचार नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिर इसी मांग पर विचार किया जावेगा।

(विराम)

लेकिन गत दिनों से बजट पर जैसा विचार चल रहा है कि माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव ४॥ बजे पहले पेश कर देते हैं और कुछ कटौती प्रस्ताव बाकी रह जाते हैं वे मूव किये हुए समझ लिये जाते हैं और ४॥ बजे उत्तर दिया जाता है गवर्नमेन्ट की ओर से। अब इस कार्यक्रम में आगे रद्दोबदली करना सम्भव नहीं है। और भी डिपार्टमेन्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके लिए भी समय निश्चित है। १६ तक ये सब मांगें पूरी होती हैं उसके बाद शायद कार्यवाही स्थगित होगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सभापति महोदय, सोमवार को जो मांग संख्या ली जाने वाली है वह है खनिज विभाग के संबंध में वह बहुत थोड़े समय में पास हो जायगी। पुलिस का विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सम्पर्क ज्यादा तर जनता से रहता हैं इसलिये इस पर बोलने का ज्यादा मौका मिलना चाहिये....

श्री सभापति : ज्यों ही वह मांग समाप्त हो जायगी उसके तुरन्त बाद ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की मांग ले ली जायगी, जो बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस जितनी महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री सभापति : I have heard the Hon'ble members enough. My observation is that the reply will begin at 4.30 P. M. The Hon'ble Minister will give his reply and the Hon'ble member will please resume his seat.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सभापति महोदय, आज जितना समय माननीय सदस्यों को बोलने के लिये दिया गया उनमें से कुछ

(श्री गिरधारीलाल)

माननीय सदस्य घंटा सवा घंटा तक बोले हैं। जब कि कट मोशन्स की संख्या अधिक थी तो उसके अनुसार ही टाइम निश्चित करना चाहिये था। लेकिन यह निश्चित न कर कई माननीय सदस्यों ने घंटा सवा घंटा तक लिया यदि आप आज ही खत्म करना चाहते हैं तो पहले सब का समय निश्चित कर देना चाहिये था फिर किसी को आपत्ति नहीं होती। काफी कटमोशन्स रह गये हैं इसलिये सोमवार तक समय बढ़ा दिया जाय, तो मैं समझता हूँ यह उचित होगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : समय तो नहीं बढ़ाना चाहिये क्योंकि सब मांगों के लिये एक दिन रखा गया है तो इस मांग के लिये विशेष रियायत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री शिवचरणदास (मांडल) : जब कि सभापति महोदय की तरफ से व्यवस्था हो चुकी है तो इस मांग को आगे के लिये समय दिया जाना, मैं समझता हूँ, उपयुक्त नहीं होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, हर मांग के लिये एक दिन रखा है और उसी के अनुसार सोमवार को जो मांग रखी है उसमें एक दिन देने की आवश्यकता नहीं है। उस पर मेरे ख्याल से दो—तीन घंटे में बहस समाप्त हो जायगी इसलिये इस मांग के लिये एक दिन का समय और दे दिया जाय।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक दिन का यह जो निर्णय किया है वह कम से कम नहीं बल्कि अधिक से अधिक तय किया है। सोमवार को जो दूसरी मांग ली जायगी अगर वह जल्दी समाप्त हुई तो उसके बाद दूसरी मांग ले ली जायगी। हो सकता है एक दिन में हम चार मांग भी समाप्त कर सकते हैं, इसलिए जो निर्धारित कार्यक्रम है हमें उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये। इस मांग पर ५६ कट मोशन्स हैं अगर सबको अनुमति दे दी जाती तो यह एक दिन और देने पर भी खत्म नहीं हो सकते। जो कार्यक्रम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्धारित कर दिया उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिये। उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये।

श्री गिरधारी लाल : सभापति महोदय,

श्री सभापति : Order please ! आप बैठ जाइये। We should look the decorum of the House and should maintain it. When I am standing and saying some thing you should not disturb the House. मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उसी के अनुसार हमें इस मांग को आज ही समाप्त कर देना चाहिये। इन परिस्थितियों के कारण मैं इस मांग पर बहस करने के लिये सोमवार का समय दे नहीं सकता। इसलिये आज ही इसको समाप्त किया जाय। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा जो कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं उनका उत्तर माननीय गृह मंत्री देंगे उसको आप शान्ति के साथ सुने और उस पर विचार करें।

श्री मुरलीधर व्यास : बिजनेस एड-

(श्री मुरलीधर व्यास)

वाइज़री कमेटी ने एक मांग के लिये एक दिन तय किया है, उस हिसाब से जो सोमवार को मांग ली जाने वाली है उस पर बहस इतनी ज्यादा नहीं होगी। उस दिन समय बच सकता है इसलिये इस मांग पर हर सदस्य को पांच–दस मिनट बोलने के लिये दिये जाते है, तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : We cannot go on presumptions. It is not necessary...

श्री मुरलीधर व्यास : अभी आपने कहा, उसी पर कह रहा हूँ।

श्री सभापति : माननीय गृह मंत्री।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस की डिमान्ड पर काफी कट मोशन्स आये, वे करीब ५४ थे। उन पर बोलते हुए काफी सदस्यों ने भाग लिया और काफी बिना बोले ही रह गये, लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जो भी कुछ समय निर्धारित है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिये। उन कटौती प्रस्तावों को रखते हुए जो जो मुख्य बातें कहीं गई, मोटी मोटी बातों का मैं निश्चित समय के अन्दर जितना उत्तर दे पाऊंगा, देने की कोशिश करूंगा, बाकी बातें अगर रह भी जायें तो उसके लिये निवेदन करना है जो एक्शन्स लेने लायक होंगी उन पर एक्शन लिया जायगा। इसलिये जिनका उल्लेख मेरे उत्तर में न हो उसके लिये यह समझना कि उस पर कार्यवाही नहीं होगी, यह ठीक नहीं है।

मुख्य बात जो ज्यादा जोर से कही गई वह बात यह थी कि पुलिस का जो बजट है वह निरन्तर बढ़ता जा रहा है, आज वह बढ़ते बढ़ते ४.३० लाख का बजट हो गया है। जब कि सन् १९५२ में २ करोड़ और कुछ लाख का था। यह भी बताया गया कि कुछ प्रान्तों से हमारे प्रान्त का पुलिस बजट है वह बहुत ज्यादा है। वैसे तो मैंने गये मौके पर सदन के सामने यह रखा था कि हमारा बजट बढ़ने का क्या कारण है, हमारे प्रान्त के लिये क्या मजबूरी है। मध्यप्रदेश और पंजाब के बजट को देख लीजिये इन तीनों बजटों को आप मुलाहिज़ा करेंगे तो आपको यक़ीन हो जायेगा कि उनके आंकड़े हमारे बजट से ज्यादा है जो करीब पांच करोड़ तक पड़ते हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या कमेटी ने जो आंकड़े दिये हैं वे गलत हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : किसने क्या दिये, इसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं जो कह रहा हूं वह सही है।

अब सवाल यह आता है कि राजस्थान में ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण यह बजट २ करोड़ से बढ़कर चार करोड़ तक हो गया है। इसका मतलब इन छ सालों में यह बजट दो करोड़ का बढ़ गया है। इससे मैं इन्कार नहीं कर सकता यह वस्तुस्थिति है। इसकी वजूहात पर भी आप गौर करिये सन् १९५२ से लेकर सन् १९५९ तक इन आठ नौ सालों में जो पीरियड आता है उसमें हम रेगुलर ग्रेड इन्क्रीमेन्ट को ही गिनते हैं तो उसमें पचास साठ लाख के करीब उसमें कवर हो जायगा। ऑफिसर्स के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट का इन ६ सालों का लगाते हैं तो उसमें ७०

(श्री रामकिशोर व्यास)

लाख का खर्च आ जाता है। १५ लाख के करीब कन्सेशन्स दिये हैं। ६ लाख की डिमान्ड जोन रेकरिंग में ज्यादा थी इस तरह से एक करोड़ का करीब करीब हिसाब बैठ गया। इसके अलावा पचास लाख रुपया करीब रिओरगेनाईज़ेशन ऑफ पे स्केल्स के कारण हुआ है और पचास लाख के करीब राजस्थान में अजमेर का विलीनीकरण हुआ उसके कारण यह खर्चा बढ़ा। २५ लाख रुपया डिफ्ररनेस अलाउन्स के रूप में बनता है जो कुछ रुपया बढ़ाया गया उसके कारण बनता है। इसके अलावा २५. ३० लाख रुपया कुछ ऑफिसर्स नये आये हैं इस कारण बढा है और इसके अलावा सी० आई० डी० का एक्सपेन्डीचर भी बढ़ा है। आज जो राजस्थान की पुलिस है उसके मुकाबले में अगर हम १६४६-५० की पुलिस का मुकाबला करें तो उस समय के पुलिस जवानों में यूनीफार्म तक नहीं थी किसी के पास थी नोट थी की बन्दूकें तक नहीं थी। केवल लाठियों से काम चलाते थे। किसी किसी जगह पर थी, यह मैं नहीं कहता कि सब के पास नहीं थीं। वह स्टेटों के समय से चली आ रही थी इस कारण भी हमारा खर्चा बढ़ा।

श्री शिवचरणदास (मंडल) : एक ज़माना आयगा जब कि शान्ति सेना होगी जिनके पास न बन्दूकें होंगी और न लाठियां।

श्री रामकिशोर व्यास : हम भी यही चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दाता : तो उस समय कांग्रेस के झंडे पर बन्दूकों से वार कैसे हुए थे जबकि बन्दूकें नहीं थी।

श्री रामकिशोर व्यास : राजस्थान में जब स्टेट्स का विलीनी करण हुआ था। उस समय अलग अलग स्टेटों की अलग अलग हालत थी। विहिकल्स के बारे में भी अलग अलग स्थिति थी। उस समय वेतन में भी हमें समानता लानी थी और अन्य सुविधायें भी प्रदान करनी थी और ऐसी हालत में खर्चा बढ़ने वाला था और वह बढ़ा। यह नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेन्ट में वेतन बढ़ता है तो दूसरे डिपार्टमेन्ट को उससे अलग रखा जाय। अब मैं उस खर्च को थोड़े ही समय में आइटम वाइज़ बताने की कोशिश करूंगा। सन् १६५०-५१ में हमारा पुलिस का बजट २ करोड़ के करीब था, सन् १६५१-५२ में वह बढ़कर २ करोड़ ७० लाख का हो गया। इसमें क्या हुआ कि १४ लाख के करीब युनिफिकेशन ऑफ पे स्केल्स के कारण हुआ और ग्रेड इन्क्रीमेन्ट के कारण हुआ इसके वायरलेस की स्कीम को चालू किया। पचास लाख रुपया आर० ए० सी० के लिये रखा गया।

१६५२-५३ में २.८० लाख आया इसमें नॉर्मल ग्रेड इन्क्रीमेन्ट में हुआ। उसके बाद १६५३-५४ में ३ करोड़ ७ लाख का हुआ उसमें १२ लाख के करीब फिफ्थ बटालियन रेज़ की उसके कारण आया और १५ लाख नॉर्मल इन्क्रीमेन्ट के कारण हुआ।

सन् १६५४-५५ में ३ करोड़ के करीब आया जिसमें रिवीजन ऑफ पे स्केल्स के कारण कुछ हुआ। उसमें १५०० आदमियों का रिडक्शन भी हुआ।

सन् १६५६-५७ में ३ करोड़ ५६ लाख हो गया। इसमें जो कुछ बढ़ोतरी हुई रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट के कारण हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो यह ब्रॉडली अनेलेसेस रखा। जैसा मेरे मित्र ने बताया और स्टेटों के मुकाबले में। पर हमारे यहां का खर्चा कम है। असल में कई मामलों में तुलना कर नहीं सकते क्योंकि राजस्थान की अपनी व्यवस्था है और फिर यह एक बॉर्डर स्टेट भी है। इसका मुकाबला अगर हो तो बॉर्डर स्टेट से ही हो सकता है। पर इसमें भी ६७५ मील लम्बी बॉर्डर स्टेट के मुकाबले में हो तो उनसे कर सकते हैं। बम्बई, मद्रास वगैरह थिकली पापुलेटेड एरिया हैं और बॉर्डर स्टेट भी नहीं हैं। तो हमें कम से कम बॉर्डर की लायबिलिटी को भी कन्सीडर करना पड़ेगा। ये तमाम चीजें विचारनी पड़ेंगी।

आर. ए. सी. के बारे में बातें कहीं गई। कहा गया कि उसका खर्चा केन्द्र से मांगा जाय। हमने मांगा, और जितनी कोशिश करनी थी,की। यह केस फाइनेन्शियल कमीशन के सामने भी रखा। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया कि इसमें केन्द्रीय सरकार को मदद करनी चाहिये। इस पर विचार करके सरकार जो जनरल एड हमें देती है उसी में उसने इसका प्रोवीजन भी किया है। इसलिये वे अलग नहीं देना चाहते तो हमें इसके लिये यह मानकर चलना चाहिये कि इसका प्रोवीजन हमारी जनरल एड में भारत सरकार ने कर दिया है। इसके लिये हमने अब भी केस पुट अप कर रखा है कि इसके लिये कुछ अलग से भी और दिया जाय। दो एक महीने पहले भी मीटिंग हम लोगों की थी उसमें इस पर सोचा है। तो, यह चीज चल रही है। ऐसी स्थिति में जो यह रकम है, अधिक नहीं है। इसका कन्सीडरेशन जनरल ग्रान्ट में हो गया है। आर. ए. सी. तो रखनी ही पड़ेगी, और खर्चा भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसका दूसरा इलाज नहीं है।

इसके बाद सवाल लेता हूं अपॉइन्टमेन्ट्स और प्रमोशन का। कहा गया कि इससे बड़ा डिस्सेटिसफेक्शन है। अपॉइन्टमेन्ट, ये किस तरह से होते हैं, मैं यह बताता हूं। ऊपर से चलिये। डी. आई. जी. एस. पी.। आम तौर से इनका अपॉइन्टमेन्ट आई. पी. एस. अफसरों में से होता है। इसके बने हुए नियमों के अनुसार, कम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन्स होकर होते हैं डी. वाई. एस. पी. की नियुक्ति पी. एस. सी. से कम्पीटीटिवली होते हैं। आर. पी. एस सर्विस जिसे कहते हैं। अब इन्स्पेक्टर पर आइये। इसका डाइरेक्ट अपॉइन्टमेन्ट नहीं होता। वह सब इन्स्पेक्टरों में से प्रोमोट किये जाते हैं। डाइरेक्ट करते ही नहीं हैं। इसके लिये नियम बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत प्रमोट करते हैं। सब इन्स्पेक्टरों में पचास परसेन्ट का डाइरेक्ट और पचास का इन्डाइरेक्ट अपॉइन्टमेन्ट करते हैं डिपार्टमेन्ट में से प्रमोट करके। डाइरेक्ट करते हैं इसके रूल्स हैं, एक प्रोसीजर बना हुआ है। इम्तिहान लेते हैं। कमेटी इसके लिये बनी हुई होती है, जिसमें आई. जी. डी., आई. जी. वगैरह तीन चार आदमी होते हैं, एक आदमी पर हमने निर्णय ही नहीं छोड़ा। इस पर भी अगर असन्तोष होता है तो हो, इसका इलाज हमारे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय (लबड़ा) : सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन मेम्बर हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रमोशन के

(श्री रामकिशोर व्यास)

लिये डी. आई जी. कलेक्टर और एस. पी. होते हैं। तो इस तरह सब इन्स्पेक्टर का है। हैड कान्स्टेबल हम डाइरेक्ट करते नहीं भरती, वे प्रमोशन से होते हैं और कान्स्टेबल का करते हैं। तो इसमें कहां है अब गड़बड़ी। देख लीजिये अब आप। तो यह तो अपॉइन्टमेन्ट की पोजीशन है।

अब प्रमोशन की बात रही। इसमें असन्तोष प्रोसीजर से नहीं है बल्कि इस वजह से है कि जगहें तो होती है कम और चाहने वाले हो जाते हैं ज्यादा। तो नतीजा यह होता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता वे असन्तोष की बात करते हैं। जैसे मान लीजिये आई. पी. एस. का सिलेक्शन होता है, अब जो आर. पी. एस. से प्रमोट होकर इसमें आते हैं। इसमें भी कमेटी में हमने क्या किया है, यू. पी. एस. सी. के एक मेम्बर को रखा है ताकि कॉन्फीडेन्स और इन्टीग्रिटी बनी रहे, दूसरे आई. जी. रहते हैं, होम सेक्रेटरी और सीनियर मोस्ट डी. आई. जी. और चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : सब कुछ होते हुए भी अन्याय करते हैं, इसका क्या इलाज है ? यह तो ठीक है प्रोसीजर।

श्री रामकिशोर व्यास : आप तो मान लेते हैं, पर दूसरे नहीं मानते हैं, इसलिये मुझे इतना कहना पड़ता है। तो कोई लेवल ऐसा नहीं जिसमें तीन चार आदमी कमेटी में न हों। हर किसी के सिलेक्शन और प्रमोशन के लिये कमेटी बना रखी है। हमने यू. पी. एस. सी. के आदमियों को रखा हुआ है, राजस्थान पी. एस. सी. वालों के हाथ में मामले दे रखे हैं। तो असन्तोष जैसी कोई बात पैदा होने का हमने कोई अवसर ही नहीं छोड़ा है। पर असल में रीजन यह होता है कि इन्स्पेक्टर की पोस्ट लीजिये, इसकी पन्द्रह बीस जगहें होती हैं और उम्मीदवार होते हैं पांच छः हज़ार। बाकी पौने पांच छः हजार को डिस्सेटिसफेक्शन होगा। पर उस कायदे में, प्रणाली में, असन्तोष की बात नहीं है। वह तो बिल्कुल ठीक है। पर संख्या कम है इसकी वजह से असन्तोष रहता है। तो, इसके लिये तो मैं क्या निवेदन करूं।

दूसरी बात यह आई कि कम वेतन वालों की तनख्वाह बढ़ाई जावे। काफी हमदर्दी दिखाई लो पेड स्पाट की ओर। कहा गया कि कान्स्टेबल की पे बहुत कम है और काफी हमदर्दी दिखाई उसके प्रति। मुझे भी हमदर्दी है और उनकी हमदर्दी से भी हमदर्दी है। (हंसी) खयाल तो फरमाया जो चोर डाकुओं की जमात बताई जाती हैं उनके प्रति। इसके लिये शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमारे यहां की पे जो है कान्स्टेबलों की पे जो है, तीस से शुरु होकर पचास तक जाती है। बीस रुपया अलाउन्स है महंगाई का। इस तरह से ५० रुपया होता है। यह पे किसी भी अन्य स्टेट से फेवरेबली कम्पेअर की जा सकती है। अलाउन्सेज़ कहीं कहीं ज्यादा हैं। तो इनको हमने भी ग्रेजुअली बढ़ाने की कोशिश की है। यह तो हो नहीं सकता कि कान्स्टेबल को तीस मिलते हैं तो आई. जी. डी., आई. जी. एस. पी. को हजार पन्द्रह सौ, सात सौ क्यों मिलते हैं, उनको भी वही मिले। यह तो जो पोजीशन समय की, आज की है, जो है। हमारी आज की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिहाज से बढ़ाने की कोशिश की है। करीब करीब औसत निकलेगी तो २५) का अलाउन्स उसे

Page No.105

(श्री रामकिशोर व्यास)

और मिल जाता है। और इस तरह से एक सिपाही को सत्तर पिचहत्तर मिल जाते हैं। पांच पांच रुपये के दो इन्क्रीमेन्ट हमने दिये हैं, दो बार करके और मैं अपनी तारीफ तो नहीं चाहता पर आप गौर करेंगे तो आपकी तबियत खुश होनी चाहिये। पुलिस डिपार्टमेन्ट को जितनी रिलीफ इन पिछले चार-पांच सालों में गवर्नमेंट ने दी है उतनी पहले कभी नहीं दी। अभी अभी इस पिछले समय में पुलिस कर्मचारियों के बीस-पच्चीस रुपये माहवार बढ़े हैं और इस प्रकार एक कान्सटेबल को करीब करीब सत्तर पिचहत्तर रुपये मिल जाते हैं। करीब करीब दस रुपये का फायदा तो उनको ५ रुपये पे में बढ़ जाने के कारण और ५ रुपया का फायदा उनको डी० ए० के बढ़ जाने के कारण हुआ। इसके अलावा पुलिस कर्मचारियों को टी० ए० में भी फायदा हुआ है क्योंकि पहले टी० ए० दूसरी तरह से दिया जाता था और आजकल फिक्सड टी० ए० देने शुरु कर दिया है। पुलिस कर्मचारियों की लिट्रेरी अलाउन्स अलग ५ रुपया दिया जाता है। इसके अलावा मैस अलाउन्स पहले ३ रुपया दिया जाता था और आजकल उसे ३ से ५ रुपया कर दिया है। तो इस तरह से इन्हें काफी फायदे इन पिछले चार पांच सालों में दिये और इस तरह से उसको करीब ७०-७५ रुपये के करीब मिल जाते हैं। इन चार पांच साल के अन्दर अन्दर हमने बीस-पच्चीस रुपये बढ़ाये हैं। तो यह सब आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाये हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाये जा सकते हैं, कोई एक दम तो बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे मेडीकल फेसेलिटीज़ हैं, वे भी हम उनको दे रहे हैं। अगर उनका पैसा किसी तरह की दवा आदि के खरीदने में खर्च होता है। तो वह उसको रीइम्बर्स करा सकते हैं। मेडीकल के लिए मैं आपको बताऊं कि हर पुलिस लाइन्स में आपको एक एक कम्पाउन्डर मिलेगा। हमारे यहां २५ डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जितने भी जगह पुलिस लाइन्स हैं वहां कम्पाउन्डर्स दिये हैं और पारटाइम वहां डाक्टर्स भी प्रोवाइड किये हैं। कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि हमने फुल टाइम डाक्टर्स भी प्रोवाइड किये हैं। हम चाहते हैं कि और भी कई तरह की सहूलियतें दें और साथ ही हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पीटल्स में पुलिस कर्मचारियों के लिए टी० बी० के बैड्स रिज़र्व हों। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उनको सुविधायें मिली हैं और भी सुविधायें उनको देने की हम सोचेंगे। हां, जो सुविधायें पहले किसी के लीव पर होने पर नहीं मिलती थीं वह आजकल मिलने लगी हैं।

इसके अलावा हमने एन्काउन्टर के कुछ रूल्स बनाये हैं और वे रूल्स ऐसे हैं कि जो हिन्दुस्तान की किसी भी स्टेट ने नहीं बनाये होंगे, जो कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने बनाये हैं। आज किसी एन्काउन्टर में अगर किसी कॉन्सटेबल की डेथ होती है तो उसको फाइनेन्शियली वही एडवान्टेज मिलेंगे जैसे कि फाइनेन्शियली उसकी डैथ ही नहीं हुई है। फाइनेन्शली उसको जिन्दा माना जायेगा। अगर कोई दस साल की सर्विस करके मरा है और उसके बीस साल बाकी रहते हैं तो उसकी तनख्वाह मर जाने के बाद भी उसके परिवार वालों को बीस

(श्री रामकिशोर व्यास)

साल तक बराबर मिलेगी । क्या है कोई ऐसी गवर्नमेन्ट आज हिन्दुस्तान में कि जिसने ऐसे रूल्स बनाये हों ?

(करतल ध्वनि)

इसमें शक की कोई बात नहीं है, इस तरह की तनख्वाहें कॉन्सटेबल्स को दी हैं और भी सब को दी हैं । अब किसी के मामले में डिले हुई हो तो वह बात दूसरी है। लेकिन रूल्स में ऐसा है और इस तरह की तनख्वाह देते रहेंगे । यह हमारा एक ही एचीवमेंट राजस्थान गवर्नमेन्ट का ऐसा है कि इसको किसी भी स्टेट में फौलो नहीं किया गया है । तो लो पेड स्टाफ के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ायेंगे, लेकिन एक साथ ऐसा नहीं कर सकते और न हमारे ऐसे रिसोर्सेज़ हैं कि हम ऐसा करें । यह हमारी मजबूरी है ।

दूसरी बात यह है कि हमारी ही बदकिस्मती है कि राजस्थान पुलिस की और लोग तारीफ कर सकते हैं, हमारे प्रेसीडेन्ट कर सकते हैं लेकिन हमारी फूट इस प्रकार की है कि हम एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते । राजस्थान की पुलिस के ऑनर में इतने मेडल मिले हैं और उसको इतना रिकग्नाइज़ किया है लेकिन हम तो कहते हैं कि राजस्थान की पुलिस सब से ज्यादा निकम्मी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आपने फरमा दिया कि जो प्रेज़ेन्ट आई० जी० पी० आये हैं उनके ज़माने में क्राइम्स बढ़े हैं । मैं कहता हूं कि उन्होंने डेकाइट्स की समस्या को इतना कन्ट्रोल किया है कि जिसकी तारीफ नहीं हो सकती । कल्याणसिंह का मामला उनके ज़माने में हुआ और फिर आप कहें कि उनके ज़माने में क्राइम्स बढ़े हैं । वैसे कहने को सब कुछ कहा जा सकता है लेकिन जब से प्रेज़ेन्ट आई० जी० पी० आये हैं और उन्होंने चार्ज लिया है तब से सही माने में देखा जाये तो क्राइम्स कम हुए हैं फिर आप कहेंगे कि उनको शील्ड कर रहे हैं पर शील्ड करने की कोई बात नहीं है । आप पिछले टाइम के फिगर्स निकाल लीजिए, फिर आपको मालूम हो जायेगा कि उन्होंने कितना काम किया है । अफसोस की बात है कि लोकल आई० जी० पी० आये तो सिवाय कुछ आदमियों के सभी ने उनको एप्रीशियेट किया । जिनको दुनियां मानती है उनके बारे में भी आप कहते रहें तो फिर निर्णय तो आपके ही हाथ में है....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ओलम्बा (उलाहना) अपने वाले को ही ज्यादा देते हैं जब कि दुख होता है । हमें तो गुमान है ।

श्री रामकिशोर व्यास : अपना मानकर तो कुछ भी कहें, आपको छुट्टी है । लेकिन अपना माने जाओ, इतनी सी बात है ।

श्री मदनसिंह : राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़कों के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ हो और बहिन बेटियों के साथ अन्याय हुआ हो । इसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ इन्डीविजुअल केसेज़ के बारे में आपने शिकायतें

(श्री रामकिशोर व्यास)

की और बताया कि गुढ़ा में किसी लड़के को बुलाया और उसके साथ ज्यादती की और भी इसके अलावा दो तीन केसेज़ बताये तो इन केसेज़ के बारे में इन्डीवीजुअली तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी इस समय मेरे पास इन केसेज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इस प्रकार के ऑफेन्सेज़ करते हैं वे चाहे पुलिस ऑफिसर्स करें या दूसरे करें उसमें अगर गवर्नमेन्ट किसी को शील्ड करना चाहती है तो उसके बारे में आप बतायें। जो भी करता है उसको सज़ा दी जाती है। रेप के केस में अभी अभी पुलिस ने एक का चालान किया है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बात हमारे नोटिस में आ जाये और हम कार्यवाही न करें। उसका कोर्ट में प्रोसीक्यूशन किया है, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे पास पूरे फीगर्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि जहां जहां इस तरह के केसेज़ होते हैं तो उनके बारे में पूरी कानूनन कार्यवाहियां होती हैं। आज जयपुर शहर में चार पांच लाख आदमी रहते हैं तो इनमें सौ दो सौ आदमी ऐसे भी मिलेंगे जो कि ठीक नहीं हों. लेकिन उनके लिए सारे जयपुर के बारे में कैसे कह सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं....

श्री रामकिशोर व्यास : इसी तरह सारी पुलिस के लिए ही कैसे कहा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल : On apoint of order, Sir, मैं सभापति महोदय आप से व्यवस्था चाहूंगा इस बात की कि जब बारबार कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं तो माननीय मंत्री महोदय को बैठ जाना चाहिए, मगर वे बराबर खड़े ही हुए हैं, यह उचित परम्परा नहीं है।

सभापति : This is no point of order. I mean by the Hon'ble member coming from Bikaner who has just raised a point of order. He simply interrupted. It does not mean that he raised any point of order.

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : It is a right of the Member incharge to resume the House. उनको रिज्यूम होना चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास : एक केस के बारे में कहा है एम्बेज़लमेंट के बारे में। १० हजार का एम्बेज़लमेंट का करके छोड़ दिया। आपको फेक्ट्स को पूरा जानना चाहिए। एम्बेज़लमेंट के केस में डिसमिसिल किया है। एक इन्डिपेन्डेन्ट ऑफिसर ने एन्क्वायरी होल्ड की। उसमें तीन चार, आदमी इन्वाल्व्ड हैं। एक ऑफिसर ने एन्क्वायरी करके जितना ऑफेन्स जिसका पाया गया, जिसकी जितनी लायबिलिटी पाई गई उस हिसाब से कुछ को डिसमिस किया, कुछ को प्रोसीक्युशन किया है। जिसकी जितनी लायबिलिटी थी उस मुआफिक किया है। एक डी. वाई. एस. पी. को डिसमिस कर दिया। उसका प्रोसीक्यूशन हो रहा है उसी केस के अन्दर, उसका ज़िक्र नहीं है। चार आदमियों के खिलाफ एन्क्वायरी होती है। जिसकी ज्यादा जिम्मेवारी पाई जाती है उस हिसाब से सज़ा दी गई। सब को एक सज़ा तो नहीं हो सकती है। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हो सकते हैं। आदमी में कमियां हैं इस चीज़ से मैं इन्कार नहीं करता हूं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

इसी तरह से गार्ड्स के बारे में बात कही है। आप इन्डिविजुअल केसेज़ को लायें तो जो कुछ कर सकते हैं, करेंगे।

श्री मदनसिंह : आप सही अर्ज कर रहे हैं। मेरा मतलब यह नहीं था। लेकिन मैं जोर देकर इसलिए कहता हूं कि जो अपराधी हैं, गवर्नमेंट उसको सज़ा देगी और उसकी एन्क्वायरी होगी तो ठीक है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात ठीक है। गार्ड्स वाली बात कही गई है कि रूलर्स के यहां, कलेक्टर के यहां और कमिश्नर के यहां गार्ड्स रखे जाते हैं। रूलर्स के बारे में जयगढ़ की बात कही है तो यह राजस्थान गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं है। कवेनेन्ट में अगर किया है इकरारनामा तो उसको बदल कैसे सकते हैं। वह हमारे बस की बात नहीं है। वह एक एग्रीमेंट है उसके मुताबिक करना पड़ता है और करना पड़ेगा जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको चेन्ज नहीं करती है। हम चेन्ज करने की पोज़ीशन में नहीं हैं।

कलेक्टर और कमिश्नर की बात कही है। मिनिस्टर के यहां से टूट गये हैं, यह बात ठीक मालूम पड़ती है। इसमें प्रेस्टीज की बात नहीं है और कलेक्टर्स और एस. पी. डाकुओं से डील करते हैं, बदमाशों से उनको डील करना पड़ता है। कलेक्टर और एस. पी. को डील करना पड़ता है। तो उनकी सेफ्टी के लिए प्रबन्ध करना पड़ेगा यह चीज़ मिनिस्टरों के साथ नहीं है। इसमें कोई ऐसी प्रेस्टीज की बात नहीं है।

बहुत बातें कहना चाहता था लेकिन समय नहीं रहा। व्यक्तिगत बातें कहीं गई लेकिन उनका कोई जवाब व्यक्तिगत बातों को देना नहीं चाहता। वह हाउस स्वयं निर्णय करेगा। और बस इतना सा निवेदन करके कट मोशन्स आप साहबान ने भेजे हैं उनको महरबानी फर्माकर वापिस ले लेगें।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, आज मेरा मतलब तो यह था कि कम से कम २—४ ऐसी घटनाएं हुई हैं पुलिस के जरिये, उन लोगों को सज़ा देने का वायदा होता....

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, क्या भाषण हो रहे हैं ?

श्री मदनसिंह : कम से कम आई. जी. पी. नहीं आ सकते हैं, यहां तो होम मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए कि जब तक लड़कों और औरतों की घटनाएं होती हैं और उनको सज़ा नहीं दे देगें तब तक मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, तो बड़ा आनन्द आता।

श्री रामकिशोर व्यास : ठाकुर साहब, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो घटनाएं, हुई हैं उनकी ईमानदारी के साथ एन्क्वायरी की जायगी। सज़ा देने की बात, मैं अभी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि जांच के बाद उनका प्रोसीक्युशन भी होगा।

श्री मदनसिंह : फिर हमारा कोई विरोध नहीं है। आप खूब पैसा बढ़ाइये।

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेना चाहें लेलें।

श्री सोहनलाल भटनागर : I beg leave to withdraw my cut motion.

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सूबेदारसिंह : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंना अप कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो सर्व श्री सोहनलाल भटनागर, सूबेदारसिंह, श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा एवं भीमसेन ने जो अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति मांगी है, उनको अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सूबेदारसिंह सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन : श्री सभापति महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव वापिस नहीं लिये गये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

त्मत दान के पश्च

श्री मुरलीधर व्यास : 'ना' पक्ष जीता।

श्री गिरधारीलाल : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सोहनलाल भटनागर : Noes have it. Sir, मत लिया जाय।

श्री रामकिशोर व्यास : It is just all formal.

श्री सभापति : जो कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में हों वे माननीय सदस्य कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जांय।

श्री गिरधारीलाल : माननीय चेयरमेन साहब,...

श्री सोहनलाल भटनागर : रूल्स में मौजूद है। इस तरह से काउंटिंग हो सकता है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़, यह सदन में...

श्री गिरधारीलाल : माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल २४२ की ओर दिलाना चाहूँगा कि इस प्रकार है :

(1) "On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of motion to say "Ayes" and those against the motion to say 'Noes."

(2) The Speaker shall then say "I think the Ayes (or the Noes, as case may be) have it", If the opinion

(श्री सभापति)

of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice, "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the House shall be determined accordingly.

(3) (a) If the opinion of the Speaker as to the decision of a puestion is challenged he shall order a "Division" to be held, (b) After the lapse of two minuted he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the "Ayes" or the "Noes" have it.

(4) (a) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct "Ayes" to go into the right Lobby and the "Noes" into the left Lobby. In the "Ayes" or "Noes" Lobby, as the case may be, each member shall call out his Division Number and the Division Clerk while marking off his numder on the Divisiou List, shall simultan eously call cut the name of the member:

Provided that. if in the opinion of the Speaker the divion is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for "Ayes" and those for "No" respectively to sise in their places and, on account being taken, he may declare the determination of the House.

So in my opinion, division is unnecessarily claimed. Noes will please rise on their own seats so that I may count tham.

(राज्य पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : But after ringig the Bell, Sir.

श्री सभापति : It is not necessary. That procedure is only when Division takes place according to the first procedure.

श्री गिरधारीलाल : एक गलत परिपाटी डाल रहे हैं ।

श्री सभापति : We should not allege things like that. We should not easily allege such things in the House that कि गलत परिपाटी डाल रहे हैं। We are to establish good conventions. These are only formal. We have said everything and we have heand the

(सरकारी पक्ष की ओर से करतलध्वनी)

reply. 'We have no satisfaction,' this does not invoelne any question'

(घंटी)

प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्तावों के पक्ष में जो माननीय सदस्य हों वे अपने स्थानों पर खड़े होगें ।

(गणना के पश्चात)

१३ मत

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मैं वाक आउट करूंगा आपके इस डिसीज़न के खिलाफ ।

(श्री गिरधारीलाल ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री सभापति : जो माननीय सदस्य कटौती के प्रस्तावों के खिलाफ हो वे अपने स्थानों पर खड़े होगें।

(गणना के पश्चात)

१८ मत

सर्व श्री मुरलीधर व्यास, जगदीशप्रसाद माथुर, भैरोंसिंह (१४) शिवचरणदास, जुगलकिशोर, लक्ष्मीचन्द, लक्ष्मण हीरात, जनार्दनराय नागर व बहादुरसिंह के कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान की मांग संख्या १३ पुलिस को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

अनुदान की मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की कार्यवाही सोमवार प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाय।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजकर ११ मिनिट पर, सोमवार, दिनांक १६ मार्च, १९५९ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, १३ मार्च, ५६)

मांग संख्या १३ मुख्य शीर्षक २६-पुलिस

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई इस मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये।

१ श्री मुरलीधर व्यास

२ श्री जगदीशप्रसाद माथुर

३ श्री शिवचरणदास

स्कम्भ

४ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

५ श्री लक्ष्मीचन्द

६ श्री लक्ष्मण हीरात

८ श्री जनार्दनराय नागर

७ डॉ० बहादुरसिंह

९ श्री सूबेदारसिंह

१० श्री सोहनलाल भटनागर

११ श्री मोहरसिंह

१२ श्री भीमसेन

स्कम्भ

गृह मन्त्री के उत्तर के पश्चात् ७ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुये। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा प्रस्तुत की गई।

सोमवार, दिनांक १६ मार्च, ५९ की कार्य सूची।

१ राजस्थान ग्रामदान विधेयक, ५९ (पुरःस्थापन)

२ अनुदानों की मांगों पर मतदान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ का उत्तर देखिये)

(परिशिष्ट क)

सदस्य सूची कृषि सहकारी समिति आसीन्द, जिला भीलवाड़ा

क्र० संख्या	नाम सदस्य	नाम ग्राम	आयु	पद
१	२	३	४	५
१	श्री नंदलाल जी वर्मा	आसींद	४६ वर्ष	मंत्री
२	श्री शंकर देव भारतीय	,,	३५ ,,	अध्यक्ष
३	श्री गोकललाल सोलंकी	आमेसर	२६ ,,	
४	श्री भंवर बाई चौहान	,,	४० ,,	
५	श्री बलबहादुरसिंह	आसींद	३५ ,,	
६	श्री रामजीवन	,,	२३ ,,	
७	श्री गोवर्धन लाल	,,	२२ ,,	सदस्य प्रबन्ध कारणी
८	श्री लादुलाल	,,	२२ ,,	
९	श्री इस्माइल मोहम्मद	,,	४७ ,,	
१०	श्री गुमान मल	,,	४१ ,,	
११	श्री आसन दास	,,	२८ ,,	
१२	श्री जवाहर लाल	,,	२२ ,,	सदस्य प्रबन्धकारणी
१३	श्री शंकरलाल	,,	३६ ,,	
१४	श्री कन्हैया लाल बलाइ	,,	३५ ,,	
१५	श्री बंशीलाल	,,	२८ ,,	
१६	श्री भैरु लाल	,,	४५ ,,	
१७	श्री रामचन्द	सोडी	४६ ,,	
१८	श्री नन्हेंखां खातोला	आसींद	३५ ,,	

१	२	३	४	५
१९	श्री कवंरलाल	आसींद	३१ ,,	सदस्य प्रबन्धकारणी
२०	श्री रतना पिता नाथू	खातोला आसींद	४० ,,	
२१	श्री कंवरलाल	आमेतर	२७ ,,	
२२	श्री नाथू साई	खातोला	५० ,,	
२३	श्री जान मुहम्मद	आसींद	४५ ,,	
२४	श्री गंगाराम कुम्हावत	,,	४० ,,	
२५	श्री केशू ब्राह्मण	,,	३५ ,,	
२६	श्री नाथू नाई	,,	२५ ,,	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४२ का उत्तर देखिये)

Statement Showing Stock Verification Done By The Store Verificers During 1957-58.

S.N.	Name Power House.	Amt. of excesses.	Amt. of shortages.
1.	Dholpur.	24.45 N.P.	—
2.	Bharatpur.	83.01 N.P.	20.90
3.	Alwar	29.94 N.P.	21.00
4.	Deeg	58.46 N.P.	13.37
5.	Kishangarh	642.14 N.P.	527.76
6.	Nawai	115.77 N.P.	65.24
7.	Tonk	67.30 N.P.	5.58
8.	Kotah	0.17 N.P.	0.13
9.	Jhalawar	464.23 N.P.	24.83
10.	Jaipur	35972.14 N.P.	83319.65
11.	Jodhpur	27458.05 N.P.	50-15.14
12.	Shahpura	53.63 N.P.	59.88
13.	Bhilwara	144.45 N.P.	67.94
14.	Dungarpur	32.25 N.P.	62.25
15.	Sikar	491.96 N.P.	542.45

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५४५ का उत्तर देखिये)

Loan advanced for the development of Cottage & Small Scale Industries in Bhilwara during the year 1957-58.

S.N.	Name of the party	Nature of Industry	Amount of loan advanced.
1.	Shri Sahbuddin Karim Bux Chipa Bhilwara	Dying	Rs. 5,000/-
2.	Shri Noor Mohd. S/o Karim Bux Chipa Bhilwara	Dying	Rs. 5,000/-
3.	Sora Utpadak Sahkari Samiti Pur	Mfg. of Sora	Rs. 10,000/-
4.	Shri Hiralal Kailash Chandra Jain Bhilwara	Printing Press	Rs. 5,000/-
5.	Shri Chandra Shekher Trivedi (Sharda Press) Bhilwara	Printing Press	Rs. 6,000/-
6.	Shri Abdul Satar S/o Nasiruddin, Bhilwara	Trunk Mfg.	Rs. 5.000/-
7.	Shri Bahadur Singh Prop. Rajasthan Motor Co., Bhilwara	Mirror Mfg.	Rs. 10,000/-
8.	Satyanarain Metal Ind. Bhilwara	Metal Ind.	Rs. 10,000/-
9.	Bartan Utpadak Sahkari Samiti Ltd. Bhilwara	Utensil Mfg.	Rs. 15,000/-
10.	Shri Carpenters co-operative society Ltd. Shahpura	Furniture Ind.	Rs. 1,500/-
11.	Shri Kartar S/o. Gheensa Acharya	Bamboo Basket Making	Rs. 1,500/-

1	2	3	4
12.	Shri Jogendra Singh S/o. Dhaya Singh Prop. Bharat Valconising works, Bhilwara	Valconising works	Rs. 1,000/-
13.	Shri Abdul Rehman S/o Shri Karim Bux Mochi, Bhilwara	Footwear Ind.	Rs. 5,00/-
		Total	Rs. 75,500/-

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १३ मार्च, १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३७७२	११	बहाखाते	बहीखाते
३८५८	अन्तिम से ६	भयभीय	भयभीत
३८६३	अन्तिम से १०	अरे	और
३८६८	५	संतेष	सन्तोष
३९०३	६	बद् न्ती	बद्दियान्ती
,,	७	रिफतार	गिरफ्तार
३९११	१७	श्री रामकिशार	श्री रामकिशोर
३९२४	७	पज़शन	पजेशन
३९८३	अन्तिम	तमूत दात केपश्य	मतदान के पश्चात्
३९८५	६	Puestion	question
,,	२४	numder	number
३९८६	१८	heand	heard
,,	३	ringig	ringing
,,	अन्तिम से ११	invoelne	involve
,,	अन्तिम	बहिर्गत	बहिर्गमन